

क्रमांक एफ 11(86 अ) एफसीए/मुवस/2021 4501  
निमित्त,

दिनांक-28/12/22

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,  
राजस्थान-जयपुर।

विषय:- Diversion of 7.0484 ha.(Ajmer 4.6723 ha.) forest land for Flouride Control Project for remaining Villages of Tehsil Beawar District Ajmer, Rajasthan. FP/RJ/Water/33714/2018

संदर्भ:- उप वन संरक्षक, अजमेर का पत्रांक 11883 दिनांक: 22.12.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्रांक 8वी/राज/08/20/2021/एफ.सी. दिनांक 06.08.2022 द्वारा उक्त प्रकरण में 7.0484 (4.6723 है.) है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन की शर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, अजमेर द्वारा प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार है-

क्र.सं.	भारत सरकार के पत्रांक 8वी/राज/08/20/2021/एफ.सी. दिनांक: 06.08.2022 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक 925-28 दि. 05.12.2022 द्वारा प्रेषित पालना रिपोर्ट
A1	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	Compensatory afforestation maintained for 10 years amount has been deposited by user agency in CAMPA fund are details given below: <b>Rs. 53,91,892/-</b> RTGS Challan copy Attached Challen payment dated: 01-12-2022 copy attached.
2-	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the <u>7.0484 ha</u> forest area to be diverted under this proposal, from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard.	Net Present Value (NPV) for the <u>7.0484 ha</u> forest area amount has been deposited by user agency in CAMPA fund are details given below: <b>Rs. 4475036/-</b> RTGS Challan copy Attached Challen payment dated: 01-12-2022 copy attached.

3.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	User agency hereby undertake to pay the additional amount of NPV, if so determined as per the decision of the Hon'ble Supreme Court.
4.	The Non forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department.	User Agency Submitted Jama Bandi And Map of Non forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department. <b>Mutation Copy is enclosed.</b>
5.	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section - 4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval.	We hereby undertake that, The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation will be declared as Reserved Forest under Section - 4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
6.	The Complete compliance of the FRA, 2006 Shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	Original FRA certificate received from District Collector Ajmer attached with compliance report.(Set1)
7.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concern Division Forest Officer.	We hereby undertake that, The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concern Division Forest Officer.
8.	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	The KML file of the area to be diverted and the CA areas has been uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details.
9.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.	User agency under the project has been transferred to CAMPA fund through e-portal. copy attached.
B 1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
2.	Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 7.0484 ha non-forest land, Khasra No. 264/113, Village - Badiya Lumba, Tehsil - Beawar, District - Ajmer, Rajasthan at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.	Yes Forest department As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.



4.	No tree felling shall be involved in the implementation of this project.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
5.	User Agency shall provide water connection for the Delwara Nursery situated at NH-8.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
6.	The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
7.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
8.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
9.	No labour camp shall be established on the forest land.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
10.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
11.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
12.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
13.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
14.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
15.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred, to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
16.	The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
17.	The User Agency shall comply with all the provisions of the all acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)



## कार्यालय मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव उदयपुर

क्रमांक:- एफ.( )तकनीकी/मुवसं/व.जी./2022-23/

143

दिनांक 16/01/2023

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी (F.C.A)

राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Submission of Stage -1 Compliance Report for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/WATER/33714/2018).

संदर्भ :- Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Integrated Regional office, A21B & B216, Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur Letter No. 8B/RA/08/20/2021/FC dated 06<sup>th</sup> June, 2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा 7.0484 (2.3761 हे.) हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बाबत जारी की गई संशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित की गई शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, वन्यजीव राजसमन्द के उक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुई है जो इस कार्यालय की सहमति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार पालना प्रतिवेदन 3 प्रतियों में

भवदीय,

  
(आर के खैरवा)

मुख्य वन संरक्षक  
वन्यजीव, उदयपुर

क्रमांक:- एफ.( )तकनीकी/मुवसं/व.जी./2022-23/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. उप वन संरक्षक, वन्यजीव राजसमन्द।
2. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, परियोजना वृत्त, टोडरमल मार्ग, जल भवन वैशाली नगर, अजमेर (राजस्थान)
3. प्रयोक्ता अभिकरण, अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड जवाजा।



मुख्य वन संरक्षक  
वन्यजीव, उदयपुर



निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,  
अजमेर।



विषय:- Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/WATER/33714/2018). Forest Diversion proposal under forest (Conservation) Act, 1980. Proposal No FP/RJ/WATER/33714/2018

संदर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8बी/राज/08/20/2021/एफ.सी. दिनांक: 06.06.2022 एवं प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक 925-26 दिनांक 05.12.2022 (पूर्ण दस्तावेज प्राप्त दिनांक 20.12.2022) के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में सन्दर्भित पत्र द्वारा शर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार से जारी की जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक 8079 दिनांक 08.09.22 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से बिन्दुवार पालना रिपोर्ट मांगे जाने पर उनके द्वारा सन्दर्भित पत्रांक द्वारा प्रेषित किये जाने पर बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-


क्र.सं.	भारत सरकार के पत्रांक 8बी/राज/08/20/2021/एफ.सी. दिनांक: 06.06.2022 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक 925-26 दि. 05.12.2022 द्वारा प्रेषित पालना रिपोर्ट
A1.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.	Compensatory afforestation maintained for 10 years amount has been deposited by user agency in CAMPA fund are details given below: <b>Rs. 53,91,892/-</b> <b>RTGS Challan copy Attached Challan payment dated: 01-12-2022</b> copy attached.
2.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the <b>7.0484 ha</b> forest area to be diverted under this proposal, from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide <b>Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022</b> in this regard.	Net Present Value (NPV) for the <b>7.0484 ha</b> forest area amount has been deposited by user agency in CAMPA fund are details given below: <b>Rs. 4475036/-</b> <b>RTGS Challan copy Attached Challan payment dated: 01-12-2022</b> copy attached.
3.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	User agency hereby undertake to pay the additional amount of NPV, if so determined as per the decision of the Hon'ble Supreme Court.
4.	The Non forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department.	User Agency Submitted Jama Bandi And Map of Non forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department. <b>Mutation Copy is enclosed.</b>

5.	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section -4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval.	We hereby undertake that, The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation will be declared as Reserved Forest under Section -4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
6.	The Complete compliance of the FRA, 2006 Shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	Original FRA certificate received from District Collector Ajmer attached with compliance report.(Set1)
7.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concern Division Forest Officer.	We hereby undertake that, The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concern Division Forest Officer. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
8.	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	The KML file of the area to be diverted and the CA areas has been uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details.
9.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.	User agency under the project has been transferred to CAMPA fund through e-portal. copy attached.
B	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
1.	Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 7.0484 ha non-forest land, Khasra No. 264/113, Village - Badiya Lumba, Tehsil - Beawar, District - Ajmer, Rajasthan at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.	Yes Forest department As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
3.	No tree felling shall be involved in the implementation of this project.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
4.	User Agency shall provide water connection for the Delwara Nursery situated at NH-8.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
5.	The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
6.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
7.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
8.	No labour camp shall be established on the forest land.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)



10.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
11.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
12.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
13.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
14.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
15.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred, to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
16.	The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
17.	The User Agency shall comply with all the provisions of the all acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
18.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
19.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)
20.	The compliance report shall be uploaded one-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> )	User agency agree and in this regard undertaking has been given. (Attached)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार चार सेट मूल।

भवदीय  
  
 (सुनील चिद्री)  
 उप वन सहायक  
 अजमेर



## Office Of The Deputy Coservator of Forest Wildlife Rajsamand

Tulsi Sadhana Shikhar road, Jal Chakki Kankorali Email Id- dcf.wl.rajsamand@gmail.com 02952-223813

Sr. No. Dcfwl/FP/RJ/WATER/Sur./2023

343

Date: 12-01-23

To,

Chief Conservator of forest,  
Wildlife Udaipur

**Subject:** Submission of Stage -I Compliance Report for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan [Proposal No. FP/RJ/WATER/33714/2018].

**Reference:** - Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Integrated Regional office, A218 & B216, Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur Letter No. 8B/RAJ/08/20/2021/FC dated 06<sup>th</sup> June, 2022,.

Sir,

With reference above mentioned cited subject, Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Integrated Regional office, A218 & B216, Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur has granted the stage-I clearance for above mentioned project vide Letter No. 8B/RAJ/08/20/2021/FC dated 06<sup>th</sup> June, 2022, Now We are herewith submitting the point wise Compliance Report for your reference and necessary action please.

**ONLINE PROPOSAL NUMBER: - FP/RJ/WATER/33714/2018**

Sr. No.	Conditions	Compliance
1.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be Maintained for 10 years.  The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	CA Amount has been deposited by user agency in favour of Ajmer forest Division.



2.	<p>The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the <b>7.0484 ha</b> forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well- as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and <b><u>revision of NPV vide Ministry letters No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022</u></b> in this regards.</p>	<p>Net Present Value (NPV) for the <b>7.0484 ha</b> forest area to be diverted under this proposal has been deposited of the total amount Rs. <b>1,36,49,898/- (One Crore, Thirty Six Lakhs, Forty Nine Thousand, Eight Hundred, Ninety Eight of which the sum of (Rs. 91,74,862/-Ninety One Lakhs, Seventy Four Thousand, Eight Hundred, Sixty Two is for Rajsamand Division)</b> through E-Challan (<a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a>) in CAMPA Fund on <b>01<sup>st</sup> December, 2022</b> as per orders of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and <b><u>revision of NPV vide Ministry letters No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022</u></b> .</p> <p><b>Payment Slip is Enclosed.</b></p>
3.	<p>Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon's Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, Shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.</p>	<p>User Agency has submitted an undertaking that, Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon's Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee; in this case they will also deposit the difference NPV amount demand by Forest Department.</p> <p><b>Undertaking for Making Payment of NPV as Per revised rates is Enclosed.</b></p>
4.	<p>The non-forest land proposed for CA shall be</p>	<p>Related to Ajmer forest Division.</p>

	transferred and mutated in favour of State Forest Department.	
5.	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section -4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval.	Related to Ajmer forest Division.
6.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	Complied. <b>(Copy enclosed).</b>
7.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concern Division Forest Officer.	User Agency has submitted an undertaking that, The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Division Forest Officer. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
8.	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.	Not related to this division as land allotted for CA is located in Ajmer forest division.
9.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	User Agency has submitted an undertaking that, all the Funds have been deposited by them in CAMPA fund only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ). <b>Undertaking &amp; Chalan enclosed.</b>



**B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/ Stage-II approval:**

Sr. No.	Conditions	Compliance
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	User Agency has submitted an undertaking that, Legal status of the Forest land will be remain unchanged. <b>Undertaking Enclosed.</b>
2.	Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.	User Agency has submitted an undertaking that, Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency. <b>Undertaking Enclosed.</b>
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 7.0484 ha non-forest land, Khasra No. 264/113, Village - Badiya Lumba, Tehsil - Beawar, District - Ajmer, Rajasthan at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.	Related to Ajmer forest Division.
4.	No tree felling shall be involved in the implementation of this project.	User Agency has submitted an undertaking that, No tree felling will be involved in the implementation of this project. <b>Undertaking enclosed.</b>
5.	User Agency shall provide water connection for the Delwara Nursery situated at NH-8.	Related to Ajmer forest Division.
6.	The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after	User Agency has submitted an undertaking that, The Pipeline will be laid down 1.5 meter

	lying down of pipeline the ground will be leveled.	below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled. <b>Undertaking enclosed.</b>
7.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	User Agency has submitted an undertaking that, no damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused. <b>Undertaking enclosed.</b>
8.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	User Agency has submitted an undertaking that, the layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of Central Government. <b>Undertaking enclosed.</b>
9.	No labour camp shall be established on the forest land.	User Agency has submitted an undertaking that, no labour camp will be established on the forest land. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
10.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	User Agency has submitted an undertaking that, Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, will be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
11.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	User Agency has submitted an undertaking that, The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. <b>Payment Slip is Enclosed.</b>
12.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project	User Agency has submitted an undertaking that, no additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for



	work.	execution of the project work. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
13.	The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	User Agency has submitted an undertaking that, the Period of diversion under this approval will be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
14.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	User Agency has submitted an undertaking that, the forest land will not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
15.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	User Agency has submitted an undertaking that, the forest land proposed to be diverted will under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
16.	The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.	User Agency has submitted an undertaking that, User Agency will submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
17.	The User Agency shall comply with all the provisions of the all acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	User Agency has submitted an undertaking that, it will comply with all the provisions of the all acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project. <b>Undertaking is Enclosed.</b>

18.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	User Agency has submitted an undertaking that, Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
19.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	User Agency has submitted an undertaking that, User Agency will accept Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
20.	The compliance report shall be uploaded on e-Portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> )	User Agency has submitted an undertaking that, Compliance report has been uploaded on e-Portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) <b>Undertaking enclosed.</b>

Yours Faithfully

Tech  
a  
13/01/23  
AAC

(Dr. A.N. Gupta)

Deputy Conservator Of Forest  
Wildlife, Rajasamand







OFFICE OF THE EXECUTIVE DIRECTOR, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

To,

Deputy Conservator of Forest,

Ajmer/Rajsamand

**Subject:** Submission of Stage-I Compliance Report for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/WATER/33714/2018).

**Reference:** - Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Integrated Regional office, A218 & B216, Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur Letter No. BB/RAJ/08/20/2021/FC dated 06<sup>th</sup> June, 2022, Office of the Dy. Conservator of Forest, Ajmer letter No. F14 ( ) FCA/DCF/2022-23/8479 dated 08<sup>th</sup> September, 2022 and Office of the Dy. Conservator of Forest, Rajsamand Wildlife letter No. F ( ) DCF/Survey/FCA/15/2021/8594 dated 25<sup>th</sup> August, 2022.

Sir,

With reference above mentioned cited subject, Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Integrated Regional office, A218 & B216, Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur has granted the stage-I clearance for above mentioned project vide Letter No. BB/RAJ/08/20/2021/FC dated 06<sup>th</sup> June, 2022. Now We are herewith submitting the point wise Compliance Report for your reference and necessary action please.

**ONLINE PROPOSAL NUMBER: - FP/RJ/WATER/33714/2018**

**A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:**

Sr. No.	Conditions	Compliance
1.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required has been deposited of an Amount of Rs. 56,26,892/- (Fifty Six Lakhs, Twenty Six Thousand, Eight Hundred Ninety Two Rupees

	<p>Department by the project authority. The CA will be Maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.</p>	<p><b>Only</b> through E-Challan (<a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a>) in CAMPA Fund on dated <b>01<sup>st</sup> December, 2022</b> as per Deputy Conservator of Forest, Ajmer and Rajsamand demand Letter and approved CA Scheme with 10 years maintenance. We also hereby undertake that if CA amount is increased due to difference in prevailing wage rates, in this case we will also deposit the difference amount.</p> <p><b>Payment Slip and Undertaking enclosed.</b></p>
2.	<p>The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the <b>7.0484 ha</b> forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and <u>revision of NPV vide Ministry letters No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022</u> in this regards.</p>	<p>Net Present Value (NPV) for the <b>7.0484 ha</b> forest area to be diverted under this proposal has been deposited of an amount <b>Rs. 1,36,49,898/- (One Crore, Thirty Six Lakhs, Forty Nine Thousand, Eight Hundred, Ninety Eight</b> through E-Challan (<a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a>) in CAMPA Fund on <b>01<sup>st</sup> December, 2022</b> as per orders of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and <u>revision of NPV vide Ministry letters No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022</u></p> <p><b>Payment Slip is Enclosed.</b></p>
3.	<p>Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon's Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, Shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.</p>	<p>We hereby undertake that, Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon's Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee; in this case we will also deposit the difference NPV amount demand by Forest Department.</p> <p><b>Undertaking for Making Payment of NPV as Per revised rates is Enclosed.</b></p>
4.	<p>The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department.</p>	<p>We hereby undertake that, The non-forest land proposed for CA has been transferred and mutated in favour of State Forest Department.</p>



		<b>Mutation Copy is enclosed.</b>
5.	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section -4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval.	We hereby undertake that, The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation will be declared as Reserved Forest under Section -4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
6.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	We hereby undertake that, complete compliance of the FRA has been completed. <b>(Copy enclosed).</b>
7.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concern Division Forest Officer.	We hereby undertake that, The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concern Division Forest Officer. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
8.	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.	We hereby Undertakes that, The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
9.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	We hereby undertake that, all the Funds have been deposited by us in CAMPA fund only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ). <b>Undertaking enclosed.</b>

**B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/ Stage-II approval:**

उप वन विभाग


अधिकांश अभियन्ता 3 | Page

Sr. No.	Conditions	Compliance
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	We hereby undertake that, Legal status of the Forest land will be remain unchanged. <b>Undertaking Enclosed.</b>
2.	Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.	We hereby undertake that, Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency. <b>Undertaking Enclosed.</b>
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 7.0484 ha non-forest land, Khasra No. 264/113, Village - Badiya Lumba, Tehsil - Beawar, District - Ajmer, Rajasthan at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.	We hereby undertake that, Compensatory afforestation will be taken up by the Forest Department over 7.0484 ha non-forest land, Khasra No. 264/113, Village - Badiya Lumba, Tehsil - Beawar, District - Ajmer, Rajasthan at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species will be planted and mono-culture of any species may be avoided. <b>Undertaking enclosed.</b>
4.	No tree felling shall be involved in the implementation of this project.	We hereby undertake that, No tree felling will be involved in the implementation of this project. <b>Undertaking enclosed.</b>
5.	User Agency shall provide water connection for the Delwara Nursery situated at NH-8.	We hereby undertake that, User Agency will provide water connection for the Delwara Nursery situated at NH-8. <b>Undertaking enclosed.</b>
6.	The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.	We hereby undertake that, The Pipeline will be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled. <b>Undertaking enclosed.</b>
7.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	We hereby undertake that, No damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused. <b>Undertaking enclosed.</b>
8.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	We hereby undertake that, The layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of Central Government. <b>Undertaking enclosed.</b>



9.	No labour camp shall be established on the forest land.	We hereby Undertake that, No labour camp will be established on the forest land. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
10.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	We hereby Undertake that, Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, will be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
11.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	We hereby Undertakes that, The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. <b>Payment Slip is Enclosed.</b>
12.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	We hereby Undertakes that, No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
13.	The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	We hereby Undertakes that, The Period of diversion under this approval will be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
14.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	We hereby Undertakes that, The forest land will not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
15.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	We hereby Undertakes that, The forest land proposed to be diverted will under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
16.	The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated	We hereby Undertakes that, User Agency will submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of

	Regional Office, Jaipur by the end of March every year.	March every year. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
17.	The User Agency shall comply with all the provisions of the all acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	We hereby Undertakes that, User Agency will comply with all the provisions of the all acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
18.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	We hereby Undertakes that, Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
19.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	We hereby Undertakes that, User Agency will accept Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
20.	The compliance report shall be uploaded on e-Portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> )	We hereby Undertakes that, Compliance report has been uploaded on e-Portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) <b>Undertaking enclosed.</b>

  
 उप वन संचालक  
 अजमेर

Yours Faithfully  
  
 अधिशासी अभियन्ता  
 जन स्वा. अभि. विभाग  
 परियोजना खण्ड, जवाजा  
 (Praveen Kumar)  
 Executive Engineer  
 Public Health Engineering Department  
 Project Division - Jawaja, Beawar  
 Ajmer - 305922





OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

To,

Deputy Conservator of Forest,

Ajmer / Rajsamand

**Subject:** Submission of Stage -I Compliance Report for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/WATER/33714/2018).

**Reference:** - Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Integrated Regional office, A218 & B216, Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur Letter No. 8B/RAJ/08/20/2021/FC dated 06<sup>th</sup> June, 2022, Office of the Dy. Conservator of Forest, Ajmer letter No. F14 ( ) FCA/DCF/2022-23/8479 dated 08<sup>th</sup> September, 2022 and Office of the Dy. Conservator of Forest, Rajsamand Wildlife letter No. F ( ) DCF/Survey/FCA/15/2021/8594 dated 25<sup>th</sup> August, 2022.

Sir,

With reference above mentioned cited subject, Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Integrated Regional office, A218 & B216, Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur has granted the stage-I clearance for above mentioned project vide Letter No. 8B/RAJ/08/20/2021/FC dated 06<sup>th</sup> June, 2022, Now We are herewith submitting the point wise Compliance Report for your reference and necessary action please.

**ONLINE PROPOSAL NUMBER: - FP/RJ/WATER/33714/2018**

**A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:**

Sr. No.	Conditions	Compliance
1.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required has been deposited of an Amount of Rs. 56,26,892/- (Fifty Six Lakhs, Twenty Six Thousand, Eight Hundred Ninety Two Rupees



	<p>Department by the project authority. The CA will be Maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.</p>	<p><b>Only</b> through E-Challan (<a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a>) in CAMPA Fund on dated <b>01<sup>st</sup> December, 2022</b> as per Deputy Conservator of Forest, Ajmer and Rajsamand demand Letter and approved CA Scheme with 10 years maintenance. We also hereby undertake that if CA amount is increased due to difference in prevailing wage rates, in this case we will also deposit the difference amount.</p> <p><b>Payment Slip and Undertaking enclosed.</b></p>
2.	<p>The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the <b>7.0484 ha</b> forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and <b>revision of NPV vide Ministry letters No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022</b> in this regards.</p>	<p>Net Present Value (NPV) for the <b>7.0484 ha</b> forest area to be diverted under this proposal has been deposited of an amount <b>Rs. 1,36,49,898/- (One Crore, Thirty Six Lakhs, Forty Nine Thousand, Eight Hundred, Ninety Eight)</b> through E-Challan (<a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a>) in CAMPA Fund on <b>01<sup>st</sup> December, 2022</b> as per orders of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and <b>revision of NPV vide Ministry letters No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022</b></p> <p><b>Payment Slip is Enclosed.</b></p>
3.	<p>Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon's Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, Shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.</p>	<p>We hereby undertake that, Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon's Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee; in this case we will also deposit the difference NPV amount demand by Forest Department.</p> <p><b>Undertaking for Making Payment of NPV as Per revised rates is Enclosed.</b></p>
4.	<p>The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department.</p>	<p>We hereby undertake that, The non-forest land proposed for CA has been transferred and mutated in favour of State Forest Department.</p>



		<b>Mutation Copy is enclosed.</b>
5.	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section -4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval.	We hereby undertake that, The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation will be declared as Reserved Forest under Section -4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
6.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	We hereby undertake that, complete compliance of the FRA has been completed. <b>(Copy enclosed).</b>
7.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concern Division Forest Officer.	We hereby undertake that, The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concern Division Forest Officer. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
8.	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.	We hereby Undertakes that, The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
9.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	We hereby undertake that, all the Funds have been deposited by us in CAMPA fund only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ). <b>Undertaking enclosed.</b>

**B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/ Stage-II approval:**



Sr. No.	Conditions	Compliance
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	We herby undertake that, Legal status of the Forest land will be remain unchanged. <b>Undertaking Enclosed.</b>
2.	Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.	We herby undertake that, Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency. <b>Undertaking Enclosed.</b>
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 7.0484 ha non-forest land, Khasra No. 264/113, Village - Badiya Lumba, Tehsil - Beawar, District - Ajmer, Rajasthan at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.	We hereby undertake that, Compensatory afforestation will be taken up by the Forest Department over 7.0484 ha non-forest land, Khasra No. 264/113, Village - Badiya Lumba, Tehsil - Beawar, District - Ajmer, Rajasthan at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species will be planted and mono-culture of any species may be avoided. <b>Undertaking enclosed.</b>
4.	No tree felling shall be involved in the implementation of this project.	We hereby undertake that, No tree felling will be involved in the implementation of this project. <b>Undertaking enclosed.</b>
5.	User Agency shall provide water connection for the Delwara Nursery situated at NH-8.	We hereby undertake that, User Agency will provide water connection for the Delwara Nursery situated at NH-8. <b>Undertaking enclosed.</b>
6.	The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.	We hereby undertake that, The Pipeline will be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled. <b>Undertaking enclosed.</b>
7.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	We hereby undertake that, No damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused. <b>Undertaking enclosed.</b>
8.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	We hereby undertake that, The layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of Central Government. <b>Undertaking enclosed.</b>



9.	No labour camp shall be established on the forest land.	We hereby Undertake that, No labour camp will be established on the forest land. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
10.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	We hereby Undertake that, Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, will be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
11.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	We hereby Undertakes that, The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. <b>Payment Slip is Enclosed.</b>
12.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	We hereby Undertakes that, No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
13.	The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	We hereby Undertakes that, The Period of diversion under this approval will be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
14.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	We hereby Undertakes that, The forest land will not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
15.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	We hereby Undertakes that, The forest land proposed to be diverted will under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
16.	The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated	We hereby Undertakes that, User Agency will submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of



	Regional Office, Jaipur by the end of March every year.	March every year. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
17.	The User Agency shall comply with all the provisions of the all acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	We hereby Undertakes that, User Agency will comply with all the provisions of the all acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
18.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	We hereby Undertakes that, Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
19.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	We hereby Undertakes that, User Agency will accept Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. <b>Undertaking is Enclosed.</b>
20.	The compliance report shall be uploaded on e-Portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> )	We hereby Undertakes that, Compliance report has been uploaded on e-Portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) <b>Undertaking enclosed.</b>

Yours Faithfully

**अधिशारी अभियन्ता**

जन स्वा. अभि. विभाग

परिवेश (Karnar) विभाग

**Executive Engineer**

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





राजस्थान RAJASTHAN

BH 912127



Date: 5/12/22

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

### Undertaking

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that,

1. I am an Indian Citizen.
2. I am Authorized Signatory of Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar,
3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon's Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee; in this case User Agency will also deposit the difference NPV amount demand by Forest Department.
4. The non-forest land proposed for CA has been transferred and mutated in favour of State Forest Department.

अधिकांशी अधिकारी

अथवा 10/100

512-22

श्री. कमलेश चंदा रमेश चंदा चंदा  
निवासी. इस्ते. कर्मिक

व्यावर

रमेश चंदा  
स्ट. न्य वेन्डर, व्यावर

A. S. S. S.



5. The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation will be declared as Reserved Forest under Section -4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval.
6. The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concern Division Forest Officer.
7. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.
8. All the Funds have been deposited by us in CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
9. Legal status of the Forest land will be remain unchanged.
10. Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.
11. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 7.0484 ha non-forest land, Khasra No. 264/113, Village - Badiya Lumba, Tehsil - Beawar, District - Ajmer, Rajasthan at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
12. No tree felling will be involved in the implementation of this project.
13. User Agency will provide water connection for the Delwara Nursery situated at NH-8.
14. The Pipeline will be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.
15. No damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused.
16. The layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of Central Government.
17. No labour camp will be established on the forest land.
18. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, will be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
19. The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
20. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
21. The Period of diversion under this approval will be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
22. The forest land will not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
23. The forest land proposed to be diverted will under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
24. User Agency will submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.

25. User Agency will comply with all the provisions of the all acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

26. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

27. User Agency will accept Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

28. Compliance report has been uploaded on e-Portal (<https://parivesh.nic.in>).

Yours Faithfully

  
अधिकाारी अभियन्ता  
जन स्वा. अति. विभाग  
परियोजना खात, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922



## Status of the Payment made by User Agencies

## Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Add CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Add PA : Additional Charges for protected area; NI : Net Present Value;

: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the challan has been generated.

: This icon shows that the payment yet to be made.

: This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region :	Select	Select State :	Select
Select User Agency :	Select		
Payment Status :	<input checked="" type="radio"/> Paid <input type="radio"/> Unpaid <input type="radio"/> All		
Bank Name :	Select	Mode of Payment :	Select
Transaction Date (From) :		Transaction Date (To) :	
Enter value for Search :	33714		
SEARCH			

Sno.	Proposal Detail	Application No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	PPRJ/WATER/33714/2018 (./viewreport.aspx?id=PPRJ/WATER/33714/2018)  Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Gangan	WATER33714201808306	Jun 2022	CA: 3391892/- Add CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPU: 13548895/- Erection of Pillars 235000/- Total: 14226790/-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date 15 Sep 2022  Union Bank Of India NEFT/RTGS (Challan) 16 Sep 2022 05 Dec 2022	Demand Letter (./writetoaddata/Fundpdf/060603221632588528_PPRJWATER337142018_User_Fund_Dem Generated Challan (./UserAccount/Net_ChallanCorp.aspx?pk=WATER33714201808306)



SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Digital India (HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

india.gov.in

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

myGov

(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

MeitY

(HTTP://WWW.MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (Contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fo(at)nic(dot)in

35

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-09-2022

Agency Name.	PHED
Application No.	5333714083
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/08/20/2021/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	Superintendent Engineer, Public Health Department, Project Circle, Todarmal Marg, Jal Bhawan, Ajmer
Amount(in Rs)	19276790/-

Amount in Words : One Crore Ninety-Two Lakh Seventy-Six Thousand Seven Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150855333714083 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-09-2022

Agency Name.	PHED
Application No.	5333714083
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/08/20/2021/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	Superintendent Engineer, Public Health Department, Project Circle, Todarmal Marg, Jal Bhawan, Ajmer
Amount(in Rs)	19276790/-

Amount in Words : One Crore Ninety-Two Lakh Seventy-Six Thousand Seven Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150855333714083 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: [helpdeskcampa@corpbank.co.in](mailto:helpdeskcampa@corpbank.co.in)

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to  
Email: [cb0371@unionbankofindia.com](mailto:cb0371@unionbankofindia.com)

२२  
उप वन परीक्षक  
अजमेर

अधिकांश अभियन्ता  
जन स्वा. शक्ति. विभाग  
परियोजना संचालक, जवाहर



RJ Code	Agency Code	Reference No.	Softcopy No.	Bill No. & Bill Date	Bill Amount	SNA Forward Date	Payment Status	Voucher No. & Date
RJ201	RJAJ00005734	183060	SNV80114001000 000000000170202 211301155	40 30/11/2022	19276790.00	30/11/2022	Done	114823 01/12/2022

SNA  
ITEMS

२२  
बिना

अधिराजी अभियन्ता  
जन स्वा. अमि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

38

37



# Single Nodal Account योजना संचालन



Home LoginID: RJA00005734 Year: 2022-2023 Agency Name: 32102-EXECUTIVE ENGINEER PHED PROJECT DIVISION JAWAJA SNA Name: SWSM, JAIPUR, RAJASTHAN

Master Bill Processing Authorization Reports Other Bill Digital System Admin LogOut

Beneficiary Wise Payment Status SNA

Enter Ref. No. 183056 Submit

S.No.	File Name	Beneficiary Name	Beneficiary ID	Beneficiary A/C No.	Beneficiary Amount	Payment Status
1	SNV8011400100000000000017020211301135	RAJASTHAN CAMPA	183080113740681997339	150855313714083	19276790.00	Payment Done





(16)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. A - 3**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon's Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, in this case we will also deposit the difference NPV amount demand by Forest Department.

Yours Faithfully

  
अधिलेखा अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

Public Health Engineering Department

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922



10

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. A - 3**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon's Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, in this case we will also deposit the difference NPV amount demand by Forest Department.

Yours Faithfully

  
अधिशायी अभियन्ता  
जन स्वा. अधि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

  
उप वन मंत्रालय  
अजमेर





17

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

**Ref:** FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

**Date:** 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. A - 5**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation will be declared as Reserved Forest under Section -4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval.

Yours Faithfully

  
अविश्वसनी अभियन्ता  
जन स्वा. अशि. विभाग  
परियोजना विभाग, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

Public Health Engineering Department

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922



17

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

**Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26**

**Date: 5/12/2022**

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. A - 5**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation will be declared as Reserved Forest under Section -4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval.

Yours Faithfully


  
**अधिकाारी अभियन्ता**  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

  
उप वन संरक्षक  
अजमेर



Form- 1  
(for linear projects)  
Government of Rajasthan

Office of the District Collector Ajmer

No. कांसा/सुज/2020/5362

Dated 23/07/2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 6.4731 Hectare of forest land in **Block Jawaja of Tehsil Beawar** forest division Ajmer proposed to be diverted in favour of Sup. Engineer (Project Division), PHED, Ajmer for crossing forest land for pipe line for drinking water supply in Fluoride Control Project, Jawaja, Beawar.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 6.4731 Hr. of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residing in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers ( Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1 to annexure**.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above



उप कम सचिव  
अजमेर

(Prakash Rajpurohit)  
District Collector, AJMER  
जिला कलेक्टर, अजमेर

अधिसूचना अभियन्ता  
सूचना एवं अभि विभाग

# कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

## उपस्थिति विवरण

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम  
तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत जिला स्तरीय कमेटी का  
2020 प्रातः 10:30 बजे में निम्नलिखित सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित हैं

क्र०सं०	नाम अधिकारी	पदनाम	ह.
1	श्री प्रकाश राजपुरोहित	जिला कलक्टर, अजमेर	
2	श्रीमती सुदीप कौर	उप वन संरक्षक, अजमेर	
3	श्री मजेन्द्र सिंह राठौड़	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अजमेर	
4	श्री कैलाशचन्द्र शर्मा	अति. कलक्टर (प्र), अजमेर	
5	श्रीमती देविका तोगर	उपखण्ड अधिकारी, अजमेर	
6	श्रीमती तारामती वैष्णव	उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़	
7	श्री समन्दरसिंह भाटी	उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन	
8	प्रियंका बड़गुजर	उपखण्ड अधिकारी, अराई	
9	उदय कुमार Co. Dm	पावरग्रिड, अजमेर	
10	Lalit Kumar Dy. Manager	पावरग्रिड, अजमेर	
11	M. K. Jamal XEN (T41)	XEN (T41) RRUPML, 9414061481	
12	Rajesh Modi	PDC (PPD), PWD	
13	Rajesh Kumar	EE, PHED, 44-2	
14	Devika Tama	Asst. Ajme.	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

अजमेर

अधिक्षापी अभियन्ता  
जन स्वा. अधि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाड़ा



राजस्थान सरकार

**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर जिला-अजमेर (राज0)**

क्रमांक/राजस्व/2020/6901

दिनांक :- 23/07/2020

**अनापत्ति प्रमाण-पत्र**


अधिशायी अभियन्ता जन स्वा.अभि. विभाग परियोजना खण्ड जवाजा के पत्रांक/717-19 दिनांक 18.02.2020 के फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना ब्यावर-जवाजा के अन्तर्गत जल वितरण हेतु पाईप लाईन डालने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिन खसरो की सूची उक्त विभाग द्वारा ही बताई गयी है जिसमें परियोजना पाईप लाईन कुछ स्थानों पर वन क्षेत्र से होकर गुजर रही है जिसके संदर्भ में अनुसूचित जाति/जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति के संबंध में एफ0आर0ए0 (FRA) प्रमाण-पत्र चाहा गया है।

उपखण्ड स्तरीय समिति बैठक दिनांक 23.07.2020 द्वारा उक्त प्रकरण में विचार-विमर्श किया गया कि ग्राम देलवाडा, गढ़ीथोरियान, बलाड़, नरबदखेड़ा, केसरपुरा, भोजपुरा, गोहाना, सनवा, बाडिया लूम्बा, राजियावास, कालिंजर, नाहरपुरा, सरवीना, सूरजपुरा, देवाता, भाम्बीपुरा, कलातखेड़ा, बाडिया नंगा, जवाजा, भगवानपुरा, शिवनगर, पुनेरा, सूरजपुरा, बाडिया भाऊ, जालिया-द्वितीय वासरुपा, चिलियाबड़, बीया खेड़ा, तारागढ़, दांदोला, बागलिया व लोटियाना के अवाप्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि जो की फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत आ रही है, उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में अनु.जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति के सम्बन्ध में उक्त भूमि में कोई वनवासी निवास नहीं करते हैं तथा अनु.जाति/जनजाति एवं वनवासी का किसी प्रकार का दावा भी प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उक्त ग्रामों के खसरा नम्बरान के क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जाति/जन जाति अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों में उल्लेखित पात्रता नहीं रखते हैं इसलिए एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
ब्यावर (राज.)

  
उपखण्ड अधिकारी  
अजमेर

  
अधिशायी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

दिनांक 20-9-2019 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिती का आयोजन किया गया जिसमें, जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने की आवश्यकता बताई गई तथा उक्त पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने के विकास कार्य में राजस्व ग्राम चिहियावा की 0.0594 हेक्टेयर वन भूमि उक्त पानी सप्लाई पाईपलाईन के बिछाने में काम आयेगी। एवं उपयोग में आने वाली वनभूमि पर (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्राम सभा में अवगत करवाया गया की जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही है तथा 199 गावों व 390 ढाणियों को पानी की आपूर्ति के लिए इस की आवश्यकता बताई गई एवं सभी ग्राम वासियों की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने का विकास कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्रामसभा के रजिस्टर में क्रमांक 92 पर इन्द्राज कर दिया गया है।

प्रस्ताव संख्या - FP/RJ/WATER/33714/2018

परियोजना का नाम- जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन

ग्राम- चुवाडिया, चिहियावा - 0.0594

आवश्यक प्रतापितवनभूमि- 0.0593 हेक्टेयर


तहसील-

जिला-अजमेर (राजस्थान)

  
सरपंच

ग्रामपंचायत-  
तहसील- (अजमेर)

  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्रामपंचायत (अजमेर)  
तहसील- (अजमेर)

  
अधिशर्मा अभियन्ता  
वन स्वा. अधि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा



बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6
<p>अंज निम्न 20-9-2019 को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा क्षेत्र-नॉर्मिता पर ग्राम पंचायत की समिति बैठक का आयोजन किया गया जिसमें श्रीमती लक्ष्मीदेवी सायब की अध्यक्षता में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।</p>	रा-लोखोवी
<p>प्रस्ताव संख्या 10 निम्न प्रस्ताव कीजिए का पट्टा नवनिर्माण देह प्रस्ताव रखने जिसमें बड़ियागा हाथ पर निर्माण किया गया है निम्न प्रारंभिक का पट्टा नवनिर्माण का प्रस्ताव सर्वेक्षण प्रारंभिक किया गया।</p>	रज्जाड
<p>1) नैनीताल 5/6 लोखो-गाँव चिलिगाँव</p>	भगतावी
<p>2) लोखो-गाँव 5/6 जैन्दागा - 2-</p>	
<p>3) बिजलीवी 5/6 प्रदीपगाँव नरिगाँव</p>	विपादीह
<p>4) देशगाँव 5/6 राजलाल नरिगाँव</p>	
<p>5) लक्ष्मीवी 5/6 जालुगाँव नरिगाँव</p>	
<p>6) लोखो-गाँव 5/6 जालुगाँव नरिगाँव</p>	
<p>प्रस्ताव संख्या 11 आयोजन की अभियन्ता जन सेवा अभि. विभाग की योजना के तहत जवाजा प्रोजेक्ट के तहत पानी सफाई कार्यवाही वन विभाग की समिति बना रही है पट्टा वन प्रकृति वन जवाजा प्रोजेक्ट में जवाजा तथा अतिरिक्त जवाजा प्रकृति वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी के प्रावधानों अनुसार अनुपस्थित परागत वजहों से अधिकारी की मान्यता अधिकारिता रखने का पट्टा 3 (1) व 3 (2) के तहत जवाजा पंचायत का अनुपस्थित प्रस्ताव पर प्रावधान है अतः जवाजा पंचायत में प्रस्ताव रखने के लिए संप्रदाय में सर्वेक्षण प्रारंभिक प्रारंभिक किया गया।</p>	संकासी
<p>प्रस्ताव संख्या 12</p>	काजी

जन सेवा अभि. विभाग  
परियोजना सहायक, जवाजा

राज. वि. अभि. विभाग  
राज. पंचायत, नरिगाँव  
पं. स. जवाजा (अध्यक्ष)

अधिसूचना अभियन्ता  
जन सेवा, अभि. विभाग

[illegible]



दिनांक 27/11/19 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिती का आयोजन किया गया जिसमें जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने की आवश्यकता बताई गई तथा उक्त पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने के विकास कार्य में राजस्व ग्राम भवाजा, पुनेरा, शिवनगर 0.2858 हैक्टेयर वन भूमी उक्त पानी सप्लाई पाईपलाईन के बिछाने में काम आयेगी। एवं उपयोग में आने वाली वनभूमी पर (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधाननुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्राम सभा में अवगत करवाया गया की जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही है तथा 199 गावो व 390 ढाणियों को पानी की आपूर्ति के लिए इस की आवश्यकता बताई गई एवं सभी ग्राम वासियों की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने का विकास कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्रामसभा के रजिस्टर में क्रमांक 03 पर इन्द्राज कर दिया गया है।  
प्रस्ताव क्रमांक 27/11/2019

प्रस्ताव संख्या - FP/RJ/WATER/33714/2018

परियोजना का नाम- जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन

ग्राम-

आवश्यक प्रतावितवनभूमि- 0.2858 हैक्टेयर

तहसील-

जिला-अजमेर (राजस्थान)


- भवाजा - 0.0688 हैक्टेयर
- भगवानपुरा
- पुनेरा - 0.0827 हैक्टेयर + 0.0598 हैक्टेयर ( रेवारी वन + पुनेरा)
- रत्नपाना
- शिवनगर - 0.0745 हैक्टेयर

  
सहसंचालक

ग्रामपंचायत, जवाजा  
तहसील-अजमेर (अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी

ग्रामपंचायत-  
तहसील- (अजमेर)

  
अधिक्षाधी अभियन्ता  
जवाजा अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

22/11/2019

59

29

J.P.D.P

COMPANION

श्रीमान बिक्रम लाल अधिकारी पंचायत समिति-जवाजा के पत्रांक - पराज/पंचायत/2019/2557-60 की पालना में ग्राम पंचायत स्तर पर J.P.D.P 2020-21 के निर्माण हेतु निम्नानुसार ग्राम समा उम्माड़ी सुन्नी सीमा कटारिया एवं सरपंच महोदय की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। जो दिनांक 20-11-2019 के हचान पर 24-11-2019 की ग्राम समा का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी निम्न हैं -

क्र.सं.	नाम कर्मचारी/अधिकारी	पद	विभाग	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती विजयलक्ष्मी बंशीवाल	सरपंच	पंचायतीराज	22/11/19
2.	सुन्नी सीमा कटारिया	J.P.A	पंचायतीराज	
3.	श्रीमान उमाश जाट	P.D.O	"	
4.	किशोर सिंह	क.प.	"	
5.	जसवंत राव			
6.	के.रु.देवी	बडि पंच	के.रु.देवी- जवाजा 22201	लीला मोहन

जवाजा  
अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभियन्ता  
परियोजना खण्ड, जवाजा

अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभियन्ता  
परियोजना खण्ड, जवाजा

त्रिलोक  
रामजीलाल  
बेगारसिंह  
मंडलिया



कुशली ③ जमीर खान के कमान से लिट्टे मिट्टे हुआ।  
 की २२ १९९२ जगह

④ मन्गी देवी से समझाई के नवान होत  
 हुए २२०८ की २२ १९९२ जगह

⑤ मन्गी देवी मन्गी मन्गी से लेख रात के नवान  
 की २२ १९९२ जगह

⑥ मन्गी देवी के नवान से लेख रात के नवान  
 की २२ १९९२ जगह

⑦ मन्गी देवी के नवान से लेख रात के नवान  
 की २२ १९९२ जगह

⑧ मन्गी देवी के नवान से लेख रात के नवान  
 की २२ १९९२ जगह

⑨ मन्गी देवी के नवान से लेख रात के नवान  
 की २२ १९९२ जगह

⑩ मन्गी देवी के नवान से लेख रात के नवान  
 की २२ १९९२ जगह

⑪ मन्गी देवी के नवान से लेख रात के नवान  
 की २२ १९९२ जगह

⑫ मन्गी देवी के नवान से लेख रात के नवान  
 की २२ १९९२ जगह

⑬ मन्गी देवी के नवान से लेख रात के नवान  
 की २२ १९९२ जगह

⑭ मन्गी देवी के नवान से लेख रात के नवान  
 की २२ १९९२ जगह

⑮ मन्गी देवी के नवान से लेख रात के नवान  
 की २२ १९९२ जगह

67

21



Date: / /  
Page:

उत्तर (1) प्रस्ताव के साथ आज की साधारण सभा सम्पन्न हुई।

अतः

जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाहर

जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाहर

अधिकांश अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाहर



# बलाड-ग्राम पंचायत, बलाड

पंचायत समिति जवाजा, जिला-अजमेर (राज.)

सरपंच  
**गीता रावत**  
मो. 94146-66720

ग्राम पोस्ट-बलाड  
तहसील-न्यावर  
( जिला-अजमेर ) राज.

क्रमांक गा० प०/बलाड/जवाजा/69

दिनांक 02-12-2019

**आधिशायी अभियन्ता**  
**PHED परियोजना खण्ड जवाजा**

दिनांक 20.11.2019 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिती का आयोजन किया गया जिसमें, जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने की आवश्यकता बताई गई तथा उक्त पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने के विकास कार्य में राजस्व ग्राम बलाड/गढ़ीपोरिया 0.0808 + 0.0436 हेक्टेयर वन भूमी उक्त पानी सप्लाई पाईपलाईन के बिछाने में काम आवेगी। एवं उपयोग में आने वाली वनभूमी पर (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लगित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्राम सभा में अवगत करवाया गया की जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही है तथा 199 गांवों व 390 ढाणियों को पानी की आपूर्ति के लिए इस की आवश्यकता बताई गई एवं सभी ग्रामवासियों की सहमती से प्रस्ताव पारित किया गया तथा किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने का विकास कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्रामसभा के दिनांक 7 पर इन्द्राज कर दिया गया है।

प्रस्ताव संख्या - FP/RI/WATER/33714/2018

परियोजना का नाम- जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन

ग्राम- बलाड/गढ़ीपोरिया

आवश्यक प्रतापितभूमि 0.0808 + 0.0436 हेक्टेयर

तहसील- न्यावर

जिला-अजमेर (राजस्थान)

*Sanjay*  
आधिशायी अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अधिकांशिकी विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

*गीता*  
सरपंच  
ग्रामपंचायत बलाड

*[Signature]*  
आधिशायी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

*[Signature]*  
ग्रामाविकास अधिकारी  
ग्रामपंचायत बलाड

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
<p>प्रस्ताव सं. (1) -</p> <p>गत कार्यवाही बैठक विवरण सदन ने समझा प्रस्तुत कर पद सं सुनाया गया जिसका सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।</p>	<p>6</p> <p>डा. राजेंद्र</p> <p>सदस्य</p> <p>ग्राम पंचायत बलवा</p> <p>पं. स. जयज (अजमेर)</p>
<p>प्रस्ताव सं. (2) -</p> <p>सदन में कार्यालय में बिजली, फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक कार्यालय उपयोगी वस्तुओं के बारे में चर्चा की गई। चर्चा उपरान्त सदन द्वारा कार्यालय में उपयोग हेतु बेंचरी, इन्वर्टर, धुसी, तथा क्लर प्रिन्टर की खरीद हेतु सहमति प्रदान की गई, तथा अन्य आवश्यक सामान भी खरीद हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।</p>	<p>चौधरी देवी</p> <p>बेलाश सिंह</p> <p>20.11.19</p> <p>पं. कार्लोस बाबा</p>
<p>प्रस्ताव सं. (3) -</p> <p>पटवारी कालियाबास द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण निम्नानुसार है।</p> <p>गाम बेचा नं. 108</p> <p>क्रेता - गंगा पालि छोड़ मेहवात निवासी समला</p> <p>विक्रेता - धनना बल्द वहीमा निवासी समला ता. 16</p> <p>खसरा नं. - 107, 116, 117</p> <p>व्यापक</p>	<p>बहादुर सिंह</p> <p>5.3.19 डिनर</p> <p>20.11.19</p> <p>पं. बलब</p> <p>डा. पटवारी</p> <p>विष्णु मा. सोदा</p>
<p>2) कालियाबास</p> <p>विरासत</p> <p>ना. नं. 165</p> <p>मृतक - अक्बर बल्द</p> <p>अम्मा निवासी नवगीर</p> <p>वापिसान - शंकर मुत्र शंकर</p> <p>उमला सुन्दर पुत्रियाँ मऊबर</p> <p>मुकेश बलवीर सुलेमान</p>	<p>शारदा देवी</p> <p>वहीमा</p> <p>जयज</p> <p>अजमेर</p> <p>राज्य अधिकाधिक विभाग</p> <p>जयज</p>



बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
<p>5                      व. किरण खीपा-पत्ति विद्यास                      खीपा जाति खीपा निवासी                      132 निवासी. श्याम सुन्दर गली                      तेजा चौक व्यावर                      फिरेता - कमला जोरें बिरान                      लाल माली सा. नया नगर ग्राहक                      उक्त नामान्तरण को मो.प्र. द्वारा सर्वसम्मति                      से प्रारित किया गया।</p>	<p>6</p>
<p>प्रस्ताव संख्या 1 -                      सदन में आचूबाधी अधिवक्ता जग                      स्वा. धर्म. विभाग परियोजना खण्ड, जवाजा को प्राप्त                      पत्र पर न्याय की गई। पत्रानुसार जवाजा                      परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाइन विभाग का                      विकास कार्य किया जा रहा है। पत्रानुसार                      जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाइन                      वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, जिससे                      तहत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र                      वापस लिया है। ग्राम पंचायत बलाड़ के राजेश                      ग्राम बलाड़ तथा गढ़ी चोरेमान से यह                      पाईपलाइन गुजरेगी जो कि 0.0808 हेक्टेयर                      बलाड़ तथा 0.0436 हेक्टेयर गढ़ी चोरेमान                      में है।                      उक्त पत्र पर सदन द्वारा न्याय की गई                      तथा प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रारित किया                      गया कि ग्राम पंचायत को उक्त प्रस्ताव                      से कोई आपत्ति नहीं है। तथा सम्बन्धित विभाग                      को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावे।</p>	<p>अधिवक्ता अधिवक्ता                      जग स्वा. धर्म. विभाग                      परियोजना खण्ड, जवाजा</p>

# कार्यालय ग्राम पंचायत, गोहाना

श्रवण सेन

सरपंच

मो. 9610896696

पंचायत समिति-जवाजा ( जिला-अजमेर ) राज.

30

निवास:

ग्राम - गोहाना

जिला-अजमेर ( राज. )

क्रमांक : शा.पं.गो. / 19-20 / 71

दिनांक 20.9.17

दिनांक 16.9.17 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति का आयोजन किया गया जिसमें, जवाजा परिमोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने की आवश्यकता बताई गई तथा उक्त पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने के विकास कार्य में शामिल ग्राम गोहाना की 0.0696 हेक्टेयर वन भूमि उक्त पानी सप्लाई पाईपलाईन के बिछाने में काम आयेगी। एवं उपभोग में आने वाली वनभूमि पर (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अवकाश प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्राम सभा में अवगत करवाया गया की जवाजा परिमोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही है तथा 1990ों के व 390 अधिनियमों के पानी की आपूर्ति के लिये इस की आवश्यकता बताई गई एवं सभी ग्रामवासियों की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा किसी भी संशय को वन सेवा से जवाजा परिमोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने का विकास कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्रामसभा के 2 सितंबर में हुआ 07 पर इन्तजाम कर दिया गया है।

① गोहाना की 0.0696 हेक्टेयर वन भूमि

② सनवा की 0.0431 हेक्टेयर वन भूमि

प्रस्ताव का - AP/RS/WATER/33714/2018

परिमोजना का नाम - जवाजा परिमोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन

ग्राम - गोहाना, सनवा

तहसील - व्यास

जिला - अजमेर

अधिकांशी अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग

परियोजना खण्ड, जवाजा

सरपंच  
ग्राम पंचायत गोहाना  
प. स. जवाजा (अजमेर)

अधिकांशी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत गोहाना  
प. स. जवाजा (अजमेर)

जवाजा



( महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिबिर )

Kamal

16.09.2019

आज दिनांक 16.09.2019 को कार्यक्रम गा.प. गांधीना के  
शालीव गांधी. विभागेड पर महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिबिर का  
कार्यक्रम श्रीमान गांधीना उद्योगधर्मो मंडल शाखा में करार  
प्रेम श्रीमान सुभक्त सचिव (इलाहाबाद) गांधी विकास एवं प्रशासकीय विभाग  
जयपुर के कादेश बुलाएं 18/09/2019/1822 दिनांक 02.09.19  
की अनुपालना में श्रीमान सरपंच सादर की कार्यक्षमता के गांधीना  
गांधीना में " महात्मा गांधी ग्रामोत्थान " शिबिर का कार्यक्रम विभागा/  
इसमें निम्न जन प्रतिनिधि / कार्यकारी / अधिकारियों में भाग लिया।

क्र.सं.	नाम/कर्मचारी/अधिकारी/जनप्रतिनिधि	पद	हस्ताक्षर
1	श्री विमल कुमार शर्मा	उप-प्रमुख	
2	श्री अरवि शर्मा	सचिव	
3	श्रीमान राकेश बालोदिया	कार्यकारी	
4	अरवि कुमार कौशिक	कार्यकारी	
5	सचिव कुमार	कार्यकारी	
6	अनिल कुमार	कार्यकारी	
7	सचिव कुमार	कार्यकारी	
8	सचिव कुमार	कार्यकारी	
9	सचिव कुमार	कार्यकारी	
10	सचिव कुमार	कार्यकारी	
11	सचिव कुमार	कार्यकारी	
12	सचिव कुमार	कार्यकारी	
13	सचिव कुमार	कार्यकारी	
14	सचिव कुमार	कार्यकारी	
15	सचिव कुमार	कार्यकारी	
16	सचिव कुमार	कार्यकारी	
17	सचिव कुमार	कार्यकारी	
18	सचिव कुमार	कार्यकारी	
19	सचिव कुमार	कार्यकारी	
20	सचिव कुमार	कार्यकारी	
21	सचिव कुमार	कार्यकारी	
22	सचिव कुमार	कार्यकारी	
23	सचिव कुमार	कार्यकारी	

अधिसूचना अधिनियम  
जन स्वा. अधि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा



श्रीगुरुदेव  
सरोजदेवी

Ques पूर्ण प्रामाण्य को कार्निवाले को मना न  
... पक्ष (गुंम) बना। # उपरि लिखे गए विचारों में  
द्वयविमत के अनुकूलन किया।

CH<sub>2</sub>NHR

प्रश्न (2) लंदन में प्राप्त जानकारी कि मंगल ग्रह के  
मेकानिक से परस्पर क्रिया के अनुसार एक C.C. पद  
का निर्माण करवाया जाये ताकि सर्व प्राचीन  
सुविधाओं साथ ही सुगम हो सके। इस लिए

ਦੁਸ਼ਮੀਦ  
ਕਿਰਾਨੀ ਦਿ

Q1) पंचांग के महान से रामांगि आदिनाम के  
महान नम ८८ हस्त आदिनाम / विनाम

सुभा ५६  
बलरा ॥१६॥

24/12/15

(2/100)② किशन गोपा के अग्रह से 362 लिट्र के अग्रह  
तक 00 लाख किशन 1 5 लाख

ਮੋਲਾ ਸਿੰਘ

21st

राधाजी सावरकर

2005) માલમિદિ એ સમાન છે બરિમિદિ એ  
મકાન ના C.C. વિમલ / સમાન

मरव कि टी

( $\{R_1, R_2, R_3\}$ )

(250) ~~ଅନୁସନ୍ଧାନ~~ ଶିକ୍ଷାମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା  
ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

दिनेश सिंह

(7) 506) சூரியாதிதீபகார தேவாலி கெடுக்கப்பட்டது  
C.C. 653 பி.சி / 1. லைப்

(2) 50 (6) મહેસુલિય કે મકાન ને મડા / દલા કે  
મકાન નાક વા. બાક મિનિ / દલા બા.

10/10/10

(१५) मदन / राजा के अकेल पक्ष में बलवान सिंह  
कि मदन वह लड़का जिसे राजा ने

1305

② બાણુદિ કે મહાગ દિને લખિ કે મહાગ રત 11.14  
૯.૯.૧૭ રોજ

3202K

प्रश्न-३) (1) गुरुमसत्रा हराम बान्नि हैवी / हरिसिंह  
ने पडा नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया

पृष्ठ संख्या

शान्तिदेवी/हरिसिंह गोघाना ०३/२१/०१/१३ १५३/१२

100

रस पर सर्वसम्पत्ति से बैठक होताने विचार विमर्शदिना  
दिना और कोरम द्वारा पड़ा नवीनीकरण नर नैरा



Kamal

हेतु, का प्रस्ताव लिखवाया गया। उक्त प्रस्तावों के संवध में ग्रामसभा में उपस्थित समस्त सदस्यों/लोगों ने विचार-विमर्श कर इन प्रस्तावों को पारित करने का निर्णय लिया।

प्र० सं० - (07): बैठक दौरान सरपंच साहब महोदय द्वारा निम्न प्रस्ताव कोरम के समक्ष रखा गया -

डिनांड 16.03.13 को ग्राम स्तरीय वन अधिधार समिति का आयोजन हुआ गया जिसमें जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पारिप्लान विधाने की आवश्यकता बताई गई तथा उक्त पानी सप्लाई पारिप्लान विधाने के विकास कार्य में राजसू ग्राम सनवा की ए०५६८ हैसियत वन भूमि उक्त पानी सप्लाई पारिप्लान के विधाने में काम आयेगी एवं उपभोग में आने वाली वनभूमि पर (अधिराओं की मान्यता) अधिनिगम 2004 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार उक्त भूमि पर वन अधिधार का कोई भी कार्य सम्पन्न/प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्रामसभा में उपगत काया गया की जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पारिप्लान को वन विभाग की भूमि से गुजर रही है तथा 13 मीटर के 330 हाथियों की पानी की आपूर्ति हो लिए वस की आवश्यकता बताई गई एवं सभी ग्रामवासियों की सहमति से प्रस्ताव पारित हुआ गया तथा डिमांड नं० सदस्य को वन क्षेत्र में जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पारिप्लान विधाने का विकास कार्य करने में कोई बाधा नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्रामसभा के जिसमें 07 पर इन्डाय कर दिया गया है। राजसू ग्राम सनवा की 0.0636 हैसियत वन भूमि की उपस्थिति वस प्रस्ताव पर कोरम में उपस्थित सदस्यों ने विचार-विमर्श कर NCC जारी करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।

अधिशायी अभियन्ता

प्र० सं० - (08): बैठक दौरान श्रीमान सरपंच साहब महोदय द्वारा निम्न लिखित कार्यों के प्रस्तावों को ग्रामसभा में शामिल करवाने का प्रस्ताव ग्रामसभा में उपस्थित लोगों के समक्ष रखा -

1. सामुदायिक चबूतरा मरम्मत कार्य - गौहाना - FFC-100
2. आंगनवाड़ी केन्द्र 1 व शौचालय मरम्मत - गौहाना - FFC-056
3. आंगनवाड़ी केन्द्र 2 व शौचालय मरम्मत - गौहाना - FFC-056

अधिशायी अभियन्ता  
सर्वोच्च न्यायालय  
नियोजन कण्ड, बर



- (10) श्रीमती मुष्पादेवी (नामित) - मंडेन सडल  
 (11) श्रीमती सुखीदेवी - "  
 (12) श्रीमती सुगनादेवी - "  
 (13) श्रीमती बबली गौस्वामी - "  
 (14) श्रीमती ध्यानीदेवी - "

प्रसंग - (10) वैठक दौरान निम्नलिखित पक्षाघाते हुए  
 शांत हुए जिस पर वैठक दौरान उपस्थित सभी  
 लोगों द्वारा विचार-विमर्श करते हुए पर्याप्त इनडे लावेहन  
 स्वीकृत करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया -

- (1) श्रीमती सुशीलादेवी जॉन्सोमसिंह - रामवेश घनार  
 (2) सुरेशसिंह ठाठेसिंह - रामवेश घनार  
 (3) राजीदेवी जॉन्सोमसिंह - गौहाना  
 (4) हरीशपाल सिंह - गौहाना  
 (5) गीतादेवी जॉन्सोमसिंह - रामवेश घनार

प्रमुख महोदय की अनुमति से ग्रामसभा की  
 कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की जाती है।

Sanjay

जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग  
 परियोजना खण्ड, जवाड़ा

सचिव  
 ग्राम पंचायत गौहाना  
 व. त. जवाड़ा (अजमेर)

अधिसूची अभियन्ता  
 जन स्वास्थ्य अभि. विभाग  
 परियोजना खण्ड, जवाड़ा



# कार्यालय-ग्राम पंचायत, सरवीना

70

पंचायत समिति जवाजा, जिला-अजमेर (राज.)

सरपंच

मुन्नीदेवी

मो. 9928998318

ग्राम-पोस्ट-सरवीना

तहसील-ब्यावर

(जिला-अजमेर) राज.

क्रमांक 54/4

दिनांक 5.12.19

दिनांक 5/12/19 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति का आमोहन किया गया जिसमें जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन बिछाने की आवश्यकता बताई गई तथा उक्त पानी सप्लाई पाइपलाइन बिछाने के विकास कार्य में 1. जवाजा ग्राम ① सरवीना में वन भूमि उक्त पानी सप्लाई पाइपलाइन के बिछाने में काम आयेशी एवं उपभोग में आने वाली वन भूमि पर (आवश्यकता की मान्यता) अधि. 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के अध्यादेशों के अन्तर्गत वन भूमि पर वनाधिकार का कोई दावा सम्बन्धित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्राम सभा में अवगत करवाया गया कि जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन जो वन भूमि की भूमि में गुजर रही है तथा 199 गांवों व 3906 बिघों में जवाजा वलियों की सदस्यता से उस्ताव फारित किया गया व किसी भी सदस्य को वन भूमि जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन बिछाने का विकास कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त उस्ताव ग्राम सभा के सिलेज के क्रमांक 23 पर इन्साल कर दिया गया है।

उस्ताव सं - FP/RS/WATER/33714/2018

परि. नाम - जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन

- ग्राम - ① सरवीना - 0.0707 हेक्टेयर  
 ② सुरजपुरा - 0.0838 हेक्टेयर  
 ③ नाहरपुरा - 0.0621 हेक्टेयर  
 ④ अंश का बाडिया - 0.0351 हेक्टेयर

मुन्नीदेवी  
 सरपंच  
 ग्राम पंचायत, सरवीना  
 पं. स. जवाजा (अजमेर)

जन विकास अधिकारी  
 ग्राम पंचायत, सरवीना  
 पं. स. जवाजा (अजमेर)

जन स्वास्थ्य समिति/जिला विभाग  
 परियोजना खण्ड, जवाजा

अधिकांशी अभियन्ता  
 जन स्वा. अभि. विभाग  
 परियोजना खण्ड, जवाजा



आज दिनांक 5.12.19 को श्रीमति सुन्नी देवी सरपंच महोदया की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय वनाचार सभिति का आयोजन किया गया जिसमें निम्न कार्यकारी व जनप्रतिनिधी उपस्थित थे।

क्र.सं.	कार्यकारी / जनप्रतिनिधी	पद	हस्ताक्षर
1.	श्रीमति सुन्नी देवी	सरपंच	सुन्नी देवी
2.	श्री गोपाल बेरवा	V.D.O.	गोपाल बेरवा
3.	श्री रविन्द्र आषा मीठ	P.D.C.	रविन्द्र

उस्ताव सं. (1) सर्वप्रथम ग्राम सभा में गत बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई गई जिसका अनुमोदन सर्वसहमति से किया गया।

उस्ताव सं. (2) दिनांक 20.11.19 उस्ताव सं. (3) में प्राप्त पत्रावली तथा गठीत सौका परीक्षण कर कमेटी की रिपोर्ट सकारात्मक प्राप्त हुई तथा हल्का पटवारी द्वारा उक्त स्थलों का आकारी मुमि में होना बताया गया जाकर जमीन व नकल नक्शा इस जारी किया गया। सदन में विस्तृत चर्चा कर उक्त आवेदकों को प्रदत्त जारी करने से पहले सात दिवस का आपाति नोटिस जारी किया जाने का सर्वसहमति से उस्ताव किया गया।

अधिकांशी अधिवक्ता  
जन सेवा अधि. विभाग  
परियोजना सहाय, जवाजा



उस्ताव सं. ③ आरक्षणी अभियन्ता जन. स्वा.  
आरक्षणी विभाग परिभोजना खण्ड जवाजाने  
पात्रक 294-93 दिनांक 2/8/19 के द्वारा  
जवाजा परिभोजना मानी सफ्टाई पाइपलाइन  
विद्युत के विकास कार्य के उपयोग में  
आने वाली वल सुमि के लिए आरक्षणी भूमि  
2006 की धारा 3(1) व 3(2) के तहत  
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलवाने वाले  
ग. म. उपलब्ध करने वाला ग्राम पंचायत  
को से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलवाने वाले  
ग्र. प. काभलिभ को पत्र भेजा ग्राम सभा  
ने उक्त पत्र पर अवलोकन के उपरान्त  
जनकित में अनापत्ति देने का प्रस्ताव पारित  
किया उक्त प्रस्ताव ग. म. सरवीना एवं  
ग. म. सरवीना के लिए प्रस्ताव पारित किया  
परिभोजना का नाम - जवाजा परिभोजना पानी  
सफ्टाई पाइपलाइन

मि. मि.  
मना  
क. ला.  
पना/मि.  
अनापत्ति  
सोडक  
मान

- ग्राम ① सरवीना - 0.0707 हेमटेयर  
② सुरपुरा - 0.0898 हेमटेयर  
③ नाहरपुरा - 0.0671 हेमटेयर  
④ अम्ना का  
काठिया 0.0951 हेमटेयर

Jam  
आरक्षणी अभियन्ता  
जन. स्वा. आरक्षणी विभाग  
परिभोजना खण्ड, जवाजा

आरक्षणी अभियन्ता  
जन. स्वा. आरक्षणी विभाग  
परिभोजना खण्ड, जवाजा





सत्यमेव जयते

(3)

(18)

# कार्यालय ग्राम पंचायत-राजियावास

रमेश लाल, सरपंच

ग्राम पंचायत- राजियावास, पं.स. जवाजा (अजमेर) राज.  
मो. 9929919649

निवास स्थान :

गांव-कालिंजर, तह. व्यावर  
जिला-अजमेर (राज.) 305925

क्रमांक : ग्रा.पं. SP-01/19-20

दिनांक 19/09/19

वि०-11/09/19 को ग्राम स्वामी वनाधिकार समिति का आयोजन किया गया जिसमें जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन विधान की आवश्यकता बताई गई तथा उक्त पानी सप्लाई पाइपलाइन विधान के विकास कार्य में वाजिब शर्तों राजियावास (ii) कालींजर की कुमारा - 0.0765 व 0.0499 हेक्टेयर वन भूमि उक्त पानी सप्लाई पाइपलाइन के विधान में काम आयेगी। एवं उपयोग में आने वाली वन भूमि पर (अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 206 की धारा 3(1) व 3(2) के प्राधान्यनुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लंबित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्राम स्वामी में अवगत करवाया गया कि जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन जो वन भूमि की भूमि से गुजर रही है तथा 19 गांवों व 390 हेक्टेयर की पानी की आपूर्ति के लिए इस की आवश्यकता बताई गई एवं सभी शासकीयों की सहमति प्राप्त हो गई है। तथा किसी भी सरकारी को वन क्षेत्र में जवाजा परियोजना पानी सप्लाई विधान का विकास कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त पत्र शासकीय के रजिस्टर में क्रमांक - 06 पर रजिस्ट्रार कर दिया गया है।

उत्तर सं० - FP/RG/WATER/33714/2019/06

परियोजना क्रमांक - जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन

शर्त - (i) राजियावास (ii) कालींजर

वन भूमि - (i) 0.0765 (ii) 0.0499 हेक्टेयर

तहसील - व्यावर

जिला - अजमेर (राज०)

जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत, राजियावास  
पं.स. जवाजा (अजमेर)

ग्राम पंचायत, राजियावास  
पं.स. जवाजा (अजमेर)

अधिशर्षा अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा



आज दिनांक 11.9.19 को कार्यालय पंजापत समाज  
 जवाजा के आदेश क्रमांक पं.सं. 12.19.1510 दिनांक  
 10.9.19 को अनुपालन व भा. जिला परिषद, जवाजा के  
 पत्र क्रमांक / जि.प.अ. / पु.स.बी.ए. 12.19/20/45-1 दिनांक  
 10.9.19 को अनुपालन में दलारिक अपरिचित मुक्त कर्मियों  
 के लक्षण स्वच्छता ही सेवा अधिकार की गुरु समा को  
 कोषागार सरपंच श्री रमेशलाल की अध्यक्षता में  
 किया गया।

जिसमें निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी  
 उपस्थित रहे।

क्रमांक	नाम कर्मचारी / अधिकारी	विभाग	पद	इलाका
1				
2				
3	रमेशलाल	पंजापतीराज	सरपंच	मैरवाला
4	बी.जी.एस. सिंह पंवार	पंजापतीराज	उप	
5	रमेशलाल सिंह	पं.राज	कार्य	
6	जीतन सिंह		प.सहायक	पुल
7	रमेशलाल सिंह			पुल
8				
9	निरमा देवी		कार्य	निरमा
10	रमेशलाल			
11	रमेशलाल			मंवार
12	जसवंत सिंह			जसवंत
13	ललित मिश्रा			ललित
14				
15	रमेशलाल			रमेशलाल
16	पुनीत			पुनीत

जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग  
 परियोजना खण्ड, जवाजा

अधिकांश अभियन्ता  
 जन स्वा. अरि. विभाग  
 परियोजना खण्ड, जवाजा



प्रस्ताव सं. 1 - बेंलुक में जल बेंलुक की कार्यवाही को पकड़ सुनाया गया जिसका रचना सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।  
प्रस्ताव सं. 2 - बेंलुक में ~~बेंलुक~~ सरकार द्वारा जालिपीन की पैली पर राई की लगी को जानकारी दी गई तथा ~~लालिपीन~~ के उपरि का ईयर उबर नही लकका एक ही स्थान पर किया कर नष्ट करने की जानकारी दी गई।  
प्रस्ताव सं. 3 - गुप्त संतो में स्वरदत्ता के बाद में जानकारी दी गई। स्वरदत्ता ही सेवा है। लोगों को स्वरदत्ता को का प्रति जागरूकता की जानकारी दी गई। लोगों को अपने घर के कारि-पास के बालावरन की खास के स्वरदत्त रखने का प्रेरित किया।  
प्रस्ताव सं. 4 - बेंलुक में बाजार से कोई भी वस्तु लाने कलिय पर से कापडे को पैली में सामान लाने के लालिपीन को पैली का उपयोग नही करने को प्रेरित किया।  
प्रस्ताव सं. 5 - गुप्त संतो में सरकार की कार्यवाहीकारी मामला मुकाममा जल दवावलबन (मिमासा) में पानी सचन की जानकारी दी गई। जल ही जीवन है। इस संतो लोगों को जल बचाने का प्रेरित किया गया। बरखात के पानी का जल दोन इंवेस्टिंग सिस्टम के द्वारा इन के पानी का पारिप लगाकर पानी के टैंक को भरेकर उस पानी को कापडे को लाने व फूस लावा का पानी देन बर्तन धान के प्रयोग में लेने की जानकारी दी गई।  
प्र. सं. 06 आज 06-10-20 को जल सवीय वनीफिका समिति का आयोजन किया गया जिसमें जवला पजियोजन पानी मालद पई पलदन निहाडे की कार्यवाही अतादी गडे तथा उक्त पानी मालद पई पलदन निहाडे के

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

मोटे-मोटे

जल स्वा. और विभाग  
जवाजा

जल स्वा. और विभाग  
जवाजा



चतरदिह	विकास कार्य के राजम श्रम-राजिवावास क आजीवा की श्रमः ०.०३६५ व ०.०५११ हेक्टर वन क्षेत्र कि उक्त पानी सलाई परिपक्व के विधान में काम आयेगी एवं उपयोग में आने वाली वन क्षेत्र पर (अधिकारों की मान्यता) अधिकारि २००६ की धारा ३(१) व ३(२) के प्राधान्यनुसार उक्त श्रम पर वन अधिकार का कोई भी प्रावण किम अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।	जेलालपुर
पविती	श्रम प्रया के अवगत करवाया गया कि जवाजा परिषद पानी सलाई परिपक्व जो वन विभाग की क्षमि से गुजर रही है तथा १९९ गांवों के ३९० हजिये के पानी की क्षमि के लिए इस की आवश्यकता बतलाई गई एवं सभी श्रमिकों की सहमति से उत्तम परिणति प्राप्त किया तथा किमी मार्ग पर ३३५ के वन क्षेत्र में अवकाश परिषद पानी सलाई विधान का विकास कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त उत्तम श्रम प्रया के लिए २२ के कुंआ (५५०) ०६ पर इन्शान कर दिया गया है।	जमनी
लक्ष्मणपुर	प्र.सं. ७२ आज दिनांक ग्राम समा में जैव विविधता प्रबन्धन समिति कागहन किया गया जिसमें जैव विविधता प्रबन्धन समिति के सदस्यों के रूप में रसम साहब, श्री रमेश लाल जी को चुना गया एवं सदस्य समिति के रूप में श्रम विभाग अधिकारी श्री महेन्द्र मोरारिपानी को चुना गया और सदस्य के रूप में श्री विष्णु पत हजिये परबखर कुपि विभाग श्री गजेन्द्र सिंह जी अनिष्ट व्यवहार पर-रा. विज्ञान प्रकाश सिंह जी उपसरफ, श्री बहुरी जी पटवारी राजरव विभाग, श्री कल्याण सिंह वारिपंच, श्री जेम सिंह वारिपंच-श्रीमति हमोदा देवी गणनबारी कार्यकर्ता, श्री जीतमारी प्रमोद सहपक कछाई के सदस्य के रूप में बैठन कर जैव विविधता प्रबन्धन समिति का निर्वाह किया गया गया है इस प्रस्ताव का सर्वसमति से अनुमोदन किया गया है।	काला
कमला	उक्त व के ३ प्रधानों की आवास योजना पीग मेयपाजोद समिति के यम निम्नांकित दिनांक दिनांक (०७/०५/२०२२) (i) रामेश्वरनाथ (०८/०५/२०२२) (ii) कपरीशनाथ (०८/०५/२०२२) (iii) लक्ष्मण (१५/०५/२०२२) (iv) रमेश (१९/०५/२०२२) (v) कैलाश (२०/०५/२०२२) (vi) गीतमारी (२०/०५/२०२२) (vii) प्रमोद (२५/०५/२०२२)	जेलालपुर
	अधिसूचना अधिनियम जन स्वा. अधि. विभाग परियोजना खण्ड, जवाजा समिति के यम निम्नांकित दिनांक दिनांक (०७/०५/२०२२) (i) रामेश्वरनाथ (०८/०५/२०२२) (ii) कपरीशनाथ (०८/०५/२०२२) (iii) लक्ष्मण (१५/०५/२०२२) (iv) रमेश (१९/०५/२०२२) (v) कैलाश (२०/०५/२०२२) (vi) गीतमारी (२०/०५/२०२२) (vii) प्रमोद (२५/०५/२०२२)	जेलालपुर

कार्यालय ग्राम देवाता पंचायत देवाता पंचायत समिति जवाजा जिला अजमेर

क्रमांक 4PD/2019-20/31

दिनांक 09.12.19

श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

विषय:- ग्राम पंचायत देवाता की वन भूमि पर पाइपलाइन बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र  
प्रसंग:- आपके कार्यालय पत्रांक 278-287 एवं 332/02.08.2019 के संबंध में

महोदय

उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों पर दिनांक 15.10.2019 को आयोजित ग्राम सभा में विचार किया गया। इन्हें ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया गया। साथ ही ग्राम सभा में वन भूमि पर (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 धारा 3(1) एवं 3(2) को पढ़कर सुनाया गया।

जिसमें ग्राम सभा में उपस्थित समस्त सदस्यों ने विभाग द्वारा पाइपलाइन बिछाए जाने की सहमति सर्वसम्मति से दी है एवं आपके विभाग द्वारा कराये गए कार्यों के दौरान ग्राम पंचायत एवं वन भूमि की सार्वजनिक संपत्ति यथा सड़क, भवन, भूमि इत्यादि की क्षतिपूर्ति एवं मरम्मत की समस्त जिम्मेदारी जन स्वा. एवं अभि. विभाग की रहेगी।

क्रम संख्या	गाँव का नाम	वन भूमि का क्षेत्रफल जिसकी अनापत्ति जारी की गयी
1	देवाता	0.0927 है.
2	भाभीपूरा	0.0594 है.
3	कलातखेड़ा	0.0473 है.
4	किशनपुरा(देवाता)	0.0694 है.
5	बाड़ियानंगा	0.0827 है.
6	किशनपुरा	0.0821 है.
7	भाटियों का बाड़िया	0.0662 है.

ग्राम सभा दिनांक 15.10.2019 के प्रस्ताव संख्या 6 की शर्तों के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है।

इ-डाटा  
\* सरपंच \*  
ग्राम पंचायत देवाता

अधिशाषी अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

ग्राम विकास अधिकारी  
(जिला पंचायत देवाता)  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत-देवाता  
पं.स.जवाजा (अजमेर)

अधिशाषी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा



(92)

GPDP ग्राम सभा 2020-21 च 10वां

15.10.2019

(78)

45

आज दिनांक 15.10.2019 को श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
 के फॉर्म 7357-65 दिनांक 09.09.2019 व पंचायत समिति के  
 फॉर्म 7357-65 दिनांक 15.09.2019 के  
 की अनुपालना में श्रीमान सरपंच महोदय श्रीमति इंदिरा देवी  
 की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आमोदक किया गया  
 जिसमें वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक प्लान का अनुमोदन किया  
 गया है। जिसमें कर्मचारी/अधिकारी/जनप्रतिनिधिगत  
 उपस्थित हुए।

नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्रीमति इंदिरा देवी	सरपंच	इंदिरा देवी
श्री गुरुदत्त सींग	ग्राम विकास अधिकारी	* सरपंच व ग्राम पंचायत देवी पं. स. जवाड़ा
श्रीमति रत्ना कौर	कनिष्ठ सहायक	
शुभा श्रीमा कटारिया	प्रमारी प्रमोद	
श्रीमति कंचन देवी	वार्ड पंच	
श्री लालर माठाल	वार्ड पंच	
श्रीमति लता देवी	वार्ड पंच/ग्राम सरपंच	
श्री मदनलाल गठूर	प्रधानाध्यापक राजकोट	म. इंदिरा
श्री नरसिंह जेठा	WDT Engg.	वि. स. जवाड़ा
श्रीमती नीता चौधरी	P. Engr. water shed	नीता चौधरी
श्रीमती लता कौर	WDT. Agriculture Dept.	लता कौर
श्री भुवराज सिंह	PHBD/जवाड़ा	भुवराज सिंह

अतिरिक्त अधिकारी  
 जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग  
 एम. जे. लाल खण्ड, जवाड़ा

अतिरिक्त अधिकारी  
 जन स्वा. अभि. विभाग  
 एम. जे. लाल खण्ड, जवाड़ा

श्रीमती  
 उमेश देवी  
 ग्राम पंचायत







# कायालय ग्राम पंचायत, कोटड़ा

(3)

(80)

पंचायत समिति जवाजा (अजमेर) राज.

क्रमांक: BP/646/कोटड़ा

दिनांक 16/9/2019

दिनांक को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति का अधीन  
जन किम ग्राम निम्न अवकाश परियोजना पानी सप्लाई पाइप-  
लाईन बिछाने की आवश्यकता बताई गई तथा स्वतः पाणी  
सप्लाई पाइप लाईन बिछाने के विकास कार्य में राजस्व  
ग्राम की हेमश्वर वन भूमि अन्तर्गत पानी  
सप्लाई पाइप लाईन के बिछाने में काम आयेगी। एवं  
उपयोग में काम आने वाली वन भूमि पर (अधिकारी की  
मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) 3(2) के प्रावधान  
तनुसार अन्तर्गत वन पर वनाधिकार का कोई भी दावा  
लेखित अथवा प्रमाणित नहीं है।

ग्राम-सभा में अवगत कराया गया की जवाजा  
परियोजना पानी सप्लाई पाइप लाईन में वन विभाग की  
भूमि से गुजर रही है तथा 199 गांवों व 390 टनियों  
को पानी की आपूर्ति के लिये इस की आवश्यकता बताई  
गई एवं सभी ग्रामवासियों की सहमति से पञ्चायत पारित  
किम ग्राम सभा किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में जवाजा  
परियोजना पानी सप्लाई पाइप लाईन बिछाने का विकास  
कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है अन्तः पञ्चायत ग्राम-  
सभा के रजिस्टर में क्रमांक ⑦ पर इन्ट्रान कर दिया  
गया है।

पञ्चायत नं. FP/RJ/WATER/33714/2018

परियोजना का नाम - जवाजा परियोजना पानी सप्लाई

1. बाभोय - 0.0471 Hr
2. बा. लेना - 0.0952 Hr
3. बा. गैत - 0.0914 Hr
4. उपरना बा. - 0.0843 Hr
5. सैलीबंदी - 0.0693 Hr
6. गौरी बा. - 0.0784 Hr
7. बा. अमबा - 0.0688 Hr
8. निचला बा. - 0.0745 Hr

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत कोटड़ा  
पंचायत समिति जवाजा

गीतादेवी  
सरपंच  
ग्राम पंचायत कोटड़ा  
पंचायत समिति जवाजा

अधिशायी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना उपपंड, जवाजा

आज दिनांक 29/8/2019 को जिला परिषद इज्जमेर के पत्र क्रमांक जि.प.अ/जल सार्वजनिक/PA/आरडी/सी. 1/2019/6065-74 दिनांक 22.08.2019 के आदेशानुसार पत्रिका में सार्वजनिक साधन की प्रति गीता देवी की - अद्यपक्षता में ग्राम सभा का आमोदन JSA Mobile App के माध्यम से आयोजित आयोजित - हेतु ग्राम सभा का आमोदन किया गया। निम्नलिखित सभी जन प्रतिनिधि एवं कार्यकारी व कार्यवाही के आगामी सत्र चले गए इस ग्राम सभा का आयोजन किया गया उपस्थित - उपस्थित लिखा गया।

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
(1)	गीता देवी	सार्वजनिक	गीता देवी
(2)	बाबू सिंह	उप-सार्वजनिक	ग्राम सभापति, कार्यकारी
(3)	विश्वनाथ सिंह	वार्ड पंच	विश्वनाथ सिंह
(4)	हर्षा देवी	वार्ड पंच	हर्षा देवी
(5)	सीता देवी	वार्ड पंच	सीता
(6)	मनोहर शर्मा	वार्ड पंच	-
(7)	मनोहर देवी	वार्ड पंच	-
(8)	नारायण लाल	वार्ड पंच	-
(9)	बाबू लाल जी	वार्ड पंच	-
(10)	अमर सिंह जी	वार्ड पंच	-
(11)	अमर सिंह जी	वार्ड पंच	-
(12)	अमर सिंह जी	वार्ड पंच	-

अधिशक्ति अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना सहायक, जवाजा



प्रस्ताव क्र. 11 यह  
11) गुगल को स्टेयर में JSA Gram Shabhu.  
Mobile Apps.

प्रस्ताव  
(2) गुगल को ग्राम विकास अधिकारी अपने  
समस्त Apps Mobile No-

GDGP Portal-5 पर OTP प्राप्त  
की गई  
(3) Apps खोलने पर पॉप अप होगी

में कार्यों का प्रचार निपूण होगा।  
इस में सभी प्रस्तावित कार्यों  
की JSA में recording करवाई जाएगी  
और उनके प्रस्तावित सभी कार्यों  
की recording होती रहे Apps पर  
Program Load किया गया होगा।

प्रस्ताव 4. सदन के विवेकानंद त्रिवेन्द्र सिंह 5/10/2019  
सिद्ध ग्राम रामगढ़ तह. बल्लभपुर जिला  
अजमेर राजस्थान में कार्यों के समापन  
का मधनी पालन का वर्ष 2019-20  
है।

प्रस्ताव 5. इसमें 25000/- में टैक्स लेने हेतु कुछ  
हुकूमतें हैं।  
हुकूमतें हैं जो सम्बन्धित विभाग का वसूली  
ग्राम पंचायत सुबान तह. बल्लभपुर जिला  
अजमेर में प्रदान की जा सदन में प्रदान  
किया जिससे कारों के सामान में मदद  
पालन का प्रचार एवं सहायता के  
पात्रित हुआ हुकूमतें हैं। JSA-स्पष्ट  
में टैक्स शक्ति को लेने के द्वारा  
आवश्यकता में करियर शक्ति विवेक  
रोगे प्रती में विवेकम किट को लेने  
वा प्रस्ताव सदन सहायता से पारित हुआ  
सम्बन्धित शक्ति विवेकम प्रान्त प्रभाव है।  
है सदन; विवेकम के नाम टैक्स हुआ  
यहां में विवेकम के नाम खाता खुलवाया

	<p>दोनों फर्में में सबसे अधिक राशि          2500/- के ही शक्ति सदस्य के नाम          इसके AS पर आवेदन दिए।          पत्रिका शब्दों में अपनी पत्रिका          किताबों में यह टैंडर-दिनांक 2019-          20 के प्रथम-द्वितीय की समझना          जावे। अगर गाइड बाइंड होकर          यह संपादन लेने पर सारी सिफारिशें          पत्र की होनी। अतः निवेदन          दिहें। पात्र दिहें 'को' टैंडर-          एवं दस्तावेजों के अनुसंधान-          इर जारी किया गया।</p>	
निर्माण		
परिवर्तन	<p>प्रस्ताव (6) जुद्ध राज बा. गंगा निवासी          ने सदन में इस निचले पांच ग्राम          बा. मोय, दुर्गाबाड़ी, बा. बजवा          बा. गंगा बा. मेवा (5) राजम          ग्राम निवासी शाबासी को दो द्वारों          द्वारा के अर्थ में है पंचायत प्रजा          नम है दुर्गा 10-12 डिग्रीमीटर          पड़ता है अतः अलग पंचायत          हेतु निर्माण निमित्त क्या भी रखें          दुर्गा अलग पंचायत अस्थापित          का प्रस्ताव एवं सख्त दे          निर्माण पारित हुआ। निर्माण          पत्रावली करागे भिजवा दी जावे।</p>	
उप	<p>प्रस्ताव (7) जोध दामा के अलग अलग          अलग कि अबाबा सिरमौजता पानी सख्त          पाईप लाइन बिछाने हेतु सख्त सर्वेक्षण          से ही यह प्रस्ताव निचलागामों में निचला          उदाहरण की समीक्षा अनुमति हेतु निचलागाम          निर्माण बा. मोय - 0.0914 हेक्टर (7) बा. बजवा 0.0688 हेक्टर          (8) बा. मेवा - 0.052 - (9) निचला बा. 0.0614 हेक्टर          (10) बा. मोय - 0.014 - (11) बा. मेवा - 0.0934 हेक्टर          (12) उपर बा. बा. - 0.0813 - में वग निचलागामों के          (13) बा. मेवा - 0.0688 हेक्टर - पंचायत के पाईप लाइन          (14) बा. मेवा 0.0784 हेक्टर - पंचायत के पाईप लाइन</p>	

अधिसूचना अधिव्यन्ता  
 जन स्वा. अधि. विभाग  
 प्रसिद्धता खण्ड, जवाबा



उत्तर 8. (1) हमारे जी ने उत्तर रखा कि हमारा घाट मन्दिर बाम में, खुला निवास निर्माण।  
तिलोकरिड  
ललिता देवी

उत्तर 9. लीकनीमा दाल में नदी निर्माण कार्य।  
गौरीशक्ति

उत्तर 10. शाहवासी में उत्तर रखा कि बदलों ने उत्पाद मन्चा रखा है बच्चों को उठाए ले जा रहे हैं।  
अक्षि  
पतल देवी

उत्तर 11. नरेगा-मछ शाक्ति समिधान उन्नी पादा की नदी डा-मीगोंछर।  
हेममंद  
हजार/मरे

उत्तर 12. नन्तगोपी माता के ऊपर रेनीकर निर्माण।  
विरेड

उत्तर 13. कामेश्वर मन्दिर के भीड़ नदी निर्माण कार्य।  
नोरु

उत्तर 14. इडिचो में शक्ति खेडा की मीमा वेदावारी निर्माण।  
हेममंद शक्ति

उत्तर 15. पञ्च पंचा मर 2019/1940 के आदेश ने प्रधान मन्त्री विधान मान वस योजना में PM KMY.

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत कोटडा  
पंचायत समिति जवाला

उत्तर देवी  
सरपंच  
ग्राम पंचायत कोटडा  
पंचायत समिति जवाला

अधिसूची अभियन्ता  
जन सेवा अक्षि विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाला

# कार्यालय - ग्राम पंचायत, नरबदखेड़ा

पंचायत समिति - जवाजा, ( जिला - अजमेर ) राज.

सरपंच  
श्रीमती श्रवणी देवी

मो. : 979911441  
फोन न. : 01462-31287

क्रमांक

दिनांक 16/9/19

डिप्टी

के ग्राहक नरेश्वर वनाधिकार समिति के आयोजन किया

गया। पिछले जवाजा परिषद पानी सप्लाई पाइपलाइन विभाग के आवश्यकता  
बनवाई गई तथा 3374 पानी सप्लाई पाइपलाइन विभाग के विकास कार्य में शामिल  
गया। ... के ... द्वारा वन भूमि उपर पानी सप्लाई पाइपलाइन  
के विभाग में कार्य आयेगी। एवं उपरोक्त में जाने वाली वन भूमि पर (अधिकारों  
की मालिक) आदिमिक 2006 के धारा 3(1) व 3(2) के प्राधान्य पर उपर  
भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लाबीस करके उही मालिक होने पर  
अनापत्ति मिलने वाली होगी।

गुरु मभा में जवाजा कवायत गुरु के जवाजा परिषद पानी  
सप्लाई पाइपलाइन जो वन भूमि की भूमि से गुजर रही है तथा 1997 के  
उप 24 के पानी के आदेश के लिए इस के आवश्यकता बनवाई गई  
एवं सभी ग्राहक वानियों को (अधिकारों के अभाव में) दिया गया तथा किसी भी  
मालिक को वन भूमि में जवाजा परिषद पानी सप्लाई पाइपलाइन विभाग  
के विकास कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। उपर्युक्त ग्राहक मभा के  
... में ... 4 पर ... कर ...

प्रमाण संख्या - FP/RJ/WATER/3374/2018

परिषद पानी सप्लाई - जवाजा परिषद पानी सप्लाई पाइपलाइन

1. मोनपुरा - 0.0374 हेक्टर
2. मिचलपुरा - 0.0594 हेक्टर
3. भूमिपुरा - 0.0612 हेक्टर
4. नरबदखेड़ा - 0.0594 हेक्टर

श्रवणी  
सरपंच  
जवाजा (अजमेर)

डिप्टी  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्रा. पं. नरबदखेड़ा  
पं. स. जवाजा (अजमेर)

जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

अधिशोषी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा





कार्यक्रम:- ग्राम प्रत्यापन कार्यक्रम

राम सिंह

प्र.म. ① बैंगु दरान सर्वप्रथम पूर्व बैंगु कार्यवाही  
पट्टा सुनाई गई एवं सर्वसम्मति  
से अनुमोदन किया गया।

गोविंद

प्र.म. ② बैंगु दरान उपस्थित सभी सदस्यों  
को जल संरक्षण के बारे में बताया  
गया और ट्यूबवेल, वर्षा जल  
संचयन हेतु युंका मि.मि. मोल्हा गड्डा  
निर्माण आदि के बारे में बताया गया।

गोविंद

प्र.म. ③ बैंगु दरान उपस्थित लोगों को  
स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई  
एवं उपस्थित लोगों को स्वच्छता कप  
डाउनलोड करवाकर जानकारी भरण  
के लिए प्रेरित किया गया।

किशन सिंह

प्र.

प्र.म. ④ बैंगु दरान उपस्थित सभी सदस्यों  
को बताया गया कि जवाग परिषद का पानी  
सफाई पाइप लाइन जो वन विभाग की जमीन से  
होकर गुजर रही है तथा 199 गांवों में 290  
बनियों को पानी की आपूर्ति के लिए इसकी  
आवश्यकता बताई गई एवं सभी ग्रामबासीयों  
को अवगत करवा दिया जा रहा है कि, सवात पर  
कि.मी. भी सदस्य को वन क्षेत्र में जवाग परिषद का  
पानी सफाई पाइप लाइन विधान का विकास कार्य  
कारणों को री. आवरि नहीं है, इस पर परिषद का  
गांव भोजपुरा - 0.0375 हे.मी., मि.मि.मि. 0.0597 हे.  
कुसपुरा 0.0612 हे.मी. न.ब.द.क. - 0.0594 हे.  
है इसी शीतल का सर्वसम्मति से अनुमोदन  
किया गया।

गोविंद सिंह  
जवाग सिंह

बृजवर्मा

महेन्द्र सिंह  
राधा

मो.मि.

इंदु मसिंह

प्र.

बैंगु कार्यवाही सच. न.ब.द.क. में उपस्थित सभी सदस्यों  
की गति

प्र.म. की गति



कार्यस्थिति:- ग्राम पंचायत नरबदेड़ा



PAGE NO. 45  
DATE: 27/8/19

आज दिनांक 27/8/2019 को भारत निर्माण  
राजीव गांधी सेवा केन्द्र नरबदेड़ा में पंचायत  
कार्यस्थिति जिला परिषद, अजमेर के आदेश क्रमांक  
6065-अ दि. 27/8/19 के अनुसार जल शास्त्र  
आयोजना के तहत विशेष ग्राम सभा का  
सहयोग मा. की अध्यक्षता में ग्राम सभा  
का आयोजन रखा गया।

जेजेज बिन्दु:-

1. जल शास्त्र आयोजना सम्बंधी जानकारी
2. स्वच्छता क्लस्टर डाऊनलोड कराकर स्वच्छता जागरूकता जानकारी
3. अन्य विषय अध्यक्ष महोदयों की अनुमति से

अधिकारी अभिलेख  
जन स्वास्थ्य अधिकारी विभाग  
परियोजना, खण्ड, जवाजा

उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी नर, जनप्रतिनिधियों का  
नाम जल के हस्ताक्षर

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती शबरी देवी	सचिव	मल्लिक
2.	श्रीरमेश सिंह	उपसचिव	अ.स. पंचायत नरबदेड़ा पं. स. जवाजा (अजमेर)
3.	श्री जयदेव कुमार	ग्रामिण अधिकारी	उपस्थित
4.	श्रीमती लीला देवी	वा.स.पंच	लीला
5.	श्रीमती रंजा देवी	वा.स.पंच	रंजा देवी
6.	लाली चौहान	वा.स.पंच	लाली चौहान
7.	श्री नरेन्द्र सिंह	वा.स.पंच	नरेन्द्र सिंह
8.	श्री लक्ष्मी देवी	पंचायत महापंच	लक्ष्मी देवी
9.	रघुमान राम	ग्रामपंच	रघुमान
10.	श्री हनुमान सिंह	वा.स.पंच	हनुमान सिंह
11.	श्री प्रकाश	पंचायत महापंच	प्रकाश
12.	श्री राजेश्वरी		



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु. 50



FIFTY  
RUPEES  
RS. 50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AF 596449

श प थ प त्र ग्राम पंचायत काबरा द्वारा



दिनांक 11/2019 को ग्राम स्तरीय वनधिकार समिति का आयोजन किया गया जिसमें जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईप लाइन बिछाने की आवश्यकता बताई गई तथा उक्त पानी सप्लाई पाईप लाइन बिछाने के विकास कार्य में राजस्व ग्राम ..... की ..... हेक्टर वन भूमि उक्त पानी सप्लाई पाईप लाइन के बिछाने में काम आयेगी एवं उपयोग में आने वाली वन भूमि पर वन अधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्राम सभा में अवगत करवाया गया की जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईप लाइन जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है तथा 199 गांवों व 390 टांगियों को पानी की आपूर्ति के लिए इस की आवश्यकता बताई गई एवं सभी ग्राम वासियों की सहमती से प्रस्ताव पारित किया गया तथा किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईप लाइन बिछाने का विकास कार्य करने में कोई आपत्ती नहीं है उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा में रजिस्टर्ड है

क्रमांक 5/ दिनांक 11/9/2019 पर इन्द्राज कर दिया गया है।  
प्रस्ताव संख्या एफ पी /आर जे /वाटर /33714/2018

परियोजना का नाम :- जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईप लाइन

ग्राम भुनीका शक आवश्यक प्रस्तावति भूमि 0.0926 हेक्टेयर वन भूमि

2= ग्राम काबरा जमान आवश्यकता प्रस्तावति वन भूमि 0.0632

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत, काबरा  
पं.स. जवाजा (अजमेर)

पार्वती देवी  
सदस्य

ग्राम पंचायत, काबरा  
पं.स. जवाजा (अजमेर)

[illegible]

50 वास्तु शाप १२४४ २५/११/१९  
नाम सरपंच पवित्री देवी वि. जादव ७२५४  
प्राप्ति विदासी

10/10/2020



(90)

(70)


::2::

पार्वती देवी  
सरपंच

ग्राम पंचायत, काबरा  
पं. स. जवाजा (अजमेर)

सरपंच ग्राम पंचायत काबरा

तहसील ब्यावर जिला अजमेर

  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत, काबरा  
पं. स. जवाजा (अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत काबरा तहसील ब्यावर

जिला अजमेर राज।

  
अधिशिषी अभियन्ता

जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

गाज दिनांक 11/9/2019 को जिला परिषद अजमेर के पत्रांक 1/विप08/स्वस्थता  
 2019-20/रन्वे 01 दिनांक 10-9-2019 के निर्देशानुसार दिनांक 11/9/2019 को आम  
 सभा कराया गया है 11 सितम्बर से 20 अक्टूबर 2019 तक प्लास्टिक अपशिष्ट  
 मुक्त कार्यक्रम के तहत स्कूला एवं सेवा समिथान का आयोजन किया जावे  
 इस क्रम में 50 समिति जवाजा के कालिदास 25/10 दिनांक 10/9/2019 के पिछले  
 माहिमासी मोहल्ले के अधिका अनुसार 11/9/2019 से विशेष आम सभा आयोजित  
 किया गया है इसकी सहपत्रता शेरवत जीनी पावली देवी स्वयं सभा  
 अधिका उपस्थित होंगे

क्र/क	नाम कार्यवाही जनप्रतिनिधि	पद	विभाग	हस्ताक्षर
1	पावली देवी	स्वरूप	फराज	पावली देवी
2	सुरेन्द्र सिंह	ग्रामसेवक	—	ग्राम पंचायत, कालसा
3	मोहम्मद सुलीम	होबिज	कृषि विभाग	मोहम्मद सुलीम
4	शहनाज बेगम	न.प.म	स्वास्थ्य विभाग	शहनाज बेगम
5	रामप्रसाद	पटवारी	राजस्व विभाग	रामप्रसाद
6	कालिदा चौधरी	वार्ड फेज	पुलिस	कालिदा चौधरी
7	आशा देवी	—	—	आशा देवी
8	मोहिता देवी	—	—	मोहिता देवी
9	बालू सिंह	—	—	बालू सिंह
10	तारा देवी	—	—	तारा देवी
11	कमल सिंह	—	—	कमल सिंह
12	मधु देवी	—	—	मधु देवी
13	सुनिता देवी	—	—	सुनिता देवी
14	लक्ष्मी देवी	—	—	लक्ष्मी देवी
15	इंदर सिंह	—	—	इंदर सिंह

अधिका अधिवक्ता  
 जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग  
 परियोजना खण्ड, जवाजा

अधिका अधिवक्ता  
 जन स्वा. अर्थ. विभाग  
 परियोजना खण्ड, जवाजा







(B)

(23)

(18)

उक्त भूमि मोरे विपरीत वन भूमि 0.0 765 जवाज  
पानी सफाई कार्पिजसे उक्त विपरीत सफाई करने के लिए  
वन विभाग से वन भूमिगत अधिग्रहण 1970 के तहत  
स्वीकृत किया जाना है परन्तु वन परियोजना एवं  
जलवायु परिवर्तन से शांति तथा वन परियोजना से  
उक्त स्कीम सहित स्वीकार किया उम्मीद बाढ़ 2-21  
पेपर निरूपित किया जाएगा

*Signature*

अधिसूचना अधिसूचना  
जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाज

*Signature*

अधिसूचना अधिसूचना  
जन स्वास्थ्य अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाज



# कार्यालय ग्राम पंचायत, रावतमाल

पंचायत समिति जवाजा, जिला-अजमेर

प्रेषक :

गिरधारी सिंह

सरपंच : ग्राम पंचायत रावतमाल

मो. : 9636286580

प्रेषित :-

श्रीमान् ..... अधिशाही अभियन्ता

परियोजना खण्ड, जवाजा

क्रमांक : ग्रा. पं. रावतमाल ३३-९१

दिनांक ५/१२/२०१७

विषय : अधिशाही पत्रा में पत्र कार्यालय क्षेत्र में पंचायत लाने के लिए

दिनांक-१५/११/१७ को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति का आयोजन किया गया, जिसमें पञ्चायत अध्यक्ष मन्दी सचिव परिपलइन विधान की आवश्यकता बतायी गयी तथा ऊँच पानी की पट्टी लाने विद्यमान की आवश्यकता बतायी गयी तथा ऊँच पानी की पट्टी लाने विद्यमान के विकास कार्य में राहत ग्राम/दानी स्तर वोटों की दृष्टि से भूमि में विद्यमान में काम आयेगी। एवं उपयोग में आने वाली वन भूमि पर (अधिकारी की भूमि) अधिनियम २००६ की धारा ३(१) व ३(२) के प्रावधानों के अनुसार भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अवधि प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्राम समा में अज्ञात करा गया की पञ्चायत परियोजना का सफल परिणाम लाने को वनाधिकार की भूमि से गुजर रही है। तथा १२५ गांवों के दावियों की पानी की आपूर्ति के लिए इस की आवश्यकता बतायी गयी एवं सभी गांव वासियों की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा सभी भी सदस्य को वन क्षेत्र में पञ्चायत परियोजना की पट्टी लाने विद्यमान के कार्य को करने के लिए कोरे आपत्ति नहीं है।

इस प्रस्ताव गांव समा के सदस्यों में क्रमांक २ पर स्थान का दिया गया है।

पत्र संख्या - FP/PS/NA/33/11/2017 - ३

परियोजना का नाम - पञ्चायत परियोजना पानी सफल परिणाम लाने

तहसील - व्यास

जिला - अजमेर (राजस्थान)

सरपंच  
ग्राम पंचायत रावतमाल  
पं.स. जवाजा (अजमेर)

अधिशाही  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत रावतमाल  
पं.स. जवाजा (अजमेर)

अधिशाही अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा







मुमैन्द सिंह चौहान	नं० 30	शिक्षा विभाग	पुणे
अमिन् कुमार	12	रा. उ. मा. वि. वि. वि. वि. वि.	
तिलक सिंह चौहान	शा. शिक्षक	-	गोविंद
पुनम मीणा	व्या. ज्वाला		पुणे
किशन सिंह पेंवार	पंचायत सहायक	पें. राज	किशन
आनंद मीना	अप. 12	रा. उ. मा. वि. वि. वि. वि.	आनंद मीना
अमिता	पंचायत सहायक	रा. उ. मा. वि. वि. वि. वि.	अमिता
प्रस्ताव नं० 1 - सर्व पृथक गट वेंडु वृक्ष समूह का सर्वे			
सहमति के अन्तर्गत दिया गया /			

प्रस्ताव नं० 2 - अ. अ. परि. प्रकाश पत्र वनाधिकार  
 गैर के परंपरा वारस कार्य के लिए दिक्कत  
 के अंतर्गत वनाधिकार (समिति का अधिकार  
 दिया गया, जिसके अन्तर्गत परिसर की सफाई  
 परंपरा वारस विधान की आवश्यकता बतायी गयी।  
 तथा एक पानी की पारंपरा वारस विधान की सफाई  
 समिति द्वारा गैर तथा अन्य परंपरा वारस विधान  
 के विकास कार्य के अन्तर्गत अंतर्गत वारस विधान की  
 समिति के अन्तर्गत विधान के विकास कार्य के  
 अन्तर्गत विधान के अन्तर्गत वारस विधान पर  
 (अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006  
 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत  
 समिति पर वनाधिकार का कार्य भी सफाई  
 अधिकार अधिकारी नहीं है।

कारण अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
 परिसर के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
 की समिति के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
 वारस की पानी की समिति के लिए इसकी  
 आवश्यकता बतायी गयी अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
 की समिति के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
 की समिति के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
 परिसर के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
 परिसर के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
 कार्य के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत  
 के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत





सत्यमेव जयते

93  
80

## कार्यालय ग्राम पंचायत, देलवाड़ा

प्रेषक :

सरपंच किरण काठात

ग्राम पंचायत देलवाड़ा

पंचायत समिति-जवाजा (अजमेर)

मो. : 7727004040, 9414611051

9214411051

वास्ते -

श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता

जन. स्वा. अभि. विभाग

परियोजना खण्ड, जवाजा

क्रमांक : ग्रा.पं.दे./2019-20/115

दिनांक 25/11/2019

विषय : अनापति प्रमाण पत्र

दिनांक 25/11/2019 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिती का आयोजन किया गया जिसमें जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन विछाने की आवश्यकता बताई गई एवं उक्त पानी सप्लाई पाइपलाइन विछाने के विकास कार्य में राजस्व ग्राम देलवाड़ा की 0.0994 हैक्टेयर वन भूमी उक्त पानी सप्लाई पाइपलाइन के विछाने में काम आयेगी। एवं उपयोग में आने वाली वनभूमी पर (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लखित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्राम सभा में अवगत करवाया गया की जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन की स्वीकृति की भूमि से गुजर रही है तथा 199 गांवों व 390 आदिवासियों को पानी की आपूर्ति के लिए इस की आवश्यकता बताई गई एवं सभी ग्राम वारियों की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया एवं ग्राम सभा की सहमति को बना शेष में जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन विछाने का विकास कार्य करने में बाधे जायेंगे नहीं है। अतः प्रस्ताव ग्राम सभा के संविधान के अनुच्छेद 03/2019 में पारित किया गया है।

प्रस्ताव संख्या - FP/BJ/WATER/33714/2018

परियोजना का नाम - जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाइपलाइन

ग्राम - देलवाड़ा

आवश्यक प्रस्तावित वन भूमि - 0.0994 हैक्टेयर

तहसील - अजमेर

विभाग - जवाजा परियोजना

किरण काठात  
सरपंच

ग्राम पंचायत में  
प.स. जवाजा (अजमेर)

K. Jha

अधीशाषी अभियन्ता

जन. स्वा. अभि. विभाग

परियोजना खण्ड, जवाजा

अधीशाषी अभियन्ता

जन स्वा. अभि. विभाग



**बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर**



चायत / उप सपिति

बैद्य

जिला ..... जिल्हा

(राज.) वर्ष 20.1.1928

[illegible]



15/10/23 by [Signature]

22412 173 R-11

Island 2 - 1116

69	25	1776	9251253
----	----	------	---------

1962  
Bell

[illegible]

8210159159 FELG

ग) - ४ : ३३५ ०३१५५

H<sub>2</sub>O/SO<sub>4</sub>      BaSO<sub>4</sub>

पि. ३३५

उपरी बर  
नामाना हरण

2009m

[illegible]

प्रमाण-3 - कारन की वृद्धि में नग्निकार खासिरी का 311/1009

पिम्मा सुभा विजय अमरा पद्मे काशी साधना प्रदीप

प्रा.प. विद्यापीठ, कोणढीकरा, कोरापूर गा. ३५५३३३, इ.स.पा. २०१३

संसारं पादपलाइनं विद्यते के विज्ञान संस्थाने

18. Miss Bisset 10/12/2010

५०३२  
प्र.म.अ.उ. मू. १४६७०.०० रु.  
दस्तावेज

बालू पत्थन के विघटन के कारण उत्पन्न हो जाते हैं।

प्रा. वि. म. प्र. (क. वि. म. प्र.) अ. वि. म. प्र. २००६ की भा. ३०००

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$   
 $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$   
 $\frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65536}$   
 $\frac{1}{65536} \times \frac{1}{65536} = \frac{1}{4294967296}$   
 $\frac{1}{4294967296} \times \frac{1}{4294967296} = \frac{1}{18446744073709551616}$   
 $\frac{1}{18446744073709551616} \times \frac{1}{18446744073709551616} = \frac{1}{340282366920938463463374607431768211456}$   
 $\frac{1}{340282366920938463463374607431768211456} \times \frac{1}{340282366920938463463374607431768211456} = \frac{1}{1157920892373161954285709850086809406944569644088841876199$

*[Handwritten musical notation]*

Time	Location	Notes
10:00	1000	1000
10:15	1000	1000
10:30	1000	1000
10:45	1000	1000
11:00	1000	1000
11:15	1000	1000
11:30	1000	1000
11:45	1000	1000
12:00	1000	1000
12:15	1000	1000
12:30	1000	1000
12:45	1000	1000
13:00	1000	1000
13:15	1000	1000
13:30	1000	1000
13:45	1000	1000
14:00	1000	1000
14:15	1000	1000
14:30	1000	1000
14:45	1000	1000
15:00	1000	1000
15:15	1000	1000
15:30	1000	1000
15:45	1000	1000
16:00	1000	1000
16:15	1000	1000
16:30	1000	1000
16:45	1000	1000
17:00	1000	1000
17:15	1000	1000
17:30	1000	1000
17:45	1000	1000
18:00	1000	1000
18:15	1000	1000
18:30	1000	1000
18:45	1000	1000
19:00	1000	1000
19:15	1000	1000
19:30	1000	1000
19:45	1000	1000
20:00	1000	1000
20:15	1000	1000
20:30	1000	1000
20:45	1000	1000
21:00	1000	1000
21:15	1000	1000
21:30	1000	1000
21:45	1000	1000
22:00	1000	1000
22:15	1000	1000
22:30	1000	1000
22:45	1000	1000
23:00	1000	1000
23:15	1000	1000
23:30	1000	1000
23:45	1000	1000
24:00	1000	1000

करन में कोई क्रांति नहीं है। परन्तु स्वामी से परिचित हो

1. The first of these is the fact that the system is not in a steady state. The system is in a steady state only if the rate of change of the system is zero. In this case, the rate of change of the system is not zero, and the system is not in a steady state.

संज्ञा

आस्था निर्गुण राम देवदास शिब - 30/20/99 - 2:16:23 -

[illegible]

1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704

[illegible]

—बायलको को बास अँ बापल्लाई की भरे-नाला निजलि गभन-426, 4247  
4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923,

[illegible]

11-15-1902

1



# कार्यालय ग्राम पंचायत, सूरजपुरा

पंचायत समिति जवाजा, जिला- अजमेर ( राज. )

क्रमांक :- 72/2019.

दिनांक 23/09/2019.

—: अनोपलि प्रकल्प पत्र :-

ग्राम सभा में अवगत किया गया था की जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईप लाईन जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है। तथा 199 गांवों व 390 दारिद्र्यो को पानी की आपूर्ति के लिए इस की आवश्यकता बताई गई एवं सभी ग्राम वासीयो की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईप लाईन बिछाने का विकास कार्य करने में रुकावट नहीं है। इस प्रस्ताव ग्राम सभा दि. 15/08/19 को प्रस्ताव सं. 3 में दर्ज कर दिया गया है।

जिसमें ग्राम सूरजपुरा, वागिया भाड़, सूरजपुरा दण्ड चौराहा की कुल क्षेत्रफल व जा. लांबावात गांवों की कुल आवश्यक प्रस्तावित वन भूमि 0.4832 हेक्टेयर शामिल है।

अगर उक्त जगहों पर जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईप लाईन बिछाई जाती है तो ग्राम पंचायत सूरजपुरा को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सं. FP/XJ/WATER/33 मय/2018  
अवतार जारी की गई।

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत, सूरजपुरा  
पं. स. जवाजा (अजमेर)

साक्षर

ग्राम पंचायत, सूरजपुरा  
पं. स. जवाजा (अजमेर)

अधिशोषी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

15/8/2019

(15 अगस्त 2019)

(107)

जाज दि 15/8/2019 को श्रीमती पंचांग समिति जवाजा के विभास आधीमरी के अधिका कुतः 1854 दि 14-08-19 की पालना में ग्राम पंचांग बुरजपुर में सरनन साहिवा श्रीमती राधा देवी की अध्यक्षता में एक ग्राम सभा का आयोजन रखा गया जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आधीनम की चारा 28 एच माननीय सॉनिच माप्रालय द्वारा रिट याचिका संख्या 837/2015 एवरल अभिमान वनाम सुनियन ऑफ इंडिया अन्नगन जावी निर्देशों की पातना में उचित मूल्य की दुकानों ललिन सावधानिक विवरण उगाती गाठ सभा के विषय रहे। ग्राम सभा में निम्नांकित कर्मचारी, आधीमरी व जनउतीनीदी गण उपस्थित रहे।

क्र.	आधीमरी, कर्मचारी जनउतीनीदी नाम	विभाग	पद	हस्ताक्षर
1	श्रीमती राधा देवी	पंचांगीराज	सरपंच	राधा देवी
2	हेमल कुमार वमाद	—	—	सरपंच
3	सुरेन्द्र सिंह	—	V.O.O	आम पंचायत सखनारा पंचायत सभा (अन्नगर)
4	हरेश कुमार (जवापरि)	—	च. सा.	—
5	तिलोक सिंह	—	—	—
6	जयारसी देवी	—	—	—
			वार्ड पंच	जयारसी
	सोमनाथ	4-3-2	पंच	उतापच
	लक्ष्मण सिंह मां ट सिंह		वार्ड पंच 6	लक्ष्मण सिंह
	रघुनाथ देव	वार्ड पंच 9		रघुनाथ देवी
	ललिता देवी (अ. डूंगर सिंह)	वार्ड पंच 8		देवी लाल
				ललिता

अधिकाजी अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग

जवाजा तालुका, जवाजा

अधिकाजी अभियन्ता

जन स्वा. अभि. विभाग

परियोजना ग्रुप, जवाजा



सर्वोच्च स्तरीय स्तरों ने सभी स्तरों को स्वतंत्र  
क्षेत्रों की तथा स्थापना की शुभताएं दी। तथा  
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दो शब्द कहे।

भूरामिष्ट  
जीवन लाल  
मधुमणि सिंह

ग्राम विभाग अधिकारी ने बताया कि आज ही ग्राम  
सभा कायम हुआ अतीत एवं उत्तर क्षेत्र की  
उम्मीदों पर दो बड़े सितारों की जानकारी दी।

महेन्द्र सिंह

ग्राम पिन 15/8/2019 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार  
समिति का आयोजन किया गया जिसमें जवाहरापरिषद्  
पानी सप्लाई पार्षद लक्ष्मण विद्याने की प्रावधानता वगैरह  
गई तथा उक्त पानी सप्लाई पार्षद लक्ष्मण विद्याने का  
ग्राम सप्लाई ग्राम सुरजपुर, बागिचागांव 804-चौराहा,  
उत्तराखण्ड जिला लालावाप, के उक्त 0.4832 हेक्टर  
पर ग्राम सभा पानी सप्लाई पार्षद लक्ष्मण विद्याने में काम  
आगे। एवं उपयोग से आने वाली वन भूमि पर। पक्षियों  
की मौजूदगी। प्रावधानता 2000 की धारा 311.1 ग्राम के  
प्रावधानकारिता उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी काम  
नहीं किया जा सकता है।

महेन्द्र सिंह  
महेन्द्र सिंह  
महेन्द्र सिंह

गोपाल सिंह

श्रीकांत

महेन्द्र सिंह

ग्राम सभा को अवगत कराया गया की जवाहरापरिषद्  
पानी सप्लाई पार्षद लक्ष्मण जो वन विभाग की भूमि से गुजर  
रही है तथा 199 गांवों व 390 लोगों को पानी की सुविधा  
देगी इस की प्रावधानता वगैरह गई एवं उक्त ग्राम सभा  
की स्थापना से प्रभाव पारित किया गया तथा किसी भी  
संस्था को वन क्षेत्र में जवाहरापरिषद् पानी सप्लाई पार्षद  
लक्ष्मण विद्याने का सिद्धांत कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है।  
उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के समक्ष में उक्त (3) पर 2-300  
कर दिया गया है।

प्रस्ताव संख्या FP/RJ/WATER/33 मय/2018  
पारितोषिक - जवाहरापरिषद् पानी सप्लाई पार्षद लक्ष्मण  
प्रावधानता उक्त वन भूमि 0.4832 हेक्टर लक्ष्मण ध्यापद  
मिस्र सर्वसहमती से बिना किसी परेशानी अज्ञात  
किया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 सरल मध्ये द्वारा प्रस्ताव प्रियता गया की  
ग्राम पंचायत क्षेत्र में जलाशय हेतु निम्न हेतुपत्र मुद्रा  
मान्यता है। 10 सुरजपुर में हनुमान जी के मंदिर के पास  
हेतुपत्र निर्माण।

तो 2008 मा. वि. सुरजपुर में हेतुपत्र निर्माण  
कि बाड़िया भा. 2008 में नरपत सिंह के मंदिर के पास हेतुपत्र

जवाहरापरिषद् पानी सप्लाई पार्षद लक्ष्मण विद्याने  
पानी सप्लाई पार्षद लक्ष्मण विद्याने  
पानी सप्लाई पार्षद लक्ष्मण विद्याने

अधिकांश अभियन्ता  
मन स्वा. अति. विभाग  
परिचालन, जल, जल



10, वृ. 13-20/230 का.प्रा.प. ग्राम पंचायत नुही मालदेव प.प. (अजमेर) 103  
 जे.प्रा. अभियांत्रिकी अभियन्ता सहे  
 जन. स्वा. अभि. विभाग  
 परियोजना खण्ड, जवाजा

दि. 3.12.19

(72)

विषय :- अनोपनि प्रस्ताव

दिनांक 26.11.19 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिती का आयोजन किया गया जिसमें, जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने की आवश्यकता बताई गई तथा उक्त पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने के विकास कार्य में राजस्व ग्राम नुही मालदेव की 0.0432 हे. 0.0482 हे. हैबटेयर वन भूमी उक्त पानी सप्लाई पाईपलाईन के बिछाने में काम आयगी। एवं उपयोग में आने वाली वनभूमी पर (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्राम सभा में अवगत करवाया गया की जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही है तथा 199 गावो व 390 ढाणियों को पानी की आपूर्ति के लिए इस की आवश्यकता बताई गई एवं सभी ग्राम वासियों की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने का विकास कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्रामसभा के रजिस्टर में क्रमांक 4 पर इन्द्राज कर दिया गया है।

प्रस्ताव संख्या - FP/RJ/WATER/33714/2018

परियोजना का नाम- जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन

ग्राम- नुही मालदेव, शिवनूबपुर

आवश्यक प्रस्तावित वनभूमि- 0.0432 हे. हैबटेयर

तहसील- जवाजा

जिला-अजमेर (राजस्थान)

\* सत्यमेव जयते \*


ग्राम पंचायत, नुही मालदेव  
 तहसील जवाजा, (अजमेर)

46 3410  
 ग्राम विकास अधिकारी  
 ग्रामपंचायत नुही मालदेव  
 तहसील- जवाजा, (अजमेर)

अधियांत्रिकी अभियन्ता  
 जन. स्वा. अभि. विभाग  
 परियोजना खण्ड, जवाजा



ग्राम सभा दि. 26.11.19



आम दिनांक 26.11.2018 को ग्रामीण गांधी सेवा केन्द्र मंत्री गोलडडे के संस्थान सादर की कागसभा की गुर्जर की अध्यक्षता में ग्राम सभा की कार्योत्तर रखा गया।

ग्राम सभा की कार्योत्तर मंत्री गोल मुख्य कार्यकारी जिला परिषद अगरे के पत्रांक 8379 दिनांक 24.11.19 के संदर्भ में। कार्यालय पंचायत समिति जवागरे डाकिए क्रमांक पत्रांक/पंचायत/19-20/3645-47 दिनांक 22.11.2018 के अनुपालन में।

ग्राम सभा के निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारी- अनुपस्थिति गणना ग्रामीण उपस्थिति एवं			
क्र.	अधिकारी/कर्मचारी/जनप्रतिनिधि/पद	विकास	हस्ताक्षर
1	श्री कागसभा गुर्जर	संस्थान पत्रांक	कागसभा
2	दिनेश जोषावत	क.सहा. - 1	Cel
3	दामर सिंह	वार्ड पंच	दामर सिंह
4	लक्ष्मी डडे	- 1 -	
5	द्वारा सिंह	- 1 - - 1 -	गोपाल सिंह
6			द्वारा सिंह
7	अपेन्द्र सिंह	वार्ड पंच 3	Rupaksh
8	Dalpur Singh	वार्ड पंच 4	Dalpur
9	सेनील	वार्ड पंच 7	सेनील

मूल की लक्ष्मीपति जी

जारी

पत्रांक विकास अधिकारी  
ज. प. गोल मंत्री गोल  
प. स. लक्ष्मी (अगरे)

अधिकांशी अभियन्ता  
जन स्वा. आ. विभाग

अधिकांशी अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  
नियोजना खात, जवागरे





ग्राम. ब्रह्मचर्य की कार्यवाही पर कर सुनाई गई है -

ग्राम सभा  
कमिटी

पृष्ठ 2. हल्का पट्टा की धुनी मालिक के कोरक  
वैद्यक मालिक नाम लिखने पेश दिने।

नाम	नामा	प्रकार	गांव
हरि सिंह	1798	बेचान	धुनी मालिक
मन	1799	विरासत	—
मामा	1800	बेचान	—

राम सिंह 724 विरासत से शिवनाथपुरा

सुनोहर सिंह  
हरि सिंह  
मामा  
मामा  
मामा  
मामा

5(3) बैंक डेशन पराम्य अपात्र लाइसेंस की  
धुनी पैथ की गई परकर सुनाई गई  
जिसका डेवी राबत 10/10 अन्तर्गत

5) बैंक डेशन जवाब पराम्य लाइसेंस वाली लाइसेंस  
पाईफ लाइसेंस निदान के आवश्यकता है। लाइसेंस  
मालिकता जवाब लाइसेंस - विज्ञापन पराम्य लाइसेंस  
जवाब जवाब के फल में 2-8-19  
पत्रांक प्राप्त हुआ है। वन भूमि के लिए  
(अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की  
धारा 3 (1) व 3(2) के तहत अपात्र प्रकृत  
पत्र मांगो जा रहा है

जवाब कोरक द्वारा विचार विमर्श के  
ग्राम नुकी सल्लेख उल्लेखित वन भूमि 0.0432  
हेक्टेयर व ग्राम शिवनाथपुरा वन भूमि 0.0432  
हेक्टेयर भूमि का अन्वयति प्रमाण पत्र जारी  
करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया

6) बैंक के की भूमिगत, सल्लेखित पराम्य  
की गणपत दास, गणपत दास 491 भूमिगत  
जवाब व्यापक ने गणपत दास तथा उपस्थिति  
होकर अपने अधिकारी सुदा गावाड़ी भूमि  
जवाब के 2771 सल्लेख 7.38.44 का गण

ग्राम सभा  
ग्राम सभा अध्यक्ष  
ग्राम सभा अध्यक्ष  
ग्राम सभा अध्यक्ष

ग्राम सभा  
ग्राम सभा

ग्राम सभा  
ग्राम सभा

अधिकांश अधिवक्ता  
अधिकांश अधिवक्ता  
अधिकांश अधिवक्ता



दिनांक 13.09.19 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिती का आयोजन किया गया जिसमें, जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने की आवश्यकता बताई गई तथा उक्त पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने के विकास कार्य में राजस्व ग्राम जवाजा की 0.6753 हेक्टेयर वन भूमी उक्त पानी सप्लाई पाईपलाईन के बिछाने में काम आयेगी। एवं उपयोग में आने वाली वनभूमी पर (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्राम सभा में अवगत करवाया गया की जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही है तथा 199 गावों व 390 ढाणियों को पानी की आपूर्ति के लिए इस की आवश्यकता बताई गई एवं सभी ग्राम वासियों की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने का विकास कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्रामसभा के रजिस्टर में क्रमांक 06 पर इन्द्राज कर दिया गया है।

13/09/19

प्रस्ताव संख्या - FP/RJ/WATER/33714/2018

परियोजना का नाम- जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन


ग्राम-

आवश्यक प्रतावित वनभूमि- 0.6753 हेक्टेयर

तहसील- अजमेर

जिला-अजमेर (राजस्थान)

  
 ग्रामपंचायत- जवाजा (अजमेर)  
 तहसील- अजमेर

  
 ग्राम विकास अधिकारी  
 ग्रामपंचायत जवाजा  
 तहसील- अजमेर

अधिराजा अभियन्ता

जन स्वा. अधि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

दिनांक 13.07.19 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिती का आयोजन किया गया जिसमें, जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने की आवश्यकता बताई गई तथा उक्त पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने के विकास कार्य में राजस्व ग्राम राजस्थान की 0.6827 हैक्टेयर वन भूमी उक्त पानी सप्लाई पाईपलाईन के बिछाने में काम आयेगी। एवं उपयोग में आने वाली वनभूमी पर (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

ग्राम सभा में अवगत करवाया गया की जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन जो वनविभाग की भूमि से गुजर रही है तथा 199 गावों व 390 ढाणियों को पानी की आपूर्ति के लिए इस की आवश्यकता बताई गई एवं सभी ग्राम वासियों की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन बिछाने का विकास कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्रामसभा के रजिस्टर में क्रमांक 06 पर इन्द्राज कर दिया गया है। 13/07/19

प्रस्ताव संख्या - FP/RJ/WATER/33714/2018

परियोजना का नाम- जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाईपलाईन

ग्राम-

आवश्यक प्रतावितवनभूमि- 0.6827 हैक्टेयर

तहसील- आवर

जिला-अजमेर (राजस्थान)

ग्रामपंचायत, जवाजा  
तहसील, राजस्थान (अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्रामपंचायत, जवाजा  
तहसील, राजस्थान (अजमेर)  
पं. रा. जवाजा (अजमेर)

अधिशाली अभियन्ता

जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना छण्ड, जवाजा



# कार्यलय ग्रामपंचायत कोटिगाना पं. स. जवाहर (अजमेर)

महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर वर्ष २०१९-२०

20/09/2019

आज दिनांक 13.09.2019 को ग्राम पंचायत - युद्धपालकर राजीव गांधी सेवा केन्द्र - कोटिगाना पर पंचायत समिति जवाहर के आदेश क्रमांक 198-34 दिनांक 20.8.19 के तहत महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर की शुरुआत का आयोजन करनी काफ़ी महत्वपूर्ण थी हुंजर सिंह की अध्यक्षता में किया गया जिसके निम्नानुसार कार्यवाही गयी। अधिकारीगणों ने अपनी ज़िम्मेदारी

क्र. सं.	कर्मचारी / आवेगारी गणों के नाम	पद का नाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	विमल राज	वि. कम. अधिकारी	R.D. Jadhav P.R.	विमल
2				
3				
4	श्री हुंजर सिंह	सह. पंचायत	पंचायत	हुंजर
5	असुराज	निरीक्षण अधिकारी	राजीव	असुराज
6	सुरीला रामरु	उप. वि.	पंचायत समिति	सुरीला
7	वर्णवत्त सिंह चौहान	ग्राम विकास अधिकारी	पंचायत समिति विभाग	वर्णवत्त
8	एड. श्री आर्य	अधीनस्थ अधिकारी	वि. व. वि. विभाग	एड. श्री आर्य
9	जगदेव	अधीनस्थ अधिकारी	वि. व. वि. विभाग	जगदेव
10	गो. वि. वि. वि. वि. वि. वि.	अधीनस्थ अधिकारी	वि. व. वि. विभाग	गो. वि. वि. वि. वि. वि. वि.
11	गुड्डा गुरेह - गुरेह	"	"	गुड्डा गुरेह
12	अ. म. अ. म. अ. म.	"	"	अ. म. अ. म. अ. म.
13	अनुराज राज	अधीनस्थ अधिकारी	पंचायत समिति	अनुराज
14	अ. म. अ. म. अ. म.	अधीनस्थ अधिकारी	पंचायत समिति	अ. म. अ. म. अ. म.
15	अ. म. अ. म. अ. म.	अधीनस्थ अधिकारी	पंचायत समिति	अ. म. अ. म. अ. म.

**अधिशाली अभियन्ता**  
जन स्वा. अधि. विभाग  
परियोजना अधिकारी, जवाहर

**अधिशाली अभियन्ता**  
जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग  
परियोजना अधिकारी, जवाहर











11) अक्षरानुसारं विन्यासविधिं विचार्ये नृदेवि

हमारे देश में पानी की कमी है।  
पानी को बचाने के लिए हमें  
पानी को सहेजना है।

(12) मिथुन राशि के घर से वीर्य सड़  
जाय क्योंकि सड़। (13) सड़क से निकलना

(13) कार्बोहाइड्रेट के छोटे से ब्राह्मिह के चरबी के  
 लम्बे / सीसी लकड़किया - यूरानियम के ब्रह्म

11) पञ्चांगन-सर्वत्र ही-वीरसिंह के झूठे ही को  
कलंक। ही-ही सर्वत्र निर्दोष - तो निगाहों में।

१५) नागर्षिणास्य के शत से रामदेवसिंह जी के  
चार ली डो (ब्लॉक) एच-सी-सडक पल्लविल नगर

सौरभ विद्या निरूपण  
(10) खिलनाद्वारा दया भाषा के अर्थ के अन्वय

[illegible]

सर्वोत्तम (सर्वोत्तम) का  
सर्वोत्तम (सर्वोत्तम) का

अविज्ञानात् अभियन्ता  
ज्ञानं तदा अभि. विज्ञानम्

पुनः प्रमाणित किया गया है कि यह एक ही व्यक्ति है।

जिनिह बरि अमर पद तिगुन देनहन अरु  
के बाकतको दिनेह अरु शिखा नोपनि

असह्य के लिये - गहरी देह - अनेक दिने  
गले - इनके - से - इनकी - सफल - अनेक - पा

[illegible]

~~पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः~~

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818



# कार्यालय ग्राम पंचायत, तारागढ़

पंचायत समिति जवाजा, जिला- अजमेर ( राज. )

क्रमांक :- 584 अधिशाषी अभियन्ता  
परियोजना स्वच्छता

दिनांक 5/12/2019

दिनांक 11/11 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार स्वचित्री का आयोजन किया गया जिसमें जवाजा परियोजना वाली सफ़र पार्षद लक्ष्मण बिछाने की आवश्यकता वाली सभी सड़क पर सफ़र पार्षद लक्ष्मण बिछाने के विकास कार्य में राजस्त ग्राम/वाली मेहरली, शेरो का बाड़िया, धारोला, तारागढ़, शेरो का बाड़ा, वसा रेखा की हेक्टा भूमि क्रमांक :- 0-0712, 0-0514, 0-0821, 0-0605, 0-0508, 0-0612. वन भूमि सड़क पर सफ़र पार्षद लक्ष्मण के बिछाने में काम आयेगी। एच 37 में आने वाली वन भूमि पर (अधिकार की भूमि) अधिसूचना 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त भूमि पर वनाधिकार का कार्य भी बांधा लक्षित अथवा प्रक्रिया धीन नहीं है।

ग्राम सभा में अग्रार कलाया गया की जवाजा परियोजना का सफ़र पार्षद लक्ष्मण जो वन भूमि की भूमि से गुजर रही है तथा 199 गांव व 330 दारियों की पानी की आपूर्ति के लिए उस की आवश्यकता पार्षद सभी एवं सभी गांव बाड़ियों की लक्ष्मण से प्रस्ताव पारित किया गया तथा बिना भी सफ़र को वन क्षेत्र के जवाजा परियोजना पार्षद लक्ष्मण बिछाने व कार्य करने के लिए कार्य आगति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के सदस्यों में क्रमांक 5/11/19 पर इंतजाम कर दिया गया है।

प्रस्ताव संख्या - FP/25/WATER/337/4/2019

परियोजना का नाम - जवाजा परियोजना वाली सफ़र पार्षद लक्ष्मण

तहसील - जवाजा

जिला - अजमेर (राजस्थान)

सदस्य  
ग्राम पंचायत तारागढ़  
पं.स. जवाजा (अजमेर)

अधीक्षक  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत, तारागढ़  
पं.स. जवाजा (अजमेर)

अधीक्षक अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा



आज दिनांक 07-11-2019 को ग्राम मुख्यालय कार्यकारी अधिकारी एवं विकास कार्यक्रम अधिकारी कम विकास अधिकारी के आदेशों की पाठना में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम में ग्राम सभा के आयोजन किया गया। ग्राम सभा में विशेष बिन्दु नैराश्रितों को आर्थिक सहायता एवं भोजन के लिए ग्राम सभा के द्वारा ग्राम सभा में निम्न लिखित कर्मचारी एवं जनता निधि उपस्थित हुए।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी एवं जनसंख्या	पद	विभाग	हस्ताक्षर
1	प्रमोद	सरपंच	पंचायतीश्वर	
2	प्रकाश चंद केदार	उपस्थिति A.C.B.E.D.	विभाग	
3	रजनी	प्रमोद	पंचायतीश्वर	
4	प्रमोद सिंह	उपस्थिति	पंचायतीश्वर	
5	मंवर सिंह	उपस्थिति	पंचायतीश्वर	
6	रजनी सिंह	उपस्थिति	पंचायतीश्वर	
7	अमराज शर्मा	पंचायतीश्वर	पंचायतीश्वर	
8	मुन्ना	पंचायतीश्वर	पंचायतीश्वर	
9	अमराज शर्मा	पंचायतीश्वर	पंचायतीश्वर	
10	अमराज शर्मा	पंचायतीश्वर	पंचायतीश्वर	
11	अमराज शर्मा	पंचायतीश्वर	पंचायतीश्वर	
12	अमराज शर्मा	पंचायतीश्वर	पंचायतीश्वर	
13	अमराज शर्मा	पंचायतीश्वर	पंचायतीश्वर	
14	अमराज शर्मा	पंचायतीश्वर	पंचायतीश्वर	
15	अमराज शर्मा	पंचायतीश्वर	पंचायतीश्वर	
16	अमराज शर्मा	पंचायतीश्वर	पंचायतीश्वर	
17	अमराज शर्मा	पंचायतीश्वर	पंचायतीश्वर	



मे. 11/19

2121

92	25.2568490	W.C.897059	9792
93	25.73707	897067	15744
94	22.30759	802031	768

02.11.19 ग्राम समिति वी.स.परिचालन डायरी में  
विभिन्न वरिष्ठ आवाही श्रेणी में आने के मद्देन  
शे. के वरिष्ठ आवाही लक्षणों के अनुसार वी.स. के वरिष्ठ नमूने  
0.0702, 0.0704, 0.082, 0.0805, 0.0808, 0.0812  
व.स. के वरिष्ठ नमूने के अनुसार विभिन्न वरिष्ठ आवाही  
श्रेणी में विभिन्न वरिष्ठ आवाही के अनुसार  
पानी की आवश्यकता के अनुसार वी.स. के वरिष्ठ  
नमूने के अनुसार वरिष्ठ आवाही के अनुसार

03.11.19 ग्राम समिति वी.स.परिचालन डायरी में  
लक्षणों के अनुसार वरिष्ठ आवाही के अनुसार  
0.0702, 0.0704, 0.082, 0.0805, 0.0808, 0.0812  
व.स. के वरिष्ठ नमूने के अनुसार विभिन्न वरिष्ठ आवाही  
श्रेणी में विभिन्न वरिष्ठ आवाही के अनुसार

अधिकांशी अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभियन्ता विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

अधिकांशी अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभियन्ता विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

अधिकांशी अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभियन्ता विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा



# कार्यालय ग्राम पंचायत, किशनपुरा

115

ओर से :-

ग्राम विकास अधिकारी

सरपंच

ग्राम पंचायत, किशनपुरा

पंचायत समिति, जवाजा (अजमेर) राज.

वास्ते :

श्रीमान्

अधिशायी अभियन्ता

परियोजना 2925 जवाजा

क्रमांक : गा. पं. किशनपुरा/29

दिनांक 3/12/2019.

विषय :- जवाजा पारि पानी सप्लाई परियोजना के बिना अनुमति के कनेक्शन के कारण पानी रिसकने का फर्ज  
प्रसंग :-

दिनांक 02/10/19 को ग्राम स्तरीय वनविभाग समिति का आयोजन किया गया जिसमें जवाजा परियोजना पानी सप्लाई परियोजना बिछाने की आवश्यकता बर्कर गई तथा उक्त पानी सप्लाई परियोजना बिछाने के विकास कार्य में राजस्व ग्राम-किशनपुरा का ब्याडिया, ब्याडिया वल्ली, ब्याडिया, रोजिंद्र, खेता का ब्याडिया, ब्याडिया लुम्बा, बी हेंदर, भूमि क्रमांक :- 0-0704, 0-0827, 0-0753, 0-0925, 0-0701, 0-0527, 8. वन भूमि का पानी सप्लाई पाइप लाइन के बिछाने में मान अधिकारी एवं अभियन्ता में आने वाली वनभूमि पर (अधिकारी की मर्यादा) अधिविभाग 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार उक्त भूमि पर वनविभाग का कार्य भी बाला जन्मि अधिकारी प्रमाणित की है।

ग्राम सभा में अचूकता ब्रायन गया की जवाजा परियोजना पानी सप्लाई परियोजना व वन विभाग से जुड़ा हो है तथा 133 गजों व 330 टांगियों को पानी की अनुमति के लिए वन की आवश्यकता बर्कर गयी एवं सभी ग्राम बालियों की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा किसी भी सदन को वन क्षेत्र में जवाजा परियोजना पानी सप्लाई पाइप लाइन बिछाने का विकास कार्य करने में कोई अधिकारी नहीं है उक्त प्रस्ताव गंगा सभा के सचिव में क्रमांक 5 पर प्रस्ताव मर है।

पुनर्पत्र क्रमांक - FP/RJ/WATER/33714/2019

परियोजना नाम - जवाजा, परियोजना पानी सप्लाई परियोजना

स्थान - जवाजा

दिनांक - अगस्त (2019)

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत किशनपुरा

पंच जवाजा (अजमेर)

सरपंच  
ग्राम पंचायत, किशनपुरा  
पंच, जवाजा (अजमेर)

अधिशायी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा



## विशेष ग्राम सभा

02/10/2019

आज दिनांक 02/10/2019 को राज्य सरकार द्वारा विचार  
माधवराजी जवाजा के आदेशानुसार महात्मा गांधी जयंती  
पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन गांधी जयंती रोज के  
पर किया गया निम्न एजेण्डा बिन्दु प्रकाश है।

- ① गत ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही
- ② महात्मा गांधी पर आधारित चर्चा का प्रदर्शन
- ③ पौधा रोपण
- ④ स्वच्छता एवं स्वस्थता विशेष के माध्यम पर चर्चा
- ⑤ ग्रामीर जनता शिक्षा पर चर्चा पढ़ने का विवरण
- ⑥ अन्य प्रस्ताव उपस्थित मध्ये से अनुमोदित करें

क्र.सं.	अधिकांश का नाम	पद	विभाग	फोन नं.	लगाव
1					
2					
3	सुमन कौल	पटवारी	राजस्व	8530311299	
4	ममता जैसू	A.W.M	स्वास्थ्य	9928353077	
	सिद्धी	—	—	9660661640	सिद्धी
	बाबूबाबू धर्म	L.P.C	पु. सं.	9887878438	बाबू
	रेखा	ग्राम विभाग	आ.	8764800435	रेखा
	राधा देवी	ग्र. कार्य	महिला विभाग	9166347058	राधा देवी
	अनूप	कार्यवाही	—	7742550326	अनूप
	राजेश्वरी	A.W.M	2005	9983113408	राजेश्वरी
	जानकी देवी	अ. सं.	—	8764800446	जानकी देवी
	सन्तोष देवी	अ. सं.	—	9799622758	सन्तोष देवी
	सरोज	कार्यवाही	—	9680975957	सरोज
	ममता	अ. सं.	2003	9828483732	ममता
	सुरीता	अ. सं.	—	9683935263	सुरीता
	सन्तोष	अ. सं.	—	7230992535	सन्तोष
	सन्तोष	अ. सं.	—		सन्तोष
	सीमा देवी	अ. सं.	—	9653980017	सीमा
	सीमा देवी			9828170682	सीमा

अधिकांश आभिनंदन  
जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग  
प्रयोजना खण्ड, जवाजा

अधिकांश अभियन्ता

जन स्वा. अभि. विभाग

प्रयोजना खण्ड, जवाजा



विशेष

प्रस्ताव सं- ① : जल संचयन कार्यवाही विवरण पर ६४  
मुनाभा गंगा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया  
गया।

प्रस्ताव- ② महात्मा गांधी के आधारित डॉ.  
चलायिका का प्रदर्शन किया गया वनडे डॉ. सिद्धांत  
समूह बनने के बाद विभिन्न लाभों पर चर्चा की  
गई स्वतंत्रता आंदोलन में वनडा योगदान सम्मान  
एवं स्यालिकन के लाभों पर चर्चा की गई

प्रस्ताव- ③ एजेन्डा अनुसार पौधा रोपण का  
प्रस्ताव रखा गया पर्यावरण में पौधों की महत्त्वता  
पर प्रकाश डाला गया एवं सर्वसम्मति से परिसर  
में पौधारोपण किए गए।

प्रस्ताव संख्या- ④ : डेन्यू स्वरूप का प्लास्टरिड की  
थैली आड़ी पर लगाई गई रेत के बारे में  
बताया गया वनडे तुल्य प्रभावों पर चर्चा की गई  
सदन में सर्वसम्मति से प्लास्टरिड मुक्त ग्राम प्रचारित  
करने का प्रस्ताव पारित किया साथ ही स्वच्छता  
आयोजना के सफल बनाने के लिए आक्रामक लॉड  
पर अपने आठ-पाए के डींग की सानु रचने  
के लिए प्रेरित किया गया

प्रस्ताव सं- ⑤ : सदन के समस्त आधिकांश आयोजनाओं  
जिन PMD परियोजनाओं में जवाजा का पडा प्रभाव  
314/315/325/326/327/328 सभी दिनांक २०८.२०७ के  
पदे गये सम्मोक्षा कार्यवाही में जवाजा परियोजना  
शान्ति सल्लाह पाठ्य लाइन विज्ञान के विद्यार्थ  
कार्य के उपयोग में आने वाली वन सुविधा के  
लिए आधिकारी की मान्यता अधिमिपु २००६ की

कार्य 3(1) व 3(2) के तहत ग्राम प्रचारण से  
अनापनी प्रभाव वन मोनर गया है जो कि गांधी  
लुब्ध ऐसी का वादिया राजेना वसती कारीवसी  
केनरी का वादिया, डींग के लिए मोनरी गई है  
वाड-विनाद विमर्ष सर्वसम्मति से निर्णय लिया  
गया कि पाकी सल्लाह पाठ्य लाइन विज्ञान का  
कार्य जनहित का आवश्यक कार्य है अतः यदि  
वन विभाग की अनुमति से ग्राम प्रचारण के वन  
डुंग में जवाजा परियोजना पाठ्य सल्लाह पाठ्य लाईन  
विज्ञान का विद्यार्थ कार्य करने वाली की संकल्प

पत्राचार  
पत्राचार  
पत्राचार

अधिकांश अधिकांश  
जन स्वा. अधि. विभाग  
परियोजना अनुकूल, जवाजा



एक घरवाली को डेर आगोश नहीं है।  
 प्रस्ताव संख्या - ⑥ वीसलपुर जवाजा परिधीय  
 के कान्तजी भू-तल जलाशय के सिमेंट पुली  
 वाला बाइपास (आवागमन) की पुली के पास  
 मैंग्रोव के मड़ान के पास है। इसमें के सामने  
 ही जगह उचित बनाने के लिए पर सदन  
 ने विचार. विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय  
 लिया गया कि ये जगह भू-तल जलाशय के  
 सिमेंट की जाती है जो किसी को डेर आगोश  
 नहीं है।

सुरेश

प्रस्ताव संख्या - ⑦ I.W.M.P-20 में संशोधित  
 P.P.R. हेतु सदन के समक्ष प्रस्ताव संख्या ⑦  
 वसन्त मिश्रा मनुसाद संबंधित आवेदन है. बाद-विचार  
 विमर्श सदन द्वारा I.W.M.P-20 के संशोधित  
 P.P.R. का अनुमोदन हर सर्वसम्मति से प्रस्ताव  
 पारित किया गया।

संशोधित  
 P.P.R.

काम

क्र.सं.	विवरण	संशोधित P.P.R. में आवेदन	
①	जल मीटर	Phy 11660	1.51
②	अडॉन	→ 2	2.17
③	मसल प्रदर्श	→ 84	1.63
④	उद्यान विद्या	→ 1550	0.52
⑤	EPA फर्श कम्पोज	→ 2	1.04
⑥	डिप सीरीज	→ 2700	2.70
⑦	SLT	→ 3850	2.02
⑧	C.C.T	→ 12300	8.63
⑨	NA Plantation	→ 30	25.00
⑩	MPT	→ 10	5.80
⑪	DOSD	→ 1	2.00
⑫	नदी	→ 11	27.88
⑬	हैवी	→ 1	3.50

काम

काम

काम

प्रस्ताव संख्या - ⑧ महानदी का वर्ष 2020-21 में  
 हमलगा लागू में जो काम किया जा रहा है वह  
 भिन्न है।

काम

अधिकांश अभियन्ता

जल स्वास्थ्य अभियन्ता विभाग

अधिकांश अभियन्ता







# कार्यालय पंचायत समिति जवाजा (अजमेर)

दिनांक 01/08/2020

2020-21 4077

उपखण्ड अधिकारी

विषय - अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 द्वारा पठित उपखण्ड स्तरीय समिति से अनापति जारी करने हेतु अधिशाही बाधक प्रसंग - श्रीमान अधिशाही अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खण्ड जवाजा का पत्रांक 167-169 दिनांक 11/08/2020

महोदय,  
सम्प्रेषित प्रसंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 द्वारा पठित उपखण्ड स्तरीय समिति से अनापति जारी करने हेतु निम्न ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव सार्वर प्रेषित हैं।

ग्राम पंचायत का नाम	वि. वि.
1. इलवाडा	प्रस्ताव संलग्न है।
2. मलांड	प्रस्ताव पूर्व में प्रेषित है।
3. अरवटवाडा	प्रस्ताव संलग्न है।
4. मोहनी	प्रस्ताव संलग्न है।
5. केशनपुरा	प्रस्ताव संलग्न है।
6. राजियावास	प्रस्ताव संलग्न है।
7. सरदेगा	प्रस्ताव संलग्न है।
8. गिवाडा	प्रस्ताव संलग्न है।
9. जवाजा	प्रस्ताव संलग्न है।
10. सुरजपुरा	प्रस्ताव संलग्न है।
11. नाहिकला	प्रस्ताव संलग्न है।
12. कावरा	प्रस्ताव संलग्न है।
13. सरदेगा	प्रस्ताव पूर्व में प्रेषित है।
14. रावतमाल	प्रस्ताव संलग्न है।
15. लोहियाणा	प्रस्ताव संलग्न है।
16. आसन	प्रस्ताव संलग्न है।
17. बामनहला	प्रस्ताव संलग्न है।
18. बनकोरी	प्रस्ताव संलग्न है।

विकास अधिकारी

पंचायत समिति जवाजा

अधिशाही अभियन्ता

जन स्वा. अभि. विभाग

परियोजना खण्ड, जवाजा



126

1

# कार्यालय ग्राम पंचायत, देलवाड़ा

पंचायत समिति-ग्रामपंचायत (जिला अजमेर) राज.


प्रेषक :

सरपंच श्रीमती जशोदा चौधरी

ग्राम-पंचायत-देलवाड़ा

पं.स. जवाड़ा (अजमेर)

मोबा=9414277734, 9571587734



ग्राम पंचायत

वास्ते :-

श्रीमान

क्रमांक : ग्रा.पं.देलवाड़ा/2020-21/48

प्रस्ताव-06

दिनांक 22/08/2020

विषय :- राज.समाज.समाज.से.जल.स्वा.अग्नि.विभाग.परियोजना.खण्ड.जवाड़ा.के.अमीन.नतोरा.के.भूमि.परिचालना.जवाड़ा.के.अन्तर्गत.भूमि.की.पाइप.लाइन.विछाने.का.कार्य.प्रस्तावित.है.पूरुब.परिचालना.की.पाइप.लाइन.विछाने.का.विकास.कार्य.राज.समा.द्वारा.देलातपुरा.क्लाइमेट.की.एक.भूमि.में.किया.जाएगा.जिसके.लिए.ग्राम.सभा.वैठक.ग्राम.22/08/2020.वैठक.सं.6.में.सरपंच.ग्राम.पंचायत.देलवाड़ा.की.अध्यक्षता.में.तथा.अन्य.सदस्यों.की.सहभागिता.में.आयोजित.की.गयी.ग्राम.सभा.तथा.ग्राम.सभा.समिति.के.सदस्यों.की.उपस्थिति.में.समाविष्ट.महत्व.की.गयी.

1. गैर वन उद्देश्य के लिए अजमेर वन प्रभाग के देलातपुरा क्लाइमेट ग्राम की एक भूमि में विपथन प्रस्ताव, अधिशापी अभियन्ता जन स्वा. अग्नि विभाग परियोजना खण्ड जवाड़ा द्वारा प्रस्तुत किये गये। आवेदन अर्थात् पाइप लाइन लगायी जाने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्य तथा निहित वन पर गांव समिति में प्रकट वना प्रभाव पर विचार दिग्दर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासियों (वन अधिकारों की गन्धता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिए प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन विछायी जाये तथा सम्मानितों को पेयजल सुविधा से लाभाश्चित किये जाने के लिए हैं, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति तथा आदिम जनजाति के भूमि में कोई परम्परागत वन अधिकार प्रस्ताव नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन विछाने लगायी जाने के लिए अजमेर में वन प्रभाग के देलातपुरा क्लाइमेट ग्राम की भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाता है।

Ka. Jaisankar  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पं. देलवाड़ा  
(पंचायत समिति) अधिकारी

अजमेर जिला प्रशासन  
अजमेर जिला प्रशासन  
अजमेर जिला प्रशासन

जशोदा  
सरपंच  
ग्राम पंचायत देलवाड़ा  
पं.स. जवाड़ा (अजमेर)

अधिशायी अभियन्ता



ग्राम सभा अनुज्ञा

नं० २३/२०२०

ग्राम सभा-

ग्राम पंचायत- नरवदनपुरा

शाम- २२/०६/२०

दिनांक- २०/०६/२०२०

राजस्थान राज्य में जन स्वा० अभि० विभाग, परियोजना खण्ड, जवाजा को अधीन पल्लोतइड नियंत्रण परियोजना, जवाजा के अन्तर्गत पानी की पाईप लाइन विछाने का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की पाईप लाइन विछाने का विकास कार्य राजारव माग / दमोली २४/०६/२०२०, २५/०६/२०२० की वन भूमि में किया जाएगा। जिसके लिए ग्राम सभा बैठक माग २०/०६/२०२० में संपन्न, ग्राम पंचायत २२/०६/२० की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गयी, ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी:-

1. गैर वन उद्देश्य के लिए अजमेर वन प्रभाग के नरवदनपुरा, माग २४/०६/२० ग्राम की वन भूमि में विपथन प्रस्ताव, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा० अभि० विभाग, परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किये गये। आवेदन अर्थात् पाईप लाइन लगायी जाने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहित वन पर ग्राम समिति में प्रकट तथा प्रमुख तौर पर विचार विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में, अनुरोधित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम २००६ के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिए प्रस्तावित भूमि में पाईप लाइन बिछायी जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिए है, तथा कोई अनुरोधित जनजाति और आदिम निवासी होती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुरोधित जनजाति तथा आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाईप लाइन निर्माण लगायी जाने के लिए अजमेर में वन प्रभाग के नरवदनपुरा, माग २४/०६/२० ग्राम में भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी  
श. पं. नरवदनपुरा  
ग्राम विकास अधिकारी अजमेर

Jamy  
जन स्वा० अभि० विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

21/06/20  
सरपंच  
ग्राम सभा, नरवदनपुरा  
प. र. जवाजा (अजमेर)



# कार्यालय ग्राम पंचायत गोहाना पंचायत समिति जवाजा (अजमेर)

क्रमांक-2020-21/10


दिनांक-22.06.2020


कोरम बैठक दिनांक 20.06.2020 के प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा प्रस्ताव लिया गया कि राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड, जवाजा के अधीन पलोरहाड नियंत्रण परियोजना, जवाजा के अन्तर्गत पानी की पाईप लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की पाईप लाइन बिछाने का विकास कार्य राजस्व ग्राम सनवा एवं गोहाना की वन भूमि में किया जायेगा। जिसके लिए ग्राम पंचायत की कोरम बैठक ग्राम गोहाना में सरपंच, ग्राम पंचायत गोहाना की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई, ग्राम समा तथा ग्राम वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:-


1. गैर वन उद्देश्य के लिए अजमेर वन प्रभाग के गोहाना एवं सनवा ग्राम की वन भूमि में विपणन प्रस्ताव, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किये गये। आवेदन अर्थात् पाईप लाइन लगायी जाने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहित वन पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रमुख तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिए प्रस्तावित भूमि में पाईप लाइन बिछायी जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिए है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास एवं अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति तथा आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाईप लाइन निर्माण लगायी जाने के लिए अजमेर में वन प्रभाग के सनवा एवं गोहाना ग्राम में भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाता है।

इस प्रस्ताव का अनुमोदन आगामी ग्रामसभा बैठक में करा लिया जायेगा।

  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत...  
अ.स. जवाजा (अजमेर)



  
ग्राम पंचायत, गोहाना  
प.स. जवाजा (अजमेर)

अधिशाषी अभियन्ता



विकास

4. विभाग

124 8

## ग्राम समा अनुज्ञा

कोरम 15 20.6.20 9.6.2

ग्राम पंचायत-

ग्राम समा-

ग्राम-

दिनांक-

राजस्थान राज्य में जन स्वा० अभि० विभाग, परियोजना खण्ड, जवाजा के अधीन पलोराइड नियंत्रण परियोजना, जवाजा के अन्तर्गत पानी की पाईप लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की पाईप लाइन बिछाने का विकास कार्य राजस्व ग्राम/ टाणी... की वन भूमि में किया जाएगा। जिसके लिए ग्राम समा बैठक... की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में सत्रपंच, ग्राम पंचायत... आयोजित की गयी। ग्राम समा तथा ग्राम वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी:-

1. गैर वन उद्देश्य के लिए अजमेर वन प्रभाग के... ग्राम की वन भूमि में विपथन प्रस्ताव, अधिशापी अभियन्ता, जन स्वा० अभि० विभाग, परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किये गये। आवेदन अर्थात् पाईप लाइन लगायी जाने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यो तथा निहित वन पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रमुख तौर पर विचार विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के समन्ध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिए प्रस्तावित भूमि में पाईप लाइन बिछाई जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिए है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति तथा आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाईप लाइन निर्माण लगायी जाने के लिए अजमेर में वन प्रभाग के... ग्राम में भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत  
पंचायत समिति जवाजा

अधिशापी अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

सत्रपंच  
ग्राम पंचायत  
प. स. जवाजा

Scanned by CamScanner

अधिशापी अभियन्ता

जन स्वा. अभि. विभाग

परियोजना खण्ड, जवाजा

Scanned with CamScanner



## ग्राम सभा अनुज्ञा

७

गैर वन बैठक  
ग्राम सभा

ग्राम पंचायत- सरवीना

ग्राम- सरवीना

दिनांक- 22.6.2020

राजस्थान राज्य में जन स्वा0 अभि0 विभाग, परियोजना खण्ड, जवाजा के अधीन पलोराइड नियंत्रण परियोजना, जवाजा के अन्तर्गत पानी की पाईप लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की पाईप लाइन बिछाने का विकास कार्य राजस्व ग्राम/ टाणी सरवीना, नाहरपुरा, सुरजपुरा की वन भूमि में किया जाएगा। जिसके लिए ग्राम सभा बैठक ग्राम 22.6.2020 में सरपंच, ग्राम पंचायत सरवीना की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गयी, ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी:-

1. गैर वन उद्देश्य के लिए अजमेर वन प्रभाग के सरवीना, नाहरपुरा, सुरजपुरा ग्राम की वन भूमि में विपथन प्रस्ताव, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किये गये। आवेदन अर्थात् पाईप लाइन लगायी जाने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहित वन पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रमुख तौर पर विचार विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के समी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिए प्रस्तावित भूमि में पाईप लाइन बिछायी जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिए है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा हैं, तथा अनुसूचित जनजाति तथा आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाईप लाइन निर्माण लगायी जाने के लिए अजमेर में वन प्रभाग के सरवीना, सुरजपुरा ग्राम में भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाता है।

नाहरपुरा - उक्त प्रस्ताव को ग्राम सभा से अनुमोदन करा दिया जावेगा

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत, सरवीना  
ग्राम विकास अधिकारी

अधिशासी अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

सरपंच  
(रुकमा)  
सरपंच  
ग्राम पंचायत, सरवीना  
प.स. जवाजा (अजमेर) राज



ग्राम समा अनुज्ञा

ग्राम समा- ०५

ग्राम पंचायत- राजियावास

ग्राम- 15/06/2020 राजियावास

दिनांक- 15/06/2020 पृष्ठ ०५

राजस्थान राज्य में जन स्वा० अभि० विभाग, परियोजना खण्ड, जवाजा के अधीन प्लौराइड नियंत्रण परियोजना, जवाजा के अन्तर्गत पानी की पाईप लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की पाईप लाइन बिछाने का विकास कार्य राजस्व ग्राम/ दाणी राजियावास, कालीजरा की वन भूमि में किया जाएगा। जिसके लिए ग्राम समा बैठक ग्राम समिति के माध्यम से ग्राम में सरपंच, ग्राम पंचायत, राजियावास की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गयी, ग्राम समा तथा ग्राम/ वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी:-

1. गैर वन उद्देश्य के लिए अजमेर वन प्रभाग के राजियावास, कालीजरा ग्राम की वन भूमि में विपथन प्रस्ताव, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा० अभि० विभाग, परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किये गये। आवेदन अर्थात् पाईप लाइन लगायी जाने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहित वन पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रमुख तौर पर विचार विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिए प्रस्तावित भूमि में पाईप लाइन बिछायी जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिए है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति तथा आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाईप लाइन निर्माण लगायी जाने के लिए अजमेर में वन प्रभाग के राजियावास, कालीजरा ग्राम में भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत, राजियावास  
पं. स. जवाजा (अजमेर)

अधिशाषी अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

सरपंच  
ग्राम पंचायत- राजियावास  
पं. स. जवाजा (अजमेर)



## ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा-

ग्राम पंचायत- देवरा


ग्राम- जोनीपुरा, देवरा, कलमखोडा, 01 डिग्री 10' 30"


दिनांक- 22/06/2020


राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड, जवाजा के अधीन पलोराइड नियंत्रण परियोजना, जवाजा के अन्तर्गत पानी की पाईप लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की पाईप लाइन बिछाने का विकस. कार्य राजस्व ग्राम/ जोनीपुरा, देवरा, कलमखोडा, 01 डिग्री 10' 30" की वन भूमि में किया जाएगा। जिसके लिए ग्राम सभा बैठक ग्राम जोनीपुरा, देवरा, कलमखोडा, 01 डिग्री 10' 30" में संपन्न ग्राम पंचायत देवरा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गयी, ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी:-

1. गैर वन उद्देश्य के लिए अजमेर वन प्रभाग के जोनीपुरा, देवरा, कलमखोडा, 01 डिग्री 10' 30" ग्राम की वन भूमि में विपथन प्रस्ताव, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किये गये। आवेदन अर्थात् पाईप लाइन लगायी जाने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहित वन पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रमुख तौर पर विचार विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिए प्रस्तावित भूमि में पाईप लाइन बिछायी जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिए है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति तथा आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।


इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाईप लाइन निर्माण लगायी जाने के लिए अजमेर में वन प्रभाग के जोनीपुरा, देवरा, कलमखोडा, 01 डिग्री 10' 30" में भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाता है।

  
ग्राम विकास अधिकारी  
22/06/2020

  
अधिशासी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

  
सरपंच  
ग्राम पंचायत देवरा  
प. स. जवा

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत, देवरा  
प. स. जवाजा (अजमेर)

  
अधिशासी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग



# ग्राम सेवा अनुज्ञा

9

ग्राम सेवा-

ग्राम प्रधान- *अजय*

ग्राम-

दिनांक-

राजस्थान राज्य में जन सेवा अभि० विभाग परियोजना खण्ड जवाजा के अधीन फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना जवाजा के अन्तर्गत पानी की पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की पाइप लाइन बिछाने का विकास कार्य राजस्व ग्राम/ठाणी *जवाजा* की वन भूमि में किया जाएगा। जिसके लिए ग्राम सेवा बैठक ग्राम *जवाजा* में सत्पच ग्राम प्रधान *अजय* की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गयी। ग्राम सेवा तथा ग्राम वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी-

1. गैर वन उद्देश्य के लिए अजमेर वन प्रभाग के *जवाजा* ग्राम की वन भूमि में विषयन प्रस्ताव, अधिशासी अधिनियम, जन सेवा अभि० विभाग, परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किये गये। आवेदन अर्थात् पाइप लाइन लगायी जाने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।
2. उपरोक्त विषयन प्रस्ताव के उद्देश्य तथा निहित वन पर गांव समिति में ब्रह्म तथा प्रमुख वन पर विचार विमर्श लिया गया।
3. उपरोक्त विषयन प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया। विषयन के लिए प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन बिछाये जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिए है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति तथा आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगायी जाने के लिए अजमेर वन

ग्राम में भूमि के विषयन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया जात है।

*जवाजा 452 444 221 204 1172 1178*

ग्राम प्रधान अधिकारी  
ग्राम विभाग

*Sanjay*  
अधिशासी अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

ग्राम सेवा  
ग्राम प्रधान जवाजा  
ग्राम वन समिति-जवाजा

सचिव

अधिशासी अभियन्ता



ग्राम सभा अनुज्ञा

इसलिए- बैठक  
ग्राम सभा-

ग्राम पंचायत- सूरजपुरा

ग्राम- सूरजपुरा

दिनांक- 22/06/2020

राजस्थान राज्य में जन स्वास्थ्य अभि० विभाग, परियोजना खण्ड, जवाजा के अधीन पलाराइड नियंत्रण परियोजना, जवाजा के अन्तर्गत पानी की पाईप लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की पाईप लाइन बिछाने का विकास कार्य राजस्थान ग्राम/ दायी सूरजपुरा, श्री-2 कृष्णान की वन भूमि में किया जाएगा। जिसके लिए ग्राम सभा बैठक ग्राम सूरजपुरा 22/06/2020 में सम्पन्न, ग्राम पंचायत सूरजपुरा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गयी, ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी:-

1. गैर वन उद्देश्य के लिए अजमेर वन प्रभाग के सूरजपुरा, श्री-2 कृष्णान ग्राम की वन भूमि में विपथन प्रस्ताव, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि० विभाग, परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात् पाईप लाइन लगायी जाने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहित वन पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रमुख तौर पर विचार विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिए प्रस्तावित भूमि में पाईप लाइन बिछा दी जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिए है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी होती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति तथा आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाईप लाइन निर्माण लगायी जाने के लिए अजमेर में वन प्रभाग के सूरजपुरा, श्री-2 कृष्णान ग्राम में भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाता है।

→ अब प्रस्ताव को शीत ऋतु में सम्पन्न करा जायेगा।

ग्राम विकास अधिकारी

[Signature]  
ग्राम विकास अधिकारी

[Signature]  
अधिशासी अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

[Signature]  
समस्त सदस्यों  
प. स. जवाजा

अभिजातीय अभियन्ता



# ग्रामपालिका ग्राम पंचायत - नाइकला

पंचायत समिति-जवाजा (अजमेर) राज.

अधिवक्ता

सदस्य

फोन : 9166470490

7023450752

क्रमांक: ग्रापना / 2020-21/30

दिनांक 22/06/2020

## ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा - 22/06/2020 प्रस्ताव संख्या: 03

ग्राम - चिलिमाख

दिनांक - 22/06/2020

गोपालपुर राज्य में जन स्वास्थ्य विभाग की एक अवाजा के अधीन प्लोडिंग निवेश परियोजना, अवाजा के अंतर्गत पानी की पईय लाने विद्यमान का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित प्लोडिंग के रास्ते आठ - चिलिमाख की वन भूमि में सिंचाई जाएगा। जिसके लिए ग्राम सभा के सदस्य आठ - नाइकला में सरपंच, ग्राम की सभी भंडार सिंह की अध्यक्षता में तथा 'नन्द लाल' की अध्यक्षता में 'आयोग' की गयी, निम्न मुद्दों पर विचार किया गया।

① गैर वन उद्देश्यों के लिए अजमेर वन विभाग के चिलिमाख आठ की वन भूमि में विषयन प्रस्ताव, अजमेर अजमेर, जन स्वास्थ्य विभाग, प्लोडिंग अवाजा की प्रस्तुत किया गया। आगे पर विचारपूर्वक कार्य की गयी।

② - इसलिए गैर-वन उद्देश्यों के लिए पईय लाने निर्माण लागू करने के लिए अजमेर के वन आठ के चिलिमाख आठ में भूमि के विषयन के वक्त में सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाता है।

*Signature*  
आ.पो.जाट

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत, नाइकला  
उत्तरांचल समिति जवाजा

*Signature*

जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग  
अजमेर जवाजा

*Signature*

(भंडार सिंह)

ग्राम पंचायत, नाइकला  
पं. जवाजा (अजमेर)



# कार्यालय - ग्राम पंचायत, काबरा

पंचायत समिति जवाजा, जिला-अजमेर (राज.)

सरपंच

पार्वती देवी

मो. 9799478877

ग्राम काबरा, तहसील-व्यावर

जिला-अजमेर (राज.)

पिन-305927

क्रमांक

49/2020

दिनांक 22/6/2020

रैवेर

औमान विकास अधिकारी मोहय्य  
पंचायत समिति जवाजा

विषय :- ग्राम सभा अन्तर्भा का प्रस्ताव पत्र विभाग भूमि के निपटारे के उम में  
मोहय्य

अपरोक्ष विषय अन्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत काबरा में पंचायत भूमि में दिनांक 20/6/2020 के प्रस्ताव संख्या 02 के प्रस्ताव पारित किए गए जो सर्व सही तरीके से गई है। प्रस्ताव 02 के अन्तर्गत राज. से जल. स्था. भूमि विभाग परियोजना 2015 जवाजा के अधीन ग्राम पंचायत काबरा में फ्लोरप्लैट निपटारा परियोजना के अन्तर्गत पल्ली पार्सल नंबर 107 का प्रस्तावित संख्या ग्राम पंचायत काबरा चकली धोलापताम धुलीधर, रामपुरा दुध भूमीधर की ख. भूमि में दिए गए जवाजा के ग्राम पंचायत में सिद्धी प्रकर से आपने नवी उम में दिए ग्राम पंचायत के संख्या स्वयं वाई केन गग ने निराम के 6 सर्व सही तरीके से गई है।

अधिशारी अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

सरपंच  
ग्राम पंचायत, काबरा  
पं.स. जवाजा (अजमेर)

अधिशारी अभियन्ता

जन स्वा. अभि. विभाग

परियोजना खण्ड, जवाजा

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत

पं.स. जवाजा (अजमेर)



ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा-

ग्राम पंचायत- काठर


ग्राम- पिपरावेडा, मुलीपुड, काठर, हावली, ओत्तापुडा, रामपुरा, श्वारलावेडा,  
दिनांक- 20/6/2020


राजस्थान राज्य में जन स्वा0 अभि0 विभाग, परियोजना खण्ड, जवाजा के अधीन फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना, जवाजा के अन्तर्गत पानी की पाईप लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की पाईप लाइन बिछाने का विकास कार्य राजस्व ग्राम/ हावली, पिपरावेडा, मुलीपुड, काठर, ओत्तापुडा, रामपुरा, श्वारलावेडा की वन भूमि में किया जाएगा। जिसके लिए ग्राम सभा बैठक ग्राम/ हावली, पिपरावेडा, मुलीपुड, काठर, ओत्तापुडा, रामपुरा, श्वारलावेडा में सरपंच, ग्राम पंचायत, काठर, रामपुरा सहित की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गयी, ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी:-

1. गैर वन उद्देश्य के लिए अजमेर वन प्रभाग के ग्राम की वन भूमि में विपथन प्रस्ताव, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किये गये। आवेदन अर्थात् पाईप लाइन लगायी जाने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहित वन पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रमुख तौर पर विचार विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिए प्रस्तावित भूमि में पाईप लाइन बिछायी जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिए है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति तथा आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाईप लाइन निम्नलिखित लगायी जाने के लिए अजमेर वन प्रभाग के प्रस्ताव सं० 3 में 20/6/2020 ग्राम में भूमि के विपथन को बैठक में सार्वजनिक रूप से पारित किया जाता है।

  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत,  
पं. स. जवाजा (अजमेर)

  
अधिशासी अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

  
सरपंच  
ग्राम पंचायत, काठर  
पं. स. जवाजा (अजमेर)



## ग्राम सभा अनुज्ञा

पाकि 3/6/20  
ग्राम सभा-

ग्राम पंचायत- लोहिया

ग्राम- लोहिया

दिनांक- 22/6/2020 एस्/व न. 02 पाकि 3/6/20

राजस्थान राज्य में जन स्वा0 अभि0 विभाग, परियोजना खण्ड, जवाजा के अधीन फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना, जवाजा के अन्तर्गत पानी की पाईप लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की पाईप लाइन बिछाने का विकास कार्य राजस्व ग्राम/ इम्पी लोहिया नि. न. 301 की वन भूमि में किया जाएगा। जिसके लिए ग्राम सभा बैठक ग्राम लोहिया में सरपंच, ग्राम पंचायत लोहिया की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गयी, ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी:-

1. गैर वन उद्देश्य के लिए अजमेर वन प्रभाग के लोहिया ग्राम की वन भूमि में विपथन प्रस्ताव, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किये गये। आवेदन अर्थात् पाईप लाइन लगायी जाने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहित वन पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रमुख तौर पर विचार विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिए प्रस्तावित भूमि में पाईप लाइन बिछायी जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिए है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति तथा आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाईप लाइन निर्माण लगायी जाने के लिए अजमेर में वन प्रभाग के लोहिया ग्राम में भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाता है।

*(Signature)*

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत, लोहिया  
च. स. जवाजा (अजमेर) राज.

*(Signature)*  
अधिलासी अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

*(Signature)*  
मीना देवी  
सरपंच

ग्राम पंचायत लोहिया  
प.त. जवाजा (अजमेर) राज.

*(Signature)*  
अधिलासी अभियन्ता



ग्राम समा अनुशा

ग्राम समा-

ग्राम विकास- आसन

ग्राम- बावन

दिनांक- 15/6/2024 प्र.सं. 62

राजस्थान राज्य में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, परिवोजना खण्ड, जवाजा के अन्तर्गत पलोराहट निस्वर्ण परियोजना, जवाजा के अन्तर्गत गरी की पार्श्व लाइन विधान का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की पार्श्व लाइन विधान का दिशा में कार्य राजस्थान ग्राम/ दामोदर नदी का बाँध के पास जमीन में किया जाएगा। जिसके लिए ग्राम सभा बैठक ग्राम दिनांक 15/6/2024 में आयोजित की गयी। ग्राम समा तथा ग्राम वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी-

1. गैर वन उद्देश्य के लिए अजमेर वन प्रभाग के अधीन बावन की वन भूमि में विपथन प्रस्ताव, अधिनापी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, परिवोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किये गये। आवेदन अर्थात् पार्श्व लाइन लगायी जाने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहित वन पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रमुख तौर पर विचार विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिए प्रस्तावित भूमि में पार्श्व लाइन विचार्य जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिए है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी होती भावना या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा अनुसूचित जनजाति तथा आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पार्श्व लाइन निर्माण लगायी जाने के लिए अजमेर वन प्रभाग के सहायक सार्वजनिक वन अधिकारी ग्राम में भूमि के विपथन पर बैठक में सर्वसम्मति से इस पारित किया जाता है। महेश्वरी, दिनांक 15/6/2024

माम बिश्वस अधिकारी  
ग्राम विकास, आसन  
जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

जाम  
अधिलक्षी अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

सहायक  
ग्राम विकास आसन  
पंचायत (अजमेर)







# ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा-

ग्राम पंचायत- अजमेरी

ग्राम- अजमेरी

दिनांक- 15/6/2020 जे.स. (3)

राजस्थान राज्य में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, परियोजना खण्ड, जवाजा के अधीन पलोराइड नियंत्रण परियोजना, जवाजा के अन्तर्गत पानी की पाईप लाइन विछाने का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की पाईप लाइन विछाने का विकास कार्य राजस्व ग्राम अजमेरी की वन भूमि में किया जाएगा। जिसके लिए ग्राम सभा बैठक ग्राम अजमेरी में सरपंच, ग्राम पंचायत अजमेरी की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गयी, ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी:-

1. गैर वन उद्देश्य के लिए अजमेरी वन प्रभाग के अजमेरी ग्राम की वन भूमि में विपथन प्रस्ताव, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किये गये। आवेदन अर्थात् पाईप लाइन लगायी जाने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहित वन पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रमुख तौर पर विचार विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिए प्रस्तावित भूमि में पाईप लाइन बिछायी जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिए है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति तथा आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाईप लाइन निर्माण लगायी जाने के लिए अजमेरी में वन प्रभाग के अजमेरी ग्राम में भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत अजमेरी  
पं.स. जवाजा (अजमेरी)

अधिशाली अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग  
परियोजना खण्ड जवाजा

सरपंच  
ग्राम पंचायत अजमेरी  
पं.स. जवाजा (अजमेरी)

अधिशाली अभियन्ता



कार्यालय ग्राम पंचायत, कुडा, प.स.भीम, जिला-राजसमंद (राज.)  
दिनांक: 21/08/2020

सदस्य  
श्री मेहर सिंह चौहान  
प.स.भीम, कुडा  
प.स.भीम, जिला-राजसमंद  
(राज.)

-: पादिक बैठक :-

मो. नं. - 9350059205 ग्राम पंचायत - कुडा

राजस्थान - बारला नोडा, मोहरिया

दिनांक - 21/08/2020 प्रस्ताव नं. - 08 पादिक बैठक

राजस्थान राज्य में जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड, जवाजा के अधीन पलोराइड नियंत्रण परियोजना, जवाजा के अन्तर्गत पानी की पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की पाइप लाइन बिछाने का विकास कार्य राजस्थान ग्राम / दम्ती, बारला नोडा की वन भूमि में किया जाएगा। जिसके लिए पादिक बैठक ग्राम पंचायत, कुडा में सरपंच, ग्राम पंचायत, कुडा की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गयी, ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी:-

1. गैर वन उद्देश्य के लिए अजमेर वन प्रभाग के कुडा (बारला नोडा) ग्राम की वन भूमि में विपथन प्रस्ताव, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किये गये। आवेदन अर्थात् पाइप लाइन लगायी जाने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्यों तथा निहित वन पर गांव समिति में प्रकट तथा प्रमुख तौर पर विचार विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया, विपथन के लिए प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन बिछायी जाने तथा ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने के लिए है, तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तथा अनुसूचित जनजाति तथा आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।
4. वन अधिशासी के अन्तर्गत वन संरक्षण/आर जी.सी.एस. प्रकल्प - 1971/2000 - 854

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगायी जाने के लिए अजमेर में वन प्रभाग के कुडा ग्राम में भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाता है।

दिनांक 21/08/2020

स्थान: ग्राम पंचायत, कुडा  
प.स.भीम  
जिला-राजसमंद,  
(राज.)

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत, कुडा  
प.स.भीम (राजसमंद)

सरपंच  
ग्राम पंचायत, कुडा  
प.स.भीम (राजसमंद)

अधिशासी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग



संख्या १०- पाश्चि. बेंक २-

श्रीमती निधि शंकर

ग्राम बली-जस्साखंड

पंच. मीम जिला राजसमंद

मौ. नं. ७५६८०/१५७३ ग्रा. प. बली-जस्साखंड

राजस्थान ग्राम- बली-जस्साखंड

दिनांक. २६/५/२० पुस्तक नं. ३५ पाश्चि. बेंक

राजस्थान राज्य में जन स्वा. आर्थ. विकास परियोजना खण्ड जवाजा में अर्थात् प्लोराइट निमंत्रण परियोजना, जवाजा के अन्तर्गत पानी की पाइप लाइन बिहाने का कार्य प्रस्तावित प्रस्तावित परियोजना की पाइप लाइन बिहाने का विकास कार्य राजस्थान ग्राम बली-जस्साखंड ..... को वन भूमि में किया जाएगा। जिसके लिए पाश्चि. बेंक ग्रा. प. बली-जस्साखंड में संस्थापक ग्रा. प. बली-जस्साखंड की महत्त्वता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित गयी, ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी। १-

१. गैर वन उद्देश्य के लिए अण्डाग्र वन प्रभाग के बली-जस्साखंड ग्राम की वन भूमि में विपथन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता जन. स्वा. आर्थ. विकास परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किए गये दारबंदन मर््यात पाइप लाइन लगायी जाने के लिए विलासूक्त चर्चा की गयी।
२. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के अंतर्गत तयानिहित वन पर गवर्नर समिति में स्वरूप तथा हार और पर विचार विमर्श किया गया।
३. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत व. वासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम २००० के समी खण्डों पर बेंक में कि निर्धार किया गया, विपथन के लिए प्रस्तावित भूमि में पाइप लाइन बिहाने की जाने तथा ग्रामवासीओं को पैमजल सुविधा से लाभान्वित होने के लिए है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास, या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा अनुसूचित जनजाति तथा आदिम वन बस्ती को भूमि को अधिशासी वन अधिकार प्रकल नहीं विचार किया है।
४. वन क्षेत्राधिकार में आने वाले रक्षकान. / आर जी. स. इस स्वरूप में अर्थात् - १/२- इसलिये गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पाइप लाइन निर्माण लगायी जाने के लिए अण्डाग्र में वन प्रभाग के बली-जस्साखंड ग्राम में भूमि के विपथन की बेंक में सर्वसम्मति से इसी पारित किया जाता है।

दिनांक - २६/५/२०

स्थान - ग्राम पंचायत- बली-जस्साखंड

पंच. मीम

जिला : राजसमंद

अधिशासी अभियन्ता

जन स्वा. आर्थ. विकास

ग्राम विकास अधिकारी

खण्ड, जवाजा



FRA

39

form- I

(For linear project)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Rajasamand

No. Rev ( )/2021/ 582

Dated 18/03/2021

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/90-FC (pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.5753 Hectare of forest land in Block Bhim of Tehsil Bhim forest division Rajasamnd proposed to be diverted in favor of Ex. En. (Project Division), PHED, Jawaja for crossing forest land for pipe line for drinking water supply in Fluoride Control Project, Jawaja, Beawar.

It is further certified that

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 0.5753 Hr. of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residing in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed ds annexure 1 to annexure 4.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive • Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Arvind Kumar Poswal)  
District Collector Rajasamnd

अधिकाारी अधियन्ता

जन स्वा. अधि. विभाग

परिपोचना खण्ड, जवाजा





# कार्यालय जिला परिषद राजसमन्द

(ISO 9001:2015 CERTIFIED PANCHAYATI RAJ)

दूरभाष नं.- 02952-220568, 220631

E-Mail - PD-RAJ-RJ@NIC.IN



दिनांक :- 10-03-2021

क्रमांक : पंचा/वनाधिकार/2020-21/483

प्रभारी अधिकारी, राजस्व  
(उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द)  
कलकट्ट, राजसमन्द।

विषय :- एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय पत्रांक 2497-98 दिनांक 28.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि जन स्वावलम्बीयता अभियान की विभाग परियोजना खण्ड जवाजा के पत्रानुसार राजस्व ग्राम बारला चौड़ा, ग्राम पंचायत कूकड़ा व बली के खसरो की जिसमें परियोजना की पाईप लाईन उक्त राजस्व ग्रामों में आराजीयात से गुजरती रक्षित सड़क एवं वन पट्टी जे राजस्व रिकार्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम दर्ज है से गुजर रही है। वनाधिकार अधिनियम 2006 ए नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति के संवध में एफआरए प्रमाण पत्र के लिए बैठ आयोजित करा बैठक कार्यवाही विवरण श्रीमान् द्वारा चाहा गया है।

इस क्रम में दिनांक 08.01.2021 को आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रति आवश्य कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(डॉ० दिनेश राय सापेला)  
अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद राजसमन्द

प्रतिलिपि-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द।
2. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसमन्द।
3. श्रीमान् उपवन संरक्षक वन्य जीव राजसमन्द।

अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद राजसमन्द





## बैठक कार्यवाही विवरण

सोमवार दिनांक 8/11/2021 को अनुपस्थित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की आज्ञापालन) अधिनियम 2001, नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 में फलोत्पाद परियोजना व्यापक/जब तक कि अनुपस्थित पाईव लाईन परियोजना राजस्व अनुचित के पंचायत समिति ग्राम के ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम कारला चौडा एवं बली में ए समाजिक विकास योजना के अंतर्गत रहे हेतु चिन्ता राखी जायेगी समिति की बैठक अगले जिला कलम्ब में आयोजित की अध्यक्षता में दिनांक 8/11/2021 को प्रातः 11 बजे जिला कलेक्टर समागार में आयोजित की जायेगी

1. श्री मरुत करविंद कुमर परामर्शदाता, कलम्ब
2. श्री मीनू निमिषा कुमारी ए.ए.ओ. जिला राजस्व निरीक्षक
3. श्री मीनू सिंह भांडारी A.C.E.O. जिला राजस्व निरीक्षक - 2/11/21
4. श्री मीनू कुमारी राई D.O. राजस्व निरीक्षक
5. श्री सुभाष कुमार D.O. ग्राम
6. श्री रामेश भांडारी B.D.O. ग्राम
7. श्री नवलराज भांडारी B.D.O. कुमर
8. श्री मीनू कुमारी अतिथि एवं पत्रिका जवाब
9. श्री मीनू कुमारी सहायिका अतिथि
10. श्री मीनू कुमारी सहायिका अतिथि

आत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, राजसमन्द









FRA आपका उक्त पत्र 83 का संख्या 945

प्रतिश्री श्रीमान् नरेश्वर  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान् (अरबी पंक्ति)  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्

श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्

श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्

श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्

श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्

आति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, राजसमन्द



**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमन्द(राज0)**

कमांक / राजस्व / 2020 / 381


दिनांक : 09.10.2020

**-:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::-**

अधिशायी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना, खण्ड-जवाजा के पत्रांक-354-57 दिनांक 25.08.2020 द्वारा फ्लोराईड नियंत्रण परियोजना ब्यावर-जवाजा के अन्तर्गत जल वितरण हेतु पाईप लाईन बिछाई जाना प्रस्तावित है। राजस्व ग्राम बारला चौडा ग्रा0प0 कुकडा एवं बली ग्रा0प0 बली के खसरो की सूची उक्त विभाग द्वारा संलग्न कि गयी है। जिसमे परियोजना पाईप लाईन उक्त राजस्व ग्रामों की आराजीयात से गुजरती रक्षित सडक वन पट्टी जो कि राजस्व रिकॉर्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम दर्ज है, से गुजर रही है जिसके संदर्भ में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 संशोधित नियम 2012 कि क्रियान्विति के सम्बन्ध में एफ0आर0ए0 (FRA) प्रमाण पत्र चाहा गया है।

उपखण्ड अधिकारी, भीम की अध्यक्षता में आयोजित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.10.2020 को रखी गई जिसमें उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श किया गया कि राजस्व ग्राम बारला चौडा ग्रा0प0 कुकडा एवं बली ग्रा0प0 बली के वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि जो फ्लोराईड नियंत्रण परियोजना ब्यावर-जवाजा के अन्तर्गत आ रही है, उक्त खसरा नम्बरान कि भूमि पर अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 कि क्रियान्विति के सम्बन्ध में उक्त भूमि में कोई वनवासी निवास नहीं करते है।

अतः उक्त ग्रामों के खसरा नम्बरान के क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों में उल्लेखित पात्रता नहीं रखते है। इसलिए एफ0आर0ए0 (FRA) प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीम, जिला राजसमन्द (राज0)

  
अधिशायी अभियन्ता

जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा



## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमन्द(राज0)

क्रमांक / नि0स0 / 2020 / 375-62

दिनांक : 09.10.2020

### :- बैठक कार्यवाही विवरण:-

अधिशायी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना, खण्ड-जवाजा द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 संशोधित नियम 2012 द्वारा गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 09.10.2020 को प्रातः 11.00 बजे उपखण्ड अधिकारी, भीम की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक रखी गयी। जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे।

- 1 उपखण्ड अधिकारी, भीम।
- 2 तहसीलदार, भीम।
- 3 विकास अधिकारी, भीम।
- 4 क्षेत्रीय वन अधिकारी, भीम।
- 5 श्रीमति ममता जीनगर सदस्य, भीम।
- 6 श्रीमति संतोष देवी सदस्य, मियालाखेत।
- 7 श्री देवेन्द्र सिंह सदस्य, कालागुमान।


बैठक में ग्राम स्तरीय वनाधिकारी कमेटी से वन क्षेत्र में जन स्वा.अभि. विभाग परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा फ्लोराईड नियंत्रण परियोजना ब्यावर-जवाजा के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रामों में वन भूमि के 0.5753 हेक्टेयर क्षेत्र में बिछाई जाने वाली पाईप लाईन (ग्राम सभा व वार्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की अनुज्ञानुसार) के सम्बन्ध में चर्चा की गई।

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	जमाबन्दी विवरण
1	कुकडा	बारला चौडा	खातेदार-राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खा0सं0-654 कुल किता-19 रकबा-33-08-10 बीघा
2	बली	बली	खातेदार-राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खा0सं0-962 कुल किता-27 रकबा-86-19-00 बीघा

उक्त ग्रामों से गुजरती रक्षित सड़क वन पट्टी से पाईप लाईन बिछाई जाने हेतु प्राप्त ग्राम सभाओं के अनुज्ञा के आधार पर ग्राम स्तरीय समितियों द्वारा ग्राम पंचायत कुकडा एवं बली पं0सं0 भीम के द्वारा अनुमोदन किया गया है। बैठक में ग्राम पंचायत कुकडा एवं बली की ग्राम सभा एवं ग्राम वन समिति के अनुमोदन के आधार पर उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदन कर जिला स्तरीय कमेटी को मय अभिशंका के प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।




अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि से फ्लोराईड नियंत्रण परियोजना ब्यावर-जवाजा के अन्तर्गत लगायी जाने वाली पाईप लाईन हेतु सर्वसम्मति से नियमानुसार अभिशप्ता कि जाती है।

  
विकास अधिकारी  
पंचायत समिति भीम  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
भीम (प्रा०)

  
तहसिलदार, भीम  
जिला-राजसमन्द

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीम, जिला-राजसमन्द (राज.)

  
श्रीमति ममता जीनगर, सदस्य

  
श्रीमति संतोष देवी, सदस्य

  
देवेन्द्र सिंह, सदस्य

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द।
- 2 श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-राजसमन्द।
- 3 क्षेत्रीय वन अधिकारी, भीम।
- 4 विकास अधिकारी, पं०सं० भीम।
- 5 अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा.अभि. विभाग परियोजना खण्ड-जवाजा।
- 6 सरपंच ग्राम पंचायत कुकडा/बली।
- 7 रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीम, जिला-राजसमन्द (राज.)

  
अधिशाषी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा



सरपंच ४- पार्षिक बैठक :-

शीमाती निधि राफ

ग्रा.प. बली-जम्साखंड

पंच. भीम जिला राजसमंद

मौ. नं. 7548019473 ग्रा.प. बली-जम्साखंड

राजस्थान ग्राम - बली-जम्साखंड

दिनांक - 26/5/20 प्रस्ताव नं. 35 पार्षिक बैठक

राजस्थान राज्य में जन स्वा. आर्षि. विभाग परियोजना खण्ड जवाजा के अधीन फ्लोरिड निमंत्रण परिपोजना, जवाजा के अन्तर्गत पानी की परप लक्ष्य विहाने का कार्य प्रस्तावित, प्रस्तावित परियोजना की परिप लक्ष्य विहाने का विकास कार्य राजस्थान ग्राम बली-जम्साखंड ..... को वन भूमि में किया जाएगा। जिसके लिए पार्षिक बैठक ग्रा.प. बली-जम्साखंड में सरपंच ग्रा.प. बली-जम्साखंड की अध्यक्षता में तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गयी, ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दे पर चर्चा की गयी। ४-

1. गैर वन उद्देश्य हेतु अजमेर वन प्रभाग के बली-जम्साखंड ग्राम की वन भूमि में विपक्ष प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता जन. स्वा. आर्षि. विभाग परियोजना खण्ड जवाजा द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन मर्चात परप लक्ष्य लगायी जाने के लिए क्लिप्टाईक कार्य की गयी।
2. उपरोक्त विपक्ष प्रस्ताव के उद्देश्यो त्पानिहित वन पर गव्व समिति में झकर तथा शुमुख तौर पर विचार विमर्श दिया गया।
3. उपरोक्त विपक्ष प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुसुचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन वासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2002 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार किया गया, विपक्ष के लिए प्रस्तावित भूमि में परप लक्ष्य विहाने की जमीन तथा ग्रामवासीओं को पेयजल सुविधा से लाभान्वित होने के लिए है तथा कोई अनुसुचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास, या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा अनुसुचित जनजाति तथा आदिम वन वासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रकृत नहीं दिया गया है।
4. वन क्षेत्राधिकार में आने वाले रक्षरान./आर जी.स. इस प्रकार है  
इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात् पापिलानि निर्माण लगायी जाने के लिए अजमेर में वन प्रभाग के बली-जम्साखंड ग्राम में भूमि के विपक्ष की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है।

दिनांक - 26/5/20

स्थान - ग्राम पंचायत-बली-जम्साखंड

अधिशारी अभियन्ता  
राजस्थान अधिवास्त्रिकी विभाग

पंच. भीम  
जिला: राजसमंद  
(राज.)

अधिशारी अभियन्ता  
जन स्वा. आर्षि. विभाग  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत बली-जम्साखंड  
ग्राम पंचायत बली-जम्साखंड





12

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. A - 7**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concern Division Forest Officer.

Yours Faithfully

  
अधिशर्षा अधिशर्षा  
जन स्वा. अधि. विभाग  
परिशोधना स्वा. अधिशर्षा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922



12

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. A - 7**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concern Division Forest Officer.

Yours Faithfully

  
अधिशायी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खास, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

  
उप वन अधिकारी  
अजमेर





18

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

**Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26**

**Date: 5/12/2022**

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. A - 8**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.

Yours Faithfully

  
अधिलक्षणा अधिवन्ता  
जन स्या. अपि. विभाग  
परियोजना कक्ष, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

Public Health Engineering Department

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922



13

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: cphedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. A - 8**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.

Yours Faithfully

अभिषेक अभियन्ता

जन. स्वा. अभि. विभाग

परियोजना खण्ड, जवाजा

(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

२२  
उप वन संचालक  
भारत





15

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. A - 9**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, all the Funds have been deposited by us in CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

Yours Faithfully

  
अधिशक्ति अभियन्ता  
जन न्याय अधि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922



15

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

**Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26**

**Date: 5/12/2022**

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. A - 9**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, all the Funds have been deposited by us in CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

Yours Faithfully

**अधिशायी अभियन्ता**  
**जन स्वा. अभि. विभाग**  
**परियोजना खण्ड, जवाजा**  
**(Praveen Kumar)**

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

उप जन अभि. विभाग  
अजमेर





15

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

**Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/425-26**

**Date: 5/12/2022**

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 1**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, Legal status of the Forest land will be remain unchanged.

Yours Faithfully

  
अधिशर्षी अभियन्ता  
जन स्वा. अगि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

Public Health Engineering Department

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922



15

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018 / 925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 1**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, Legal status of the Forest land will be remain unchanged.

Yours Faithfully

  
अधिशर्जा अभियन्ता  
जन. स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना कार्यालय, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

९९  
उप वन विभाग  
अजमेर





13

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

**Ref:** FP/RJ/WATER/33714/2018 /925-26

**Date:** 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 2**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.

Yours Faithfully

  
अधिशारी अभियन्ता  
जन. स्या. अभि. विभाग  
परिप्रेक्ष्य विभाग, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922



176

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018 / 925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 2**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.

Yours Faithfully

  
अधिशायी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना सहायक, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

अल  
उप जन सहायक  
अजमेर





18

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 3**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 7.0484 ha non-forest land, Khasra No. 264/113, Village - Badiya Lumba, Tehsil - Beawar, District - Ajmer, Rajasthan at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.

Yours Faithfully

  
अधिशर्मा अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922



17

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 3**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 7.0484 ha non-forest land, Khasra No. 264/113, Village - Badiya Lumba, Tehsil - Beawar, District - Ajmer, Rajasthan at the cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.

Yours Faithfully

अधिशायी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

ॐ  
उप वन विभाग  
बजमेर





राजस्थान सरकार

# कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक/एफ. 12 (सी)/राज/राजस्थान/2022/ 29.

दिनांक :- 13/01/2022

:- आदेश :-

जिला अजमेर में निम्न परियोजना/कार्य हेतु उपयोग में आ रही वन भूमि के प्रत्यर्पण हेतु गैर - वन भूमि का आरक्षण आवश्यक है :-

क्र.सं.	परियोजना/कार्य का विवरण	उपयोग में आ रही वन भूमि का रकबा (है.)
1	PHED Dept. - Fluoride Control Project For Remaining Villages Of Tehsil Beawar	7.0484
	कुल रकबा	7.0484

उक्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, उपखण्ड अधिकारी व्यावर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं उप वन संरक्षक अजमेर से प्राप्त भूमि के उपयुक्त होने की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बाडिया लूम्या तहसील व्यावर के खसरा नं 264/113 रकबा 80.5485 हैक्टेयर किस्म दांती में से 7.0484 हैक्टेयर भूमि, वन आरक्षण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानानुसार नीचे अंकित शर्तों के अधीन आरक्षित करने के एतद्वारा आदेश प्रदान किये जाते हैं।

शर्त :-

1. आरक्षित भूमि का उपयोग दृढतापूर्वक उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु आरक्षित की गई है।
2. आरक्षित भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जायेगा।  
आरक्षित भूमि का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

संलग्न : नक्शा ट्रेस -1

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला कलक्टर, अजमेर

क्रमांक :- सम/2022/ 602-11

दिनांक :- 13/01/2022

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. उप वन संरक्षक अजमेर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर।
4. उपखण्ड अधिकारी व्यावर।
5. अधीक्षण अभियंता (परियोजना खण्ड) जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर।
6. अधिशाषी अभियंता, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड, जवाजा जिला अजमेर।
7. तहसीलदार, व्यावर को भेजकर लेख है कि- नियमान्तर्गत राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज एवं राजस्व नक्शा ट्रेस से तरमीम की कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए, सम्बन्धित को अवगत करावे।
8. क्षेत्रीय वन अधिकारी व्यावर जिला अजमेर।
9. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली

आधेशासा अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

(कैलाश चन्द्र शर्मा)

अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा,

N

प्रस्तावित  
क्षेत्र

२६५  
११३

आपत्ति - आवासीय कार्य के  
लिए निम्नलिखित कार्य

१. आवासीय कार्य के लिए निम्नलिखित कार्य

१. आवासीय कार्य के लिए निम्नलिखित कार्य


१. आवासीय कार्य के लिए निम्नलिखित कार्य

नमस्ते - नमस्ते  
जोधा - जोधा  
नमस्ते - नमस्ते  
जोधा - जोधा  
नमस्ते - नमस्ते

जम्मू  
अभिजाती अभियान  
न स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा

वहसीलवार, खावा





प्राप्त्युप-20 (गी)  
(नियम 153 ए)

प्राय या नाय :- वादिका मुद्रा  
 पदधार इन्द्रा :- विजयपूर  
 नृ. प्रति. नि. :- पेटिया  
 पदनीव :- व्याकर  
 जिना :- धनपूर

समय :- 2073 - 2076  
 भूमि मापका का नाम :- म. र. म. म. म.  
 क्षेत्रफल :- 1.5 हेक्टर  
 पञ्चायत संख्या :- 1  
 गावा संख्या :- 1

प्राध्यापक श्री नाग-  
शिव, गणेश

समय समय	क्षेत्रफल	भूमि प्रतीकरण	कुलफल द्वारा समय समय	मिनट के मापन	अनुक्रम के क्रम में प्रकाशित मापन/प्रतीकरण संख्या व दिशा	दिशा
10	0.2914	नाला	0.2914			
108	0.2288	नाला	0.2288			
109	6.3050	दांती	6.3050			
110	0.4775	नाला	0.4775			
114	1.7321	श्री.बु.शाला	1.7321			
115	0.0890	नाला	0.0890			
120	0.4452	नाला	0.4452			
131	0.0243	नाला	0.0243			
141	0.1781	नाला	0.1781			
142	0.0243	नाला	0.0243			
154	0.0647	नाला	0.0647			
156	0.1538	नाला	0.1538			
157	0.0807	दांती	0.0807			
159	1.6875	दांती	1.6875			
162	1.3193	नाला	1.3193			
164	11.4121	दांती	11.4121			
176	0.0405	नाला	0.0405			
185	0.6394	दांती	0.6394			
187	0.1497	नाला	0.1497			
192	0.0486	नाला	0.0486			
194	0.3399	नाला	0.3399			
199	0.0243	नाला	0.0243			
200	0.3237	नाला	0.3237			
201	0.2671	दांती	0.2671			
207	0.9874	नाला	0.9874			
208	0.3802	दांती	0.3802			
209	0.5827	नाला	0.5827			
219	0.1700	नाला	0.1700			
221	0.1295	नाला	0.1295			
223	0.5827	दांती	0.5827			
227	0.8417	दांती	0.8417			
229	15.5804	दांती	15.5804			
230/1	27.4943	दांती	27.4943			

प्राप्ति -  
१०/११/२०२०

अभिशासी अभियन्ता  
न स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग  
परियोजना सखण्ड, जवाजा



# जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (बी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- बाडिया लून्वा  
पटवार हल्का :- मिशानपुरा  
मु. अभि. नि. :- कोटडा  
तहसील :- व्यावर  
जिला :- अजमेर

सम्बन्ध :- 2073 - 2076  
भूमि धारक का नाम :- राज. मण्डार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टर  
खाता संख्या नम्बर :- 1  
खाता मंजूर पुराना :- 1

245/52	0.0567	पान	0.0567
284/113	80.5485	दांती	80.5485
277/160	0.0243	दांती	0.0243
279/205	1.0360	दांती	1.0360
282/210	0.0202	दांती	0.0202
283/211	4.3342	दांती	4.3342
287/41	0.0162	गै. मु. नाला	0.0162
44	0.8256	दांती	0.8256
50	0.4290	नाला	0.4290
51	0.1133	दांती	0.1133
53	0.0567	दांती	0.0567
57	0.1862	दांती	0.1862
66	1.3355	रास्ता	1.3355
77	0.0162	गै. मु. चाह	0.0162
90	0.1295	पाल	0.1295
कुल खसरे - 48	162.1818		162.1818

व्याज प्रति - राजकीय कार्य  
के लिए निम्न प्रती  
प्रमाणित 19/1/24

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।  
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।



जयराज  
अध्यास आभय-ता।  
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा



144

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 16/12/2022 03:50:08 PM


जिला : अजमेर

तहसील : ब्यावर

भू. अ. नि. क्षेत्र : कोटडा

पटवारी हल्का : किशनपुरा

ग्राम : बाड़िया लूम्बा




Scale 1:4000

खसरा संख्या : 290/264 क्षेत्रफल : 7.0484 Hectare खाता संख्या : 25 पुराना खाता संख्या : 1

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] :

1.) वन विभाग हिस्सा- पूर्ण वन-विभाग

  
अविशेष अभियन्ता  
वन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना सचिव, जवाहर



सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null



18

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref: FP/RJ/WATER/33714/2018/425-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 4**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, No tree felling will be involved in the implementation of this project.

Yours Faithfully

  
अधिशर्मा अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना सहायक, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





18

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 4**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, No tree felling will be involved in the implementation of this project.

Yours Faithfully

  
अधिशोधी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

Public Health Engineering Department

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

००  
उप वन निरीक्षक  
बजौर



**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 5**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, User Agency will provide water connection for the Delwara Nursery situated at NH-8.

Yours Faithfully

अभिशाप अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खात, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

Public Health Engineering Department

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





79

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 5**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, User Agency will provide water connection for the Delwara Nursery situated at NH-8.

Yours Faithfully

  
अधिशायी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

  
उप वन संचालक  
भवावर



20

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 6**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The Pipeline will be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.

Yours Faithfully

**अधिशोषी अभियन्ता**

**जन स्वा. अभि. विभाग**

**परियोजना शाखा, जवाजा**

**(Praveen Kumar)**

**Executive Engineer**

**Public Health Engineering Department**

**Project Division - Jawaja, Beawar**

**Ajmer - 305922**





20

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

**Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26**

**Date:** 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 6**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The Pipeline will be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipeline the ground will be leveled.

Yours Faithfully

  
अधिशायी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

अ  
उप वन संरक्षक  
जवाजा



(21)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 7**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, No damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused.

Yours Faithfully

अधिशर्षी अभियन्ता

जन स्वा. अभि. विभाग

परियोजना खाता, जावाजा

(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





(27)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 7**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, No damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused.

Yours Faithfully

  
अधिकांक अभियन्ता  
जन स्वा. अमि, विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)  
Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

२२  
उप वन परिक्षक  
कजमेर



(23)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018 / 925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 8**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of Central Government.

Yours Faithfully

  
अधिशोषी अपियन्ता  
जन स्वा. अंश. विभाग  
परियोजना खास, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





22

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 8**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of Central Government.

Yours Faithfully

  
अधिक्षापी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

Public Health Engineering Department

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

  
उप वन संचालक  
अजमेर



(23)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

**Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26**

**Date: 5/12/2022**

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 9**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, No labour camp will be established on the forest land.

Yours Faithfully

अभिज्ञान अभियन्ता

जन स्वा. अंश. विभाग

परिचालन शाखा, जवाजा

(Praveen Kumar)

Executive Engineer

Public Health Engineering Department

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





28

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 9**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, No labour camp will be established on the forest land.

Yours Faithfully

अधिकांश अभियन्ता

जन स्वा. अभि. विभाग

परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

ee

उप वन अधिकारी  
जवाजा



25

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018 /425-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 10**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, will be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

Yours Faithfully

अधिक्षाव अभियन्ता

जन स्वा. अभि. विभाग

परिपेक्षा-जवाजा, बीकानेर

(Praveen Kumar)  
Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





24

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 10**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, will be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

Yours Faithfully

  
अधिशर्वा अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

  
उप वन संरक्षक  
अजमेर



25

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: cphedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/425-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018


**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 11**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

Yours Faithfully

  
अभिशाषी अभिवन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जावाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





(25)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

**Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018 /925-26**

**Date: 5/12/2022**

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 11**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The boundary of the diverted forest land will be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

Yours Faithfully

  
अधिशर्की अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

ॐ  
उप वन संरक्षक  
अजमेर



(27)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

**Ref:** FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

**Date:** 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 12**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

Yours Faithfully

अधिशायी अभियन्ता

जन स्वा. अभि. विभाग

परियोजना स्वच्छ जलाना

(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





26

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018 / 925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 12**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

Yours Faithfully

  
अधिशोभा अभियन्ता  
जन स्वा. अशि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)  
Executive Engineer

  
उप सन मन्त्र  
कजमेर

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922



27

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 13**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The Period of diversion under this approval will be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

Yours Faithfully

  
अधिशाली अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परिपोखना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

Public Health Engineering Department

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





27

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018


**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 13**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The Period of diversion under this approval will be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

Yours Faithfully

  
अधिकांश अधिवन्ता  
जन स्वा. अति. विभाग  
परियोजना संचालक, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

  
उप वन संचालक  
जवाजा



(28)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 14**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The forest land will not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

Yours Faithfully

अभिजात अभियन्ता  
जन सेवा. अभि. विभाग  
परियोजना विभाग, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 14**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The forest land will not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

Yours Faithfully


  
अधिशायी अभियन्ता  
जन स्वा. अंगि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

  
उप दल प्रमुख  
कलमेर



29

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018


**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 15**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The forest land proposed to be diverted will under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

Yours Faithfully

  
अभिज्ञान अभियन्ता  
जन स्वा. अंति. विभाग  
परियोजना नं. 33714, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





29

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 15**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, The forest land proposed to be diverted will under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

Yours Faithfully

  
अधिशेषी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

२२  
उप वन अधिकारी  
बन विभाग



**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 16**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.

Yours Faithfully

अधिकांश अधिकार  
जन स्वा. अंग. विभाग  
परिचालन शाखा, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/425-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 16**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.

Yours Faithfully

  
अधिसूचना अधिवक्ता  
जन स्वा. अ. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

  
उप निरीक्षक  
अजमेर



(3)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

**Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26**

**Date: 5/12/2022**

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 17**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, User Agency shall comply with all the provisions of the all acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

Yours Faithfully

अभिज्ञाधी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना सहायक, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





31

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 17**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, User Agency shall comply with all the provisions of the all acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

Yours Faithfully

  
अधिशर्मा अभियन्ता  
जन स्वा. अणि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

९९  
उप निदेशक  
अनुरोध



(33)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

**Ref: FP/RJ/WATER/33714/2018** /925-26

**Date:** 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 18**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

Yours Faithfully

  
अभिजादी अभियन्ता  
जन स्वास्थ्य अभि. विभाग  
परिपत्रक संख्या: 33714/2018  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: cphedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018 / 925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 18**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

Yours Faithfully

  
अभिषेक अभियन्ता  
जन स्या. अति. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

02  
उप दन गोरक्ष  
भारत



(39)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018


**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 19**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, User Agency will accept Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

Yours Faithfully

  
अधिशायी अभियन्ता  
जन स्वा. अंश. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

Public Health Engineering Department

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





(33)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 19**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, User Agency will accept Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

Yours Faithfully

  
अधिक्षापी अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा



(35)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: cphedpjawaja@gmail.com

**Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/925-26**

**Date: 5/12/2022**

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 20**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, Compliance report has been uploaded on e-Portal (<https://parivesh.nic.in/>).

Yours Faithfully

  
अभिजात अभियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खण्ड, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

Public Health Engineering Department

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922





34

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PHED  
PROJECT DIVISION JAWAJA**

E-mail: ephedpjawaja@gmail.com

Ref.: FP/RJ/WATER/33714/2018/425-26

Date: 5/12/2022

**Project Name:** - Diversion of 7.0484 ha of forest land for Diversion of 7.0484 ha of forest land for Fluoride Control Project for Remaining Villages of Tehsil Beawar in the State of Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/WATER/33714/2018

**Forest land Proposed for Diversion:** - 7.0484 Ha.

**Date of Proposal:** 22.05.2018

**UNDERTAKING FOR CONDITION NO. B - 20**

I/We Praveen Kumar, Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division - Jawaja, Beawar, Ajmer (Rajasthan) is hereby undertakes that, Compliance report has been uploaded on e-Portal (<https://parivesh.nic.in/>).

Yours Faithfully

  
अधिकांश अधियन्ता  
जन स्वा. अभि. विभाग  
परियोजना खास, जवाजा  
(Praveen Kumar)

Executive Engineer

**Public Health Engineering Department**

Project Division - Jawaja, Beawar

Ajmer - 305922

  
उप जन संरक्षक  
अजमेर



GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE  
एन्वायर्नमेंट विभाग, जयपुर/Integrated Regional Office, Jaipur

File No. JF0004942/2001/00

A 218 & B 218, ARANYA BHAWAN Bulevar International Area, Jakarta-100004  
Telp: 021-2712858, 2713796 Email: [arj@arj-arj.com](mailto:arj@arj-arj.com)

© 1998 by The McGraw-Hill Companies

Figure 10. August, 2003.

१००० रु. (१०००)  
 १००० रु. (१०००)  
 १००० रु. (१०००)  
 १००० रु. (१०००)

[Online]. Available from: <http://www.fda.gov/cder/rdmt/efed.htm>

[illegible][illegible]

- [illegible]



**STATE BANK OF**  
Local Head Office Tilak Marg,

State Bank of India local Head Office, Jaipur invites applications of contractors/vendors/agencies under various brands of UPS, Battery and Earthing products in its branch containing terms and conditions and tender form are [WWW.SBI.CO.IN](http://WWW.SBI.CO.IN) in "Procurement News Section". of tender is 12.10.2022 up to 3.30 PM. Bank reserves at the office in part or full without assigning any reason.

Assistant  
(Previous)

## E-Tender

**Chandrapur Super Thermal Power Station Invites Proposals from reputed and experienced firms to Participate in the Competitive bidding Process for Tenders**

Tender NO(Rfx No) / Description / Estin
3000032315/Procurement of BOXN-HL w Chandrapur/Rs.111430000/-

above floated tender published in MAI Portal. For the detailed Tender document, should visit SRM Website <https://mahagenco.in>. For any query Contact

CHIEF



**KARNATAKA POWER CORPORATION LIMITED**  
(A Government of Karnataka Enterprise)  
(SHIMSHA HYDRO POWER STATION)  
CIN: U35110KA19720300041919

No. KPCL/2022-23/PS/WORK IDENT 12334

**SHORT TERM BRIEF TENDER NO**

(Two Cover System) (Through a Procurement

order is issued through a procurement portal for

and above Electrical Contractor License issued by the competent authority and having sufficient experience in the carrying out similar work and Tenders for power for the work 8.8MW, 2.2KV, 500 RPM Generator and its auxiliaries of HES. EMD: Rs.1500000. Work completion period: 60 days. L1 uploading the bid in e-procure: 08.03.2022 at 17.30 hrs. To download the tender document from e-procure website: [www.kcpcl.com](http://www.kcpcl.com) and KPCL's website: <https://kcpcl.karnataka.gov.in> Further to Executive Engineer (O&M), Srirangha, KPCL, Shimoga District, Karnataka. Mobile: 954692 90735. E-mail: [ee@kcpcl.com](mailto:ee@kcpcl.com)



**NATIONAL COOPERATIVE CONSUMER  
OF INDIA LIMITED (NCC)**

**NCCF**  
3, Siri Institutional Area, NCUI C  
August Kranti Marg, Hazrat Nizamuddin, New  
**TENDER NOTICE**  
NCCF invites bids for procurement of imported TUR W  
for the Department of Consumer Affairs, Govt. of India.  
Detailed tender notice, specifications etc may be seen  
website i.e. [www.nccf-india.com/tenders.php](http://www.nccf-india.com/tenders.php) from 27/9/2022 at 13:00  
date for submission of tender is 27/9/2022 at 13:00  
General Manager

General Manager

कार्यालय

मुख्य आयकर आयुक्त,  
नं. 13-ए, राणा जैल रोड, नई दिल्ली-110 054

निविदा सूचना

दिनांक: 23.09.2022

आपका विभाग, देखभाल देवू "ऑफसाइट रिपोर्ट" में  
अनुभवी जर्मों से महारब्द निष्ठापूर्व दिवस 10.10.2022



पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी। दोपहर 12.45 बजे कार्यकाष्ठों से मुलाकात करेगी, 1.30 बजे हज्यातल विधानसभा क्षेत्र के भट्टा बन्नी क्षेत्र में जनसंपर्क करेगी। शाम 4 बजे सीकर शहर में जनसंपर्क करेगी।



GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / Integrated Regional  
Office, Jaipur



ए 216 & बी 216 "अरुण भावन" आत्मज्ञान संस्था, अमरावती - 431004 / A-216 & B-216, "ARUNA BHAVAN", Bhawan Institutions of Arun, Jalgaon-362004  
सुरमास/टेल नं: 0431-2713858, 2713785 ईमेल: info.jalgaon-madhyajogee.in

Revised: 06<sup>th</sup> June, 2022

पत्र संख्या-8 बी/अ/08/10/2021/FC  
जिला,  
राजस्थान (राज.),  
[20]वें अधिवेशन, अंतरिम बैठक,  
पुणे, 2021-22

(Quoting Proposal No. FP/RIWATER/337147018)

From: Division of 7.0454 ha forest land for Floride Control Project for remaining Villages of Tehsil Bawar, 539 Villages, District- Ajmer in favour of Superintendent Engineer, Public Health Department, Project Circle, Todarnal Merg, Jal Bawar, Ajmer of Rajasthan.

Ajmer of Rajasthan.

Special  
Section

[illegible]

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 7.0484 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 14/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in LA No. 566 in WP (C) No. 202/1993 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (P.I.I.) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC (Val-3) dated 06.01.2012 in this regard.
3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalisation of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
4. The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department.
5. The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval.
6. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
7. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer.
8. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, at the case may be.
9. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portals.
10. Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of **undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:**
  1. Legal status of the forest land shall remain unchanged;
  2. Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.
  3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 7.0484 ha non-forest land, Khara No. 264/113, Village- Badiya Lurha, Tehsil- Bawar, District- Ajmer, Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
  4. No tree felling shall be involved in the implementation of this project.
  5. User Agency shall provide water connection for the Delwara Nursery situated at NH-6.
  6. The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after tying down of pipeline the ground will be leveled.
  7. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
  8. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

10. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

11. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the discretion of the concerned Divisional Forest Officer.

12. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

13. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

14. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

15. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

16. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office.

17. The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Orders, Circulars, Directives, Instructions, etc. issued by the Government of Rajasthan, Jaipur by the end of March every year.

17. The User agency shall comply with all the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980, and the Forest (Conservation) Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

and 2. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-2003/2004 dated 20.01.2015.

19. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change

सकती है 5जी की थुरुआत

देश में रिलायंस की 5जी इंटरनेट सेवा की विधिवत जाँच अभी इसकी तिथि की घोषणा नहीं की गई है। मुंबई अदालती ने सोमवार को वहाँ श्रीनाथजी मंदिर हा से भेंट में व्यक्त की। उन्होंने श्रीजी प्रभु के दर्शन के रूट के साथ विशाल बाबा का आशीर्वाद लिया। विशाल पेकरी भेंटकर समाधान किया। इस अवसर पर विशाल एजी और रिटेल व्यापार संबंधित नए कार्यों के शुभारंभ अन्वानी को बधाई दी। अन्वानी ने विशाल बाबा से ही विधिवत शुरुआत श्रीनाथजी मंदिर से ही होगी।

## में बदलाव

चौथा संस्करण प्रकाशित

दिव्यानां का संशयित उपस्थिति है। गंतव्यो विन्



### के स्वरूप में किया संशोधन

विद्युत् श्रेणीय, काट सक्षम विद्युत्, नदीय परिवहणार्थ तथा कुल १ संयोजी, पॉवरटेल संयोजी तथा लेन राखायात संयोजी विद्युत् को संचरण में मौजूद विद्युत् की पृष्ठभूमि में परिवर्तित किया है। १ सक्षम विद्युत् पीली पृष्ठभूमि पर अंकित किए हैं।

धारक विभागों के अधिकारियों/कर्मियों को सड़क जालों की जानकारी देने के लिए राज्य सड़क सुरक्षा एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजन की भी इनके प्रतिज्ञापन किया जाएगा।  
मौनी, आर्यक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा

आवश्यकतानुसार समय-समय पर विभिन्न सड़क में यथासंभव संशोधन कर नवीन मानक जारी किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ में कार्यरत सड़क सुरक्षा अधिकारी बज्जा द्वारा आईआरसी को प्रेरित किए जा रहे हैं। इससे सड़क सुरक्षा को प्रेरित किया है।

- निधि सिंह, संगूत परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)

मेहरानगढ़ दुखान्तिका को लेकर हुई सुनवाई  
बहस के लिए 13 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर

जोधपुर/नवज्योति। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यालय के कार्यालय में एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश रेखा बोरणा की खंडपीठ के समक्ष जोधपुर के मेहरानगढ़ दुखानिका को लेकर चौपड़ा आयोग की रिपोर्ट पेश हुई। जिस पर कोर्ट ने कहा कि क्या आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा सकता है या नहीं। क्या रिपोर्ट इतनी गोपनीय है कि उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि आयोग की ओर से दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए हाईकोर्ट सरकार को निर्देश दे सकती है या नहीं। इस पर बहस के लिए 13 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। गौरतलब है कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुखानिका में जुड़ी जस्टिस चौपड़ा आयोग व दो कैबिनेट उप समितियों ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार ने